खण्ड–493, अंक–6
शुक्रवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1936
(20 मार्च, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2015)

(खण्ड 493 में 9 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
बछरावां रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की भिड़न्त में तत्काल सहायता हेतु अधिकारियों को निर्देशित करने की मांग	7
प्रश्नोत्तर	7–41
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	41–42
जनपद इलाहाबाद की तहसीलों में निर्धारित समय में जाति, आय व निवास प्रमाण–पत्रों को बनवाने तथा तत्काल आनलाइन कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद बलरामपुर के ब्लाक श्रीदत्तगंज में सरकारी अस्पताल समेत अन्य भूमियों पर भू–माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	43
जनपद गाजीपुर स्थित जौहरगंज शमशान घाट के सौन्दर्यीकरण एवं घाट की कटान को रोके जाने हेतु बोल्डर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	43
जनपद वाराणसी में राजकीय महिला विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	43–44
जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र औराई अन्तर्गत नगर पंचायत खमरिया को जोड़ने वाली रोड पर से अतिक्रमण हटाये जाने एवं इसका उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	44
जनपद मुरादाबाद में समाजवादी पेंशन योजना की चयन प्रक्रिया में की गई धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	44–45
जनपद गाजीपुर में ताड़ीघाट–बारा मार्ग अन्तर्गत सोहवल से नौली इण्टर कालेज तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के कतिपय मार्गों में नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	45–46
जनपद बहराइच के विकास खण्ड शिवपुर अन्तर्गत ग्राम गौरिहा में	46

भगहर ताल पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	46
जनपद बांदा में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को सहायता राशि एवं मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	46–47
जनपद देवरिया की कोतवाली सदर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–186/15 के आरोपियों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	47
जनपद महोबा के कतिपय ग्रामों के अवशेष भागों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	47–48
जनपद चन्दौली में लायन सफारी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	48
जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्दराबाद के कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	48
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	48–49
स्टेट बैंक सचिवालय शाखा से मा0 सदस्य के खाते से साइबर क्राइम द्वारा लाखों रुपये निकाले जाने विषयक व्यक्तिगत प्रकरण ...	49
प्रश्नों का समय बढ़ाये जाने का अनुरोध ...	49–50
गाजियाबाद में डी0आर0डी0ए0 कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकृष्ट करना	50
वर्तमान विधान सभा के तीन वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी अभी तक उपाध्यक्ष का निर्वाचन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	50–51
विधान सभा के उपाध्यक्ष जो सदन की कई समितियों के पदेन सभापति होते हैं, का पद रिक्त होने से उक्त समितियों की बैठक न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	51–52
दिनांक 16 जुलाई, 2009 को कांग्रेस सदस्य प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी के आवास पर हुई आगजनी की जांच पूरी हो जाने के उपरान्त कोर्ट में चार्जशीट फाइल न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	52–54

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर क्षेत्र में विकास निधि के प्रस्तावित कार्यों में अधिकारियों द्वारा अप्रत्यक्ष विलम्ब किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न 54

विषय	पृष्ठ–संख्या
नियम–301 की सूचना लिये जाने का अनुरोध	54
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गयी)	54
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	55–64
प्रदेश में दिनांक 14 एवं 15 मार्च, 2015 को हुई तेज बारिश एवं ओलावृष्टि से फसलों की भारी क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुरेश कुमार खन्ना आदि द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की चर्चा ...	64–82
कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक हेतु सदन को 10 मिनट के लिये स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में सूचना	83
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	83–84
जनपद बुलन्दशहर में स्थित वेव शुगर मिल के बन्द होने के कारण उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री दिलनवाज खां द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य... ...	84–85
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के अन्तर्गत लखनऊ मोहान रोड पर नरौना पुल से नहर पटरी होते हुए हरदोई बार्डर तक एवं माल दुबग्गा रोड के उच्चीकृत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्दल कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)...	86
जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज की शुगर मिलों द्वारा किसानों के बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार दुबे द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	86–87
जनपद बिजनौर के कतिपय ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रुचिवीरा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	87
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत ग्राम दिलावरपुर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आरिफ अनवर हाशमी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	87
जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्दराबाद अन्तर्गत करों नदी में गिरने वाले गन्दे नाले में प्रदूषित जल इकट्ठा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम–51	87–88

के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद फिरोजाबाद की कृषि रक्षा इकाई विकास खण्ड टूण्डला द्वारा उपलब्ध करायी गयी साइकेन एम–45 व मैन्कोजेव 75 डब्ल्यू0पी0 से हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश बाबू द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	88
जनपद लखनऊ के अन्तर्गत थाना हजरतगंज (नरही) के साथ–साथ कई वर्षों से पूरे लखनऊ में घूम–घूम कर तैनात एस0एस0आई0 श्री रमेश कुमार एवं हेड कांस्टेबिल श्री मिथिलेश के कार्य–कलापों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	88
जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास अन्तर्गत रेहुआ लालगंज में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	88–89
लखनऊ महानगर के अन्तर्गत 1986 में स्थापित कालोनी को नगर निगम द्वारा अधिग्रहीत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)... ...	89
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	89–90

उत्तर प्रदेश विधान सभा
सोलहवीं विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2015 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य–272

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
5. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
6. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
7. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
8. अताउररहमान, श्री बरेली
9. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
11. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
12. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
13. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
14. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
15. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
16. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
17. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
18. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
19. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
20. अमित गौरव यादव, श्री एटा
21. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
22. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
23. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती प्रतापगढ़
24. अरूण कुमार, डा0 बरेली
25. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
26. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
27. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
28. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
29. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
30. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
31. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
32. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
33. आलमबदी, श्री आजमगढ़
34. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
35. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
36. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
37. आशीष यादव, श्री बदायूं
38. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
39. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
40. इकबाल, श्री बिजनौर
41. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
42. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
43. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
44. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
45. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
46. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
47. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
48. उदयराज, श्री उन्नाव
49. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
50. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
51. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
52. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
53. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
54. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद

55. काली चरन सुमन, श्री आगरा
56. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
57. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
58. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
59. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
60. कैलाश, श्री गाजीपुर
61. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
62. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
63. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
64. गजराज सिंह, श्री हापुड़
65. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
66. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
67. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
68. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
69. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
70. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
71. गोमती यादव, श्री लखनऊ
72. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
73. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
74. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
75. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
76. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
77. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
78. जगपाल, श्री सहारनपुर
79. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
80. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
81. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
82. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
83. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
84. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
85. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
86. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
87. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
88. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
89. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
90. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
91. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
92. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
93. दलजीत सिंह, श्री बांदा
94. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
95. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
96. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
97. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
98. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
99. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
100. धर्मराज, श्री बाराबंकी
101. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
102. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
103. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
104. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
105. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
106. नवाजिश आलम खान, श्रीमुजफ्फरनगर
107. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
108. नाहिद हसन, श्री शामली
109. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
110. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
111. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
112. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
113. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
114. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
115. पीतमराम, श्री पीलीभीत
116. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली

117. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
118. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
119. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
120. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
121. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
122. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
123. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
124. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
125. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
126. 'बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
127. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
128. बदलू खां, श्री उन्नाव
129. बाबू खां, श्री हरदोई
130. बाबूलाल, श्री गोण्डा
131. बावन सिंह, श्री गोण्डा
132. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
133. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
134. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
135. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
136. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
137. बैजनाथ, श्री मऊ
138. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
139. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
140. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
141. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
142. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
143. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
144. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
145. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
146. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
147. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
148. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
149. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
150. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
151. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
152. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
153. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
154. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
155. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
156. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
157. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
158. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
159. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
160. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
161. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
162. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
163. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
164. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
165. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
166. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
167. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
168. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
169. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
170. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
171. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
172. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
173. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
174. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
175. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
176. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
177. 'राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
178. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
179. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद

180. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
181. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
182. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
183. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
184. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
185. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
186. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
187. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
188. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
189. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
190. राधे श्याम, श्री अमेठी
191. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
192. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
193. राम गोविन्द, श्री बलिया
194. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
195. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
196. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
197. राम मगन, श्री बाराबंकी
198. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
199. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
200. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
201. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
202. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
203. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
204. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
205. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
206. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
207. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
208. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
209. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
210. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
211. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
212. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
213. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
214. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
215. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
216. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
217. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
218. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
219. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
220. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
221. विजय सिंह, श्री रामपुर
222. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
223. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
224. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
225. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
226. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
227. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
228. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
229. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
230. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
231. शाकिर अली, श्री देवरिया
232. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
233. 'शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
234. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
235. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
236. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
237. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
238. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
239. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
240. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
241. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
242. संजय कपूर, श्री रामपुर
243. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
244. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर

245. सतवीर सिंह गुर्जर, श्रीगौतमबुद्ध नगर
246. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
247. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
248. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
249. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
250. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
251. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
252. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्रीबदायूं
253. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
254. सियाराम सागर, डा0 बरेली
255. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
256. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
257. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
258. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
259. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी
260. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
261. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
262. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
263. सुरेश राणा, श्री शामली
264. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
265. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
266. सुल्तान बेग, श्री बरेली
267. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
268. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
269. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
270. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
271. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
272. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :–पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) तथा कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

श्री अध्यक्ष–

द्वारा नत्थी (क) प्रश्न संख्या–1 पुकारे जाने पर)

ख11.00 बजे, बछरावां रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की भिड़न्त में तत्काल सहायता हेतु अधिकारियों को निर्देशित करने की मांग

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, एक बड़े विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि एक दुःखद हादसा रायबरेली जनपद के बछरावां रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की भिड़न्त से हुआ है और सैकड़ों लोगों के उसमें मारे जाने की सूचना मुझे अभी प्राप्त हुई है। मैंने इस बाबत प्रमुख सचिव गृह से तत्काल बात भी किया और सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि वहां पर मौके पर न डी0एम0 हैं न एस0पी0 हैं और जब मैंने प्रमुख सचिव गृह से इस बात की वेदना व्यक्त की कि इतने भीषण कांड पर तत्काल जिला प्रशासन को मौके पर पहुंचना चाहिए तो प्रमुख सचिव गृह यह कह करके कि दोनों अधिकारी छुट्टी पर हैं, यह सरकार किस तरीके से चल रही है मान्यवर, और ऐसे दुःख की घड़ी में जहां पर अतिरिक्त व्यवस्था करके पीड़ितों को तत्काल राहत दिया जाना चाहिए। अधिकारीगण एवं सरकार सो रही है तो अंत में हमको माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बात की शिकायत करनी पड़ी तो मान्यवर, ऐसे संवेदनशील मामलों पर तत्काल जो सरकार को सतर्कता बरतनी चाहिए, शासन प्रशासन उस पर चुप्पी साधे रहता है। हम समझते हैं यह बहुत ही दुःखद बात है। मान्यवर, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं और मान्यवर, आपकी पीठ से भी अगर इस बात का निर्देश चला जाय तो हम समझते हैं सैकड़ों की तादात में जो वहां हताहत हैं उनको कुछ न कुछ इस सदन की ओर से मरहम लगेगा।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह गेहूं खरीद की समीक्षा बैठक चल रही थी जब इस दुःखद घटना की सूचना मिली माननीय मुख्य मंत्री जी को। तत्काल उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया, जनपद रायबरेली के समस्त एम्बुलेंस को घटनास्थल पर पहुंचने और लखनऊ से भी एम्बुलेंस भेजने का, जनता एक्सप्रेस की यह दुर्घटना हुई है, यह हमारे सामने की बात है और इस प्रकरण को पूरी गम्भीरता से माननीय मंत्री जी ने लिया है। एम्बुलेंस, डाक्टर्स की टीम, अधिकारियों की टीम वहां के लिये रवाना की जा चुकी है, जैसे ही सूचना मिली है माननीय मुख्य मंत्री जी को।

प्रश्नोत्तर

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

प्रदेश में राशन कार्डों के नवीनीकरण की प्रक्रिया

'01–श्री मनीष असीजा, श्री दलवीर सिंह, श्री रविन्द्र भडाना, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री उपेन्द्र तिवारी तथा श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राशन कार्डों के नवीनीकरण की प्रक्रिया कब से चल रही है ? क्या सरकार को ज्ञात है कि लगातार लम्बे

समय से राशन कार्डों के नवीनीकरण प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रदेश के पी0डी0एस0 उपभोक्ताओं को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो सरकार नवीनीकृत राशन कार्डों को कब तक जारी कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

राशन कार्डों को डिजिटलाइज्ड कराकर नवीनीकरण कराये जाने का कार्य अक्टूबर, 2013 से प्रारम्भ किया गया है।

पी0डी0एस0 उपभोक्ताओं की असुविधा का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उपभोक्ताओं के पुराने राशन कार्डों पर समय से आवश्यक वस्तुएं वितरित की जा रही हैं।

कम्प्यूराइज्ड राशन कार्डों के वितरण का कार्य जारी है। दिनांक 03 मार्च, 2015 तक प्रदेश स्तर पर अन्त्योदय के 215608, बी0पी0एल0 के 194970 एवं ए0पी0एल0 के 1279482 राशन कार्ड लाभार्थियों को वितरित किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनीष असीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, जो यह सवाल है इसका उद्देश्य पूरे उत्तर प्रदेश के हर घर की चौखट में राशन कार्डों की पहुंच हो उससे संबंधित और जो कभी हम सबकी पहचान था और आज जरूरतमंदों सबसे बड़ी सहायता का कार्ड है, राशन कार्ड, उस सम्बन्ध में है। माननीय अध्यक्ष जी, 2005 से 2010 के बीच में जो कार्ड जारी हुए थे। पांच साल की अवधि के बाद नये कार्ड जारी होने थे। 2010 से आज 2015 आ गई। सरकार के द्वारा आठ बार राशन कार्ड के नवीनीकरण करने की समय–समय पर मोहलत ली गईं, सात बार 6–6 महीने की और आखिरी बार जब तक खाद्य सुरक्षा कानून नहीं लगता। प्रश्न के उत्तर में जो बाते हैं उसमें मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। यह काम पांच साल से पूरा नहीं हुआ यह चिन्ता का विषय है, उत्तर में कहा गया है कि पी0डी0एस0 उपभोक्ताओं की असुविधा का प्रश्न नहीं उठता। इसमें मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि दस साल पुराने कार्ड कट गए, फट गए, खो गए, निचले स्तर पर उनको राशन मिलने में बहुत बड़ी प्राब्लम हो रही है। जो नीचे दुकानदार है वह राशन नहीं देता है। दूसरी बात जो 2005 से 2015 के बीच में देश की आबादी का कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। हम सब जानते हैं कि किन्ही भी कारणों से फर्जी राशन कार्ड की प्रचुर मात्रा है। इसमें किसी को दोष देने से काम नहीं चलेगा यह व्यवस्था सालों से चल रही है। लेकिन जस्टिस बाघवा की समिति की सिफारिशों में जो एन0 टू एन0 कम्प्यूटराइजेशन के माध्यम से इन कार्डों के नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है जिससे इसका डी–डुप्लीकेशन हो सकेगा, फर्जी राशन कार्ड अपने आप बाहर हो जाएंगे। करोड़ों का, जो गरीबों का हक है जो लीक हो जाता है जो कालाबाजारियों के पेट में चला जाता है वह बन्द हो जाएगा और जरूरतमंद लोगों को अनाज मिल जाएगा। यह इसका उद्देश्य है। मान्यवर, आखिरी पार्ट में उत्तर पूछ रहा हूं मान्यवर, जो विभाग के द्वारा उत्तर दिया गया है वह उत्तर अपने आप में संतोषजनक तो बिल्कुल भी नहीं है। साढ़े चार करोड़ लगभग कार्ड हैं हमारे और हमने 16 लाख 90 हजार कार्ड अभी

तक जारी किए हैं। अगर प्रतिशत में देखें तो एक प्रतिशत में भी नहीं है आधा प्रतिशत भी नहीं है 0.25 परसेन्ट है यह।

श्री अध्यक्ष–

सवाल पूछिए।

श्री मनीष आसीजा–

माननीय अध्यक्ष जी, जो सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है खाद्य एवं रसद विभाग के पास मात्र दो हजार लोगों की स्ट्रेन्थ होगी कम ज्यादा में। बीस करोड़ लोगों के राशन कार्ड के डिजिटिलाइजेशन का, इनके नमूनों के सर्वेक्षण का काम यह विभाग कर कैसे लेगा। जब तक पूरी प्रदेश सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुपरमिशन मोड पर आकर...

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल पूछिए।

श्री मनीष आसीजा–

यह सवाल ही है, अगर इसका सर्वेक्षण नहीं करेगी तो मैं समझता हूं कि 2010 से 2015 आ गया, आगे बात और टलेगी, पहला प्रश्न मान्यवर यह है कि आप पूरी सरकार के साथ सुपरमिशन मोड पर प्रत्येक विभाग पर युद्ध स्तर पर कार्यवाही करके कार्डों के नवीनीकरण की प्रक्रिया को आरम्भ करायेंगे और कब तक पूरा कर लेंगे ? दूसरा इसी से जुड़ा आपका पैरेलल सर्वेक्षण चल रहा है खाद्य सुरक्षा अधिनियम का, जो 01 अप्रैल 2015 से आपको लागू करना था और जो अब हो भी नहीं पाएगा। आगे होगा, तो उसे आप कब तक कर पाएंगे अगर यह सरकार सुपरमिशन मोड पर आपके विभाग के साथ खड़ी नहीं हुई तो यह काम नहीं हो पाएगा अनाज लीक होता रहेगा। मुझे इन दो प्रश्नों के उत्तर चाहिए।

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक राशन कार्डों का प्रश्न है खाद्य विभाग के बजट में परसों मैंने आपके समक्ष निवेदन किया था कि कार्ड अब जो बनने हैं वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनने हैं, नये बनने हैं। जिनके पुराने बी0पी0एल0 के राशन कार्ड, जैसा कि मा0 सदस्य ने कहा कार्ड पुराने हो गए हैं, या फट गए हैं या नष्ट हो गए हैं, ऐसी स्थिति में उस कार्ड को रिप्लेस करने का, नये कार्ड देने का प्राविधान है। यह सही है कि खाद्य विभाग में कर्मचारियों की, अधिकारियों की कमी है और कमोवेश यह स्थिति हर विभाग में है। लेकिन यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि यह गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है चाहे वह किसान को उसका समुचित मूल्य दिलाने की जिम्मेदारी हो, चाहे खाद्यान्न पहुंचाने की जिम्मेदारी हो यह दोनों ही अति महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारी सरकार की प्राथमिकतायें हैं हां इतना जरूर है कि केन्द्र सरकार अभी तक अपने रुख को स्पष्ट नहीं कर सकी है। अभी तीन बार केन्द्र सरकार समय बढ़ा चुकी है तो उनका जो निर्देश आयेगा, उनके जो मानक रहेंगे, उनके जो मापदंड रहेंगे उसके अनुसार ही

हमको चलना है तो पहले तो केन्द्र में बैठी हुयी सरकार यह तय कर ले। श्रीमन्, अभी हम लोगों को लिखित तो नहीं मिला है, लेकिन वहां के वरिष्ठ अधिकारी अपने यू0पी0 काडर के आई0ए0एस0 हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक तो 75 प्रतिशत आबादी को संतृप्त करने का सैचुरेट करने का लक्ष्य था। अब उसमें आगे चल करके कुछ कमी करने की उनकी योजना है तो जब तक हमें वहां से स्पष्ट निर्देश नहीं मिलेंगे कि कौन–कौन से इन्क्लूजन क्राइटेरिया और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हैं, लेकिन इसके बावजूद कम्प्यूटराइजेशन का काम जैसे बजट वाले भाषण में हमनें निवेदन किया था पांच में से चार चरणों को 100 परसेन्ट कर लिया गया है शेष 60 प्रतिशत काम कुल मिलाकर के मात्र 40 प्रतिशत पांचवें चरण का काम बचा हुआ है और हमको उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसको हम पूरा कर लेंगे। आपकी चिन्ता जायज है और आपकी चिन्ता के साथ–साथ पूरी सरकार इस विषय को गम्भीरता से ले रही है और चिन्तित है। आपका भी सहयोग चाहिये। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

अब उपेन्द्र तिवारी जी आप पूछ लीजिये।

(विपक्ष के कई सदस्यों के खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

देखिये कल यह तय हुआ है कि एक सप्लीमेंट्री पर पूरा सदन सहमत था। तीन प्रश्न होंगे और तीन से ज्यादा नहीं हो सकते। इसमें तमाम सदस्यों ने अपना नाम दिया है। आपने अपना पूछ लिया है अब दो सदस्य आपके इसमें से और पूछ सकते हैं। उपेन्द्र तिवारी ने बोलने के लिये हाथ उठाया है वह पूछ लें, असीजा जी आप बैठ जाईये।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि प्रश्न पूछने पर प्रतिबन्धित करने से प्रश्न की महत्ता खत्म हो जाती है और मान्यवर, यदि किसी किसी प्रश्न पर उत्तर जानने के लिये कई मा0 सदस्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है तो इससे प्रश्न की महत्ता बढ़ती है और सभी प्रश्नों में ज्यादा अनुपूरक भी नहीं पूछे जाते। सभी प्रश्नों में बहुत ज्यादा मा0 सदस्यगण पूछते भी नहीं हैं। जो सार्वजनिक जीवन से, प्रदेश के हितों से संबंधित प्रश्न होते हैं उसी पर ज्यादा लोग प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। इसलिये मान्यवर, मैं आपकी कृपा चाहूंगा कि इस पर आपकी सदाशयता बनी रहनी चाहिये। पूर्व में आपका जो संरक्षण मिलता रहा है उससे वंचित नहीं किया जाना चाहिये और प्रश्नों का कम होना, प्रश्नों का ज्यादा होना, यह प्रश्नों के महत्व पर निर्भर करता है इसलिये एक प्रश्न या दो प्रश्न के अतिरिक्त न पूछने का प्रतिबन्ध हम समझते हैं न व्यावहारिक है, न समीचीन है, और आपकी पीठ की जो सदाशयता है, उसके भी प्रतिकूल है। इसलिये इस पर मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता विरोधी दल ने जो बात कही है हम उसका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

कल तो आप सब लोग इसका समर्थन कर रहे थे कि दो या तीन ही प्रश्न पूछे जायें। आप भी थे। यह प्रश्न महाना जी ने रखा था, श्यामदेव राय चौधरी जी ने रखा था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आज केवल छह प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष–

आज का प्रश्न नहीं है। कल आप तो नहीं थे, लेकिन आपके ही सदस्यों ने इसका समर्थन किया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रश्न के महत्व पर निर्भर करता है। पहले यह पूछ लें, उसके बाद असीजा जी पूछ लेंगे। मान्यवर, कृपा करके इस पर प्रतिबन्ध न लगायें।

श्री अध्यक्ष–

मैं क्या करूं, कल सदन में इसी पर सहमति बनी थी। हमनें कुछ नहीं किया है। प्रश्न आया, मैंने प्रश्न रख दिया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी सरपट दौड़ और निर्देश में हो सकता है कि हमारे सदस्य लोग भ्रमित हो गये हों, लेकिन मान्यवर उस सरपट दौड़ में हमारा यह हक नहीं मारा जाना चाहिये, इसके लिये आपका संरक्षण चाहिये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, यह प्रश्न महाना जी ने रखा था, उस पर आपने निर्देश दे दिया। सारे सदन ने सर्वसम्मति से उसको पास कर दिया। अब आप इस तरह उसको बदल नहीं सकते या तो आप फिर से उसको सदन में ले आयें, यहां उसको बदला जाये और नहीं तो मा0 अध्यक्ष जी आप इसको बदल नहीं सकते।

श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा औचित्य का प्रश्न यह नहीं था। आप कृपापूर्वक उसको देख लें। मेरा औचित्य का प्रश्न जो मैंने लगाया था, मेरा निवेदन सुन लें मान्यवर। जो एक घंटा बीस मिनट से बढ़ाकर ....

श्री अध्यक्ष–

नहीं–नहीं, यह अलग से आया था। यह औचित्य पर नहीं आया था। यह प्रस्ताव अलग से आया था।

श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी, आप जो कहते हैं वह हम लोग मान जाते हैं। आज हम निवेदन कर रहे हैं आप मान जाइये।

श्री अध्यक्ष–

अगर आप लोग सहमत हैं तो हमें कोई बात नहीं है, आपका ही प्रस्ताव था।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपसे यह आग्रह किया था, उसका आशय यह था कि रोजाना की कार्य–सूची में 20 तारांकित प्रश्न होते हैं और 02 अल्पसूचित प्रश्न होते हैं लेकिन दुख का विषय यह है और इस प्रश्न को उपस्थित करने का मेरा आशय यह था कि 5, 6, 7 प्रश्न आते–आते प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है तो जितने और मा0 सदस्यों के प्रश्न हैं, वह अनुत्तरित रह जाते हैं, उन पर एक भी मा0 सदस्य या स्वयं प्रश्नकर्ता भी अनुपूरक नहीं कर पाते हैं तो यदि आप प्रश्नकर्ता को 02 अनुपूरक करने की और बाकी जिसको आप चाहे, उसको अनुपूरक करने की अनुमति देंगे तो हमारा ख्याल है कि सारे प्रश्न उत्तरित हो सकते हैं। मेरी यह व्यक्तिगत राय है और व्यावहारिक है। लोक सभा में भी प्रश्नकर्ता द्वारा दो प्रश्न ही अनुपूरक किए जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

श्री मनीष असीजा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि कम्प्यूटराइजेशन के लिए जो प्रतिबद्धता दिखायी है, वह समयबद्ध सीमा में पूरी होनी चाहिए और दूसरी बात जो मा0 मंत्री जी ने कही है कि केन्द्र सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा कानून में कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो ऐसी कोई बात नहीं है। 01 अप्रैल, 2015 हमारे पास अन्तिम तिथि थी, खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने की, जो आप कर नहीं पा रहे हैं तो मेरा यह कहना है कि आप जब तक खाद्य सुरक्षा कानून लागू नहीं करेंगे तब तक ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 80 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र के लगभग 65 प्रतिशत लोगों को खाद्य सुरक्षा से आच्छादित नहीं कर पायेंगे। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को उत्तर प्रदेश में कब तक लागू कर देंगे ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो माननीय सदस्य को धन्यवाद, इन्होंने बहुत बड़ा संशय हमारा दूर कर दिया और जैसा कि मैंने कहा था, निवेदन किया था कि उत्तर प्रदेश के ही एक वरिष्ठ आई0ए0एस0 वहां के खाद्य विभाग में हैं, उनके माध्यम से यह सूचना मुझको मिली। लेकिन अब आपका यह कहना है कि कोई भी परिवर्तन केन्द्र सरकार इसमें नहीं करने जा रही है। अब आपके मुताबिक 75 प्रतिशत लाभार्थी पूरे उत्तर प्रदेश की आबादी के लाभान्वित होंगे तो यह हमारे प्रदेश के लिए भी बड़ी प्रसन्नता की बात है। 05 अप्रैल तक समय लिया गया है और सम्भवतः एक बार और समय बढ़ाने की

आवश्यकता पड़ेगी और श्रीमन्, इसके पीछे कारण यह है कि मान लीजिए हम इसमें प्रियारिटी हाउस होल्ड या जिसको प्राथमिकता गृहस्थी कहते हैं, हम चयनित कर लें। 75 प्रतिशत आबादी को हमने चयनित कर लिया और कल के दिन केन्द्र सरकार यह कहे कि हम 75 नहीं 50 परसेण्ट लोगों को ही यह लाभ देंगे, फिर हमको नया सर्वे करना पड़ेगा, फिर वह 25 प्रतिशत जो कटेंगे, उनकी वेदना को हमको झेलना पड़ेगा, एक नए ढंग से फिर से सर्वे करना पड़ेगा तो जो भी काम हो रहा है, बहुत मजबूती के साथ हो रहा है, पूरे एहतियात के साथ हो रहा है और जैसा कि मैंने निवेदन किया है, निश्चित यह हमारे पास सूचना है कि कुछ परिवर्तन इसमें केन्द्र सरकार करने जा रही है। मान्यवर, इस कार्य को जल्दी से जल्दी करने का हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य के प्रति हम कमिटेड हैं।

श्री उपेन्द्र तिवारी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राशन कार्ड बनाने के लिए कितना धन जमा कराने का प्राविधान है तथा पेपर जमा करने के कितने दिन के अन्दर यह कार्ड मिलना चाहिए क्योंकि इसमें कोई समय–सीमा नहीं है, बहुत डिले हो रहा है। इन दो विषय पर मैं जानना चाहता हूं और जिन जनपदों में बहुत धीमे काम चल रहा है, उन कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

श्रीमन्, कर्मचारी तो बेचारे वैसे ही ओवर टाइम काम कर रहे हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या इतनी कम है और उनकी ऐसी कोई कमी, कोई दोष, कोई गलती तो पायी नहीं गई है जिससे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और अन्त्योदय कार्ड फ्री है, बी0पी0एल0 कार्ड के लिए 5 रुपये है और ए0पी0एल0 कार्ड के लिए 10 रुपये है। जब खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो जायेगी तो अन्त्योदय योजना का पूरा–पूरा इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। बी0पी0एल0 में से चयनित किए जायेंगे। अगर आप यह जानना चाहें कि इन्कलोजर क्राइटेरिया क्या है एक्सपोजर क्राइटेरिया क्या है किन लोगों को इसमें सम्मिलित किया जायेगा तो वह हम पढ़ कर बता दें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर बहुत छोटे–छोटे प्रश्न करूंगा ताकि और भी लोग कहें। मा0 मंत्री जी की जो अपनी कठिनाई है वह अपनी जगह है लेकिन हमारा सम्बन्ध जनता को हो रही कठिनाइयों से ही है। और उसको यहां सदन में उठाकर हम उसका निदान चाहते हैं। एक तो कई बार यह नवीनीकरण का कार्य प्रारम्भ हुआ फिर रुका फिर प्रारम्भ हुआ तो इसमें जनता का काफी पैसा व्यय हो गया। अब जो एक नया आदेश अभी बनारस के विषय में मैं जानता हूं आज ही मैंने बात की कि वह डी0एस0ओ0 हैं और उनके स्तर पर यह प्रकाशित हुआ है कि जो भी फार्म भरे जाएंगे वह ऑन लाइन भरे जायेंगे। ऑन लाइन के लिए अभी क्या जो हमारी इतनी बड़ी आबादी है जो अशिक्षित है जो गरीब हैं जो गांव में रहते हैं क्या वह इसके लिए तैयार हैं वो समर्थ हैं। दूसरी दिक्कत यह भी है जहां ऑन लाइन की सुविधा हो सकती है वहां सर्वर डाउन रहता है। गांव में सर्वर तो

होता नहीं होगा अगर वह होता भी होगा तो भी दिन भर डाउन रहता होगा। मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि इसको दोनों तरह की रखें एक तो जो ऑन लाइन करने में सक्षम हैं उनको ऑन लाइन भरने दीजिए। दूसरे जो मैन्युअली भर सकते हों उनको भी स्वीकार करें। उसमें नया फरमान भी आ गया है कि परिवार की महिला उसको भरेंगी। मेरी पत्नी का स्वर्गवास 2006 में हो गया है तो मैं क्या करूंगा? यह एक कठिनाई है। मैंने अपना उदाहरण दे कर यह बताया है कि इस तरह की परिस्थिति में उसका विकल्प क्या होगा। आप यह भी बताने की कृपा करें कि सारे सदस्यों का फोटो चाहिए और कोई बाहर है कोई आज है कल नहीं है और समय बीत गया। यह मेरे छोटे–छोटे व्यावहारिक प्रश्न हैं।

श्री सुल्तान बेग–

मा0 अध्यक्ष जी मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति की दो या तीन पत्नियां हों तो उसमें कौन मुखिया रहेगी यह भी बता दीजिए।

श्री रघुनंदन सिंह भदौरिया–

मा0 अध्यक्ष जी मैं मा0 सदस्य की बात का समर्थन करते हुए मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कम से कम उनके लिए भी कोई व्यवस्था कर दी जाए।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया सहित विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

बैठिए। समय न बर्बाद करें। बैठिए पहाड़िया जी क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं। अब और प्रश्न लेने दीजिए। मंत्री जी इसका उत्तर दे रहे हैं सुन लीजिए।

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी बार–बार मैंने निवेदन किया है कि बी0पी0एल0 और अन्त्योदय कार्डधारकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है ? इस विषय को अब यहीं समाप्त कर दें। मैं नहीं समझता हूं कि अब इसमें पुनः अनुपूरक प्रश्न करने के लिए कुछ है। दूसरा, 'दादा' ने कहा कि कम्प्यूटराइजेशन। श्रीमन्, ऑनलाइन तो करना होगा क्योंकि पूरी प्रक्रिया को केंद्र सरकार ने भी कहा है। हमारी मजबूरी है उसको आनलाइन करना है। यह सही बात है कि जो अशिक्षित हैं या जो कम्प्यूटर चलाना नहीं जानते हैं। हमने कहीं भी यह नहीं कहा है कि आप अपने आप स्वयं कम्प्यूटर चलाकर उसको ऑनलाइन करिये। सर्वर डाउन होना, मान्यवर, यह केंद्र सरकार के अधीन विभाग होता है। तो अगर सर्वर डाउन है तो उसमें प्रदेश सरकार या खाद्य विभाग की कोई गलती नहीं है। वह तकनीकी कमी है। जो 'दादा' का असली प्रश्न है तो मैं समझता हूं कि इसमें आप ही नहीं हैं इसमें आदरणीय खन्ना जी हैं। आपके नेता आदरणीय मोदी जी हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

पहले सुन लीजिए। पत्नी है या नहीं है इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। पत्नी साथ में नहीं है। तो यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यह तो आप लोगों ने कांग्रेस ने तय किया है कि

घर की मुखिया अब महिला होगी। तो वह महिला अगर नाराज होकर मायके चली जाये राशन कार्ड लेकर के चली जाये तो अब इतना तो रखाया नहीं जा सकता। आपकी चिन्ता से भी हम वाकिफ हैं। आपकी चिंता जायज है गंभीर है। अब इसमें चलिये साथ–साथ हम लोग दिल्ली चलेंगे आपकी सरकार से वहां अनुरोध किया जाएगा। अगर इसका कोई निदान निकाल सकें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सबसे पहले कांग्रेस की सरकार को बधाई दूंगा कि उसने देश में एक क्रांति लाते हुए खाद्य सुरक्षा कानून देश में लागू करने का काम किया। और पूरे देश में उत्तर प्रदेश काफी पिछड़ा रहा। उत्तर प्रदेश ने 2015 अप्रैल में इसकी शुरूआत करने की घोषणा की है। मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अक्सर यह होता था कि ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 और अन्त्योदय कार्ड के चक्कर में फंसकर तमाम ऐसे लोग जो पात्र रहते उन लोगों को राशन नहीं मिल पाता था और एक मानक तय था कि इतने राशन कार्ड ही जारी होंगे उसके बाद लोग वंचित रह जाते थे। मैं मा0 मंत्री जी यह जानना चाहूंगा कि एक सामाजिक–आर्थिक जनगणना 2011 में हुयी थी। यू0पी0ए0 सरकार ने करायी थी और उस आधार पर राशन कार्ड जारी करने की बात कही गयी थी। क्या मा0 मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो समाजिक आर्थिक जनगणना हुयी थी उसके आधार पर राशन कार्ड जारी कराये जायेंगे। दूसरा सवाल यह है कि जो सर्वे किया जा रहा है उसमें वही पुरानी पद्धति अपनायी जा रही है। एक तो सेक्रेटरी दूसरा आंगनबाड़ी तीसरा रोजगार सेवक। इन तीन लोगों को सर्वे के लिए लगाया गया है। आप जानते हैं कि सेक्रेटरी ग्राम प्रधान के अधीन होता है। फिर वही स्थिति होगी कि जो समाज के गरीब वर्ग के लोग होंगे कमजोर वर्ग के लोग होंगे वह लोग राशन कार्ड से वंचित हो जायेंगे और समाज के जो बलशाली लोग होंगे वही लोग राशन कार्ड पायेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी यह जानना चाहूंगा कि क्या नई एजेंसी लगाकर इस सर्वे को कराकर उन ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 या अन्योदय वाले जो लोग पात्र हैं उनको राशन कार्ड जारी कराने की व्यवस्था और कम्प्यूटर में फीड कराने की व्यवस्था करायी जाएगी ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य की इस बात से हम सहमत नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश इस काम में पिछड़ा है। यह सही बात है कि कांग्रेस ने जब इस योजना का सूत्रपात किया तो उस समय जो कांग्रेस शासित राज्य थे या उनकी गठबंधन की सरकारें थीं उन्होंने जल्दबाजी में केन्द्र सरकार को खुश करने के लिए इसको लागू किया। लेकिन जिन राज्यों में यह लागू है उनके सामने क्या–क्या दिक्कतें आ रही हैं शायद आप इससे अवगत नहीं हैं और उत्तर प्रदेश की आबादी कई राज्यों से दस–दस गुना है। सबसे बड़ा काम है उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी को कम्प्यूटराइज्ड करके एक सूची बनाना उसमें से पात्रों का चयन करना और जल्दी का काम शैतान का होता है, एक कहावत है हम लोगों के यहां चलती है तो श्रीमन सबसे आवश्यक यह है कि काम

ठोस हो, कल के दिन शिकायत का मौका न मिले और अगर इसमें केन्द्र सरकार बदलाव नहीं करती है 75 प्रतिशत आबादी इससे संतृप्त हो रही है, जिनको 3,2 और 1 रुपये के हिसाब से यानी 3 रुपये में गेंहूं 2 रुपये में चावल और 01 रुपये में मोटा अनाज पूरे प्रदेश की 75 प्रतिशत आबादी को मिलने जा रहा है। इसमें ऐसा नहीं है कि बी0पी0एल0 कार्ड के लिए मारा–मारी हो रही है, अन्त्योदय कार्ड के लिए मारा–मारी हो रही है किसी तरह बढ़ाइये। इसके पहले हमने कई बार पत्राचार किया। आपकी सरकार भी थी और आपकी सरकार में भी न तो बी0पी0एल0 की संख्या बढ़ाई गयी न अन्त्योदय की संख्या बढ़ायी गयी, आपने भी प्रयास किये लेकिन अगर यह योजना यथावत चलती है तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई पात्र व्यक्ति इससे वंचित रह जायेगा। आपने सोशियो इकनामिक कास्ट सेन्सेस कहा, वह आपके यहां से ही देर में आयी थी, तीन महिना लेट हमको प्राप्त हुई जो सामाजिक आर्थिक जो सर्वेक्षण की सूची की बात कर रहे हैं और उस सूची को ही आधार माना गया है उसमें जो पात्रो का चयन जो इन्क्लूसिव क्राइटेरिया है और जो एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया है, उसको आधार मानते हैं।

श्री रविन्द्र भडाना–

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा हालाकि उनकी बड़ी अच्छी सोच है कि पारदर्शी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हो। यह बड़ा कार्य है जो नीचे तक जन सामान्य से जुड़ा है। यह वास्तविकता है कि इस कार्य में बहुत अधिक जनशक्ति भी लगेगी लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के संज्ञान में यह भी है कि जो उसमें आनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं उसमें लोगों से धन वसूली हो रही है। उसके पीछे लोगों से लूट की जा रही है और माननीय अध्यक्ष जी 100–100, 200–200 रुपया तक प्राइवेट में आनलाइन फार्म बनाने का लोग ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यह पारदर्शी व्यवस्था हेतु किया गया था यह बात ठीक है लेकिन राशन डीलर को सौंप दिया गया है यह काम। कई राशन डीलर और क्षेत्र की जनता इतनी ज्यादा परेशान है कि विभाग के कर्मचारी वहां तक जायें और काम करें वह काम कम करना चाहते हैं बाकी दूसरे लोगों के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ कर राशन कार्ड का काम निपटाना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा माननीय मंत्री जी से यह सवाल है कि क्या हम इसको पारदर्शी बनाकर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के प्रति भी कहीं न कहीं कटिबद्ध होगी ? इस पर कार्य करेगी ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने यह कहा कि क्या सरकार इससे अवगत है, कहीं भी हो रहे लूट या इस तरह की जो आपने बताया, इससे हम अवगत नहीं है लेकिन अगर आपके संज्ञान में यह प्रकरण आया हो, हम लोग अपने स्तर से भी यह पता करते रहते है, माननीय विधायकों से वार्ता भी होती है अगर कोई आपके संज्ञान में हो तो मैं चाहूंगा कि आप वह डीटेल हमें दें और निश्चित रूप से इस पर कार्य होगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि केन्द्र सरकार की वजह से यह योजना डिले हो रही है। मेरी निश्चित जानकारी है, मेरी स्वयं राम विलास पासवान जी से बात हुई थी 15 तारीख को और उन्होने मुझसे यह कहा कि उत्तर प्रदेश इसको लागू नहीं कर रहा। बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्य इसको लागू कर चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र की 79 प्रतिशत जनता और शहरी क्षेत्र की 64 प्रतिशत जनता, वह गरीब जनता जिसके लिए हम वर्षों से यहां पर आवाज उठाते रहे कि इनको बी0पी0एल0 कार्ड दिया जाये, इनको अन्त्योदय कार्ड दिया जाये। उन लोगों की संख्या हम बढ़ाने की बात करते रहे, माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस पर कई बार पत्राचार किया लेकिन जब मान्यवर केन्द्र सरकार ने 2013 में कानून लागू कर दिया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय केन्द्र सरकार के सहयोगी थे, उस वक्त की यह योजना है। यू0पी0ए0 सरकार की योजना थी और मान्यवर मोदी जी ने इसको कन्टीन्यू करने का फैसला किया। मान्यवर उत्तर प्रदेश सरकार की वजह से यह देरी हो रही है वह लागू नहीं कर रहे हैं। 09 बिन्दुओं के ऊपर उन्होनें स्पष्टीकरण मांगा जो कि आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार इस स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दे पायी है। इसलिए देरी हो रही है देरी केन्द्र सरकार की वजह से नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप अनुपूरक पूछिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि आखिरकार जब उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से देरी हो रही है तो केन्द्र के ऊपर गेंद क्यों फेंकी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें शीघ्रता कर के कब तक गरीबों के लिए अंत्योदय और बी0पी0एल0 कार्ड की व्यवस्था करेगी, जिससे 79 परसेण्ट ग्रामीण और 54 परसेण्ट शहरी जनता लाभान्वित हो सके।

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

मान्यवर, या तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं या मा0 खन्ना साहब समझना नहीं चाहते हैं। अभी आपने कहा कि कब तक बी0पी0एल0 कार्ड की व्यवस्था करेंगे, बी0पी0एल0 जैसा कोई कार्ड अब बचेगा नहीं, यह समाप्त होने जा रहा है, अंत्योदय समाप्त होने जा रहा है, इसलिए अब बी0पी0एल0 की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, सीधा–सीधा सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार फूड सिक्योरिटी ऐक्ट को कब तक लागू कर देगी ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, अंत्योदय जितने भी कार्ड धारक हैं, उनको पूरा का पूरा ऐज इट इज प्राथमिकता ग्रेसिटी यानी कि प्रायरिटी हाऊस बोर्ड में हम ले रहे हैं, वही दर हर वर्ग के लिए, आप कृपया यह न समझें कि अन्त्योदय से जो आ रहे हैं उनके लिए अलग दर है, बी0पी0एल0 से जो आ रहे हैं, उनके लिए अलग दर है, इसमें फ्लैट रेट है, एक

रेट है। 3, 2, 1 तो पहली बार तो आप यह कृपा कर के समझने का प्रयास करें कि इसमें दरों में कोई भिन्नता नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, सवाल सिर्फ यह है कि किस तारीख से उत्तर प्रदेश सरकार फूड सिक्योरिटी ऐक्ट को लागू करेगी ? वह तारीख बता दें मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये, तारीख मैं तय नहीं करा सकता।

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

श्रीमन् इस तरह तारीख तो नहीं बताई जा सकती, हम उस तरफ प्रयासरत हैं, गम्भीरता से और मजबूती से काम हो रहा है, पूरी पारदर्शिता से हो रहा है और यह कृपया न कहें कि केन्द्र सरकार की तरफ से देरी नहीं हो रही है। आपने हमको सोशियो इकोनॉमिक सेंसस की जो सूची भेजी, वही भेजने में देर हुई। देर हमारी तरफ से नहीं है। आपका जो सेंसस आया वह तीन महीने विलम्ब से आया। कोई ज्योतिषी नहीं हैं कि इस तारीख को इतने बजे से लागू होगा। हमारा काम पूरा हो जाय, हम संतुष्ट हो जांय कि हां सही लोगों को सूची में इन्क्लूड किया गया ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

तारीख नहीं तो महीना ही बता दें ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

हम महीना भी नहीं बता पायेंगे।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने हमारे नेता मा0 श्री मुलायम सिंह यादव जी का नाम लिया और उनका नाम लेकर के यह कहा कि केन्द्र में 2013 में वह सहयोग कर रहे थे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा कानून के सवाल पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी और राज्य सभा में भी स्पष्टतः से यह बात कही थी कि यह किसानों का विरोधी कानून है और यह ठीक कानून नहीं है, यह बात उन्होंने कही थी और समाजवादी पार्टी के जहां तक सहयोगी दल होने का सवाल है, देश को साम्प्रदायिक ताकतों से बचाने की दृष्टि से मुद्दों पर जब कभी आवश्यकता थी, समाजवादी पार्टी ने उसका सहयोग किया, लेकिन केन्द्र सरकार में सहयोगी दल के रूप में समाजवादी पार्टी कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं रही।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

प्रदेश के अनेकों जनपदों से अवैध खनन को रोकने सम्बन्धी जानकारीद्ध

'01–श्री सुरेश राणा तथा श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या भू–तत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवैध रूप से सहारनपुर, शामली, बागपत, सोनभद्र, बांदा सहित अन्य जिलों में हो रहे अवैध खनन की सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश भर में हो रहे अवैध खनन को रोकने हेतु कोई नीति तैयार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भू–तत्व एवं खनिकर्म मंत्री (श्री गायत्री प्रसाद)–

व्यापक रूप से अवैध खनन की कोई सूचना नहीं है। छिटपुट रूप से अवैध खनन की जहां भी सूचना प्राप्त होती है वहां जिला स्तर पर गठित कार्यबल द्वारा तत्काल कार्यवाही की जाती है।

जी नहीं। कार्य योजना पूर्व से है।

संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश राणा–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस राष्ट्रीय अस्मिता, किसानों और तमाम प्रकार के जो आज इस अवैध खनन से खतरे पैदा हो रहे हैं, उस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अनुपूरक पूछने का मौका दिया। मा0 अध्यक्ष जी, मैंने बजट पर चर्चा के दौरान भी कहा था कि हथिनी कुण्ड बैराज, चूंकि आज सरकार ने खुद माना है कि 184 एफ0आई0आर0 हुईं, 8404 छापे पड़े हैं, इन छापों के अगेन्स्ट 184 एफ0आई0आर0 हुईं हैं, यह अन्तर भी अपने आप में स्पष्ट करता है कि खनन माफियों के खिलाफ तो कार्रवाई हुई नहीं और जिस प्रकार से आज अवैध खनन के कारण राष्ट्रीय अस्मिता को भी खतरा है। हथिनी कुण्ड बैराज की दीवार भी जहां झुक गयी है उसके आगे जब हम चलते हैं तो पूरा सहारनपुर का क्षेत्र, आगे पूरा कैराना क्षेत्र, पूरा बागपत क्षेत्र, यह सारा क्षेत्र तो पश्चिम का है और बाकी सोनभद्र, बांदा, गोण्डा, ये पूरा इलाका, इस पूरे क्षेत्र में अवैध खनन के कारण नदियों ने रूख मोड़ दिया है। जब यमुना ने रुख मोड़ा है तो रुख मोड़ने के कारण लाखों किसान प्रभावित है, लाखों किसान तबाह हो गये हैं। मेरे कैराना क्षेत्र में हालत यह है कि चौतरा, गुडुम्बी बहुत सारी एक बेल्ट है सीयर–खादर की, नाई नगला, पोल्टू तक कि उनका किसान आज इस हालत में है कि रात को वह सो नहीं पाता क्योंकि यमुना बिल्कुल उनके घर के पास आ गई है। कारण क्या है, केवल अवैध खनन है और बजट में कहा गया है कि 1100 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल पूछिये।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, सवाल पर ही आ रहा हूं। मा0 अध्यक्ष जी, बड़ा महत्वपूर्ण है, आप की कृपा चाहता हूं। बजट में कहा गया है कि 1100 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है राजस्व प्राप्ति का। मा0 अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि 1100 करोड़ की उगाही तो अवैध खनन से पर डे हो रही है और यह एक पूरा पैरालेल साम्राज्य खनन माफियाओं का स्थापित हो गया है। बागपत और तमाम जगह पर आज इस तरह की हालत है और मैं सरकार से निवेदन भी करता हूं कि इसमें कोई आलोचना का या आरोप लगाने का विषय भी नहीं है। मैं निवेदन भी करता हूं कि यदि आपको एक सीन देखना हो अवैध खनन का तो आप सीधे लोनी से चलें और आपके इधर पूर्वांचल की स्थिति तो बाकी सदस्य बेहतर बतायेंगे। लगातार बागपत से लेकर के पूरी सहारनपुर की बेल्ट तक हजारों ट्रैक्टर, ट्रालियां ऐसे खड़े हैं खुलेआम बिना किसी डर के जिनके माध्यम से अवैध खनन हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

आप केवल विवरण दे रहे हैं, सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सवाल पूछिये।

श्री सुरेश राणा–

मा0 अध्यक्ष जी, यह सवाल इसलिये भी महत्वपूर्ण है कि आप बहुत चिन्तित रहते हैं इन विषयों को लेकर। सारी सड़कों में जो गड्ढे हैं उसका कारण भी अवैध खनन है। कारण क्या है कि ये जो 400–400, 500–500 क्विन्टल के ट्रक और ट्राली भर–भर के अवैध खनन के चल रहे हैं इन्होंने सड़क बिल्कुल धरती में एकदम मिला दी है, तालाब बना दिया है। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा सवाल यह है सरकार से कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिन्हें सरकार वैध मानती है ऐसे पट्टों की कितनी संख्या है, किन–किन जनपदों में है और क्या सरकार ने उन पट्टों के अलावा उनकी गहराई का मापदण्ड क्या है कि कितनी गहराई तक खनन हो सकता है, यह मेरा एक सवाल है और दूसरा सवाल यह है कि यह जो पूरी नदियों ने मुंह मोड़ा है अवैध खनन के कारण तो क्या सरकार कोई समिति बना करके, किसी प्रभावशाली समिति का गठन करके जहां–जहां नदियों ने अवैध खनन के कारण चाहे शुक्रताल हो, चाहे हस्तिनापुर हो पूरे क्षेत्र में जहां–जहां नदियों ने अवैध खनन के कारण अपना मुख मोड़ा है जिससे आज हजारों किसान तबाही के कगार पर हैं तो क्या सरकार कोई हाईपावर कमेटी बना करके उन ऐसे स्थानों का अवलोकन कर ऐसा कठोर कानून बनायेगी जिससे ऐसा अवैध खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही हो सके। ये दो मेरे सवाल हैं।

श्री गायत्री प्रसाद–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य बड़ी बाखूबी से पूरे प्रदेश की जनता को बिल्कुल गुमराह करते हैं और सदन को गुमराह करते हैं।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

प्रदेश की जनता को गुमराह तो आप कर रहे हैं, सरकार कर रही है।

श्री गायत्री प्रसाद–

मैं जवाब दे रहा हूं तो जवाब सुनिये। आपने अभी 1100 करोड़ की बात कही कि 1100 करोड़ रुपये प्रतिदिन सरकार का नुकसान हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी दोहरा रहा हूं कि आपने सहारनपुर की बात कही थी। आप 11 करोड़ की बात भी बता दीजिये कि अगर 11 करोड़ का राजस्व आ रहा हो तो यह आपको बताना पड़ेगा। दूसरा यह है कि जहां आप पट्टे की बात कर रहे हैं तो जो कुल पट्टे अब 2014 तक हैं, हमारी सरकार में भी पट्टे हुये हैं लेकिन जो पट्टे पहले हुये थे पूर्व की सरकार में उस समय पट्टे थे 2460, ये घटते–घटते आज 2014–15 में 1613 पट्टे रह गये हैं। पट्टे की प्रक्रिया मा0 मुख्य मंत्री जी और हम कई बार लाये। टेण्डर फ्री प्रणाली लाये वह स्टे हो गई, टेण्डर से लाये वह स्टे हो गया, अभी हम फिर नई नीति लाये कि जिससे हमें पैसे की, राजस्व की प्राप्ति भी हो और ऐसी व्यवस्था से हम टेण्डर को लाये कि हमें कम से कम 250–300 करोड़ राजस्व का फायदा भी होगा। लेकिन उसको भी कोर्ट ने बराबर अध्यक्ष जी, हर मामले में लोग कोर्ट चले जाते हैं और ऐसे तबके के लोग हैं, जो पहले से पट्टे चलाने की कार्यवाही में लिप्त हैं। वह नहीं चाहते हैं कि पट्टे की कार्यवाही हो, ऐसे में हम पट्टा कर नहीं पाये। अभी 16 जगह जनपदों में स्टे हो गया और जब स्टे हो गया तो हम पट्टे कर नहीं सकते। नीति जैसे ही कोई नई लाते हैं तो स्टे हो जाता है। तो कोर्ट की वजह से कई जनपद ऐसे हैं जहां पर हम पट्टे नहीं कर पा रहे हैं और वहां पर कितना भी रोक दीजिए माननीय अध्यक्ष जी, कहीं न कहीं चोरी छुपे से खनन करते हैं, जहां शिकायत आती है रात में खनन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कड़ाई से रोका नहीं है। हमने समिति बनाई है माननीय अध्यक्ष जी, इसे रोकने के लिए। इससे बड़ी समिति क्या हो सकती है कि 6 सदस्यीय समिति अवैध खनन को रोकने के लिए हमने बनाई है, जिसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं, पुलिस अधीक्षक सदस्य हैं, प्रभागीय वन अधिकारी सदस्य हैं, उप जिलाधिकारी सदस्य हैं, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सदस्य हैं, खान अधिकारी हमारा सदस्य है और सचिव है। ये 6 मिलकर के अवैध खनन की जो भी सूचनायें मिलती हैं कि कहीं अवैध खनन हो रहा है उस पर हम प्रभावी कार्यवाही करते हैं। रही बात अध्यक्ष जी अवैध खनन की अभी सदस्य यह कह रहे थे कि अवैध खनन पूरे प्रदेश में हो रहा है। अवैध खनन की परिभाषा क्या है आप बता दीजिए, अवैध खनन कैसे होता है, वह आप बता दीजिए, कहॉ हो रहा है, वह बता दीजिए। अब ये माननीय सदस्य बता दें, हम उसके बाद बताते हैं।

श्री सुरेश राणा–

अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम बता दें कि खनन कहां हो रहा है। माननीय मंत्री जी ने बहुत जानकारी के आधार पर बजट के दौरान एक कागज सबको दिखाया था अखबार की कटिंग और उसमें लिखा था कि मैंने साढ़े पांच करोड़ रुपये एक दिन में वसूले हैं सोनभद्र के अन्दर।

(सत्ता पक्ष से आवाज आई पौने पांच करोड़)

पौने पांच, मैं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, जब सरकार एक दिन में पौने पांच करोड़ रुपये वसूल कर सकती है वह भी एक जनपद में, तो एक महीने का जरा टोटल सरकार लगाये, यह केवल एक सोनभद्र जिले की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन्हीं की बात को प्रमाणित कर रहा हूं और जब पूरे प्रदेश का आधार लगाएंगे, एक जनपद में एक दिन में पौने पांच करोड़ और अगर पूरे 50 जनपदों में खनन हो रहा है, तो प्रतिदिन 1100 सौ करोड़ से ऊपर बैठता है माननीय अध्यक्ष जी। यह खुद माननीय मंत्री जी का जवाब है। इन्होंने पूछा अवैध खनन कहां हो रहा है, मैं अपनी स्पष्ट जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि सारा सहारनपुर का तराई क्षेत्र, पूरा सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, गोण्डा, पूरा बागपत सारी जगहों में अवैध खनन हो रहा है, पूरे बुन्देलखण्ड में अवैध खनन हो रहा है और माननीय अध्यक्ष जी, यह कोई ऐसा विषय नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश आज जान रहा है कि अवैध खनन हो रहा है। मैं सरकार के हित में सुझाव दे रहा हूं, चूंकि कारण है माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं, प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़े मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि आज पौने तीन लाख करोड़ का बजट सरकार का साल का है। पौने तीन लाख करोड़ की राजस्व की वसूली तो केवल खनन के माध्यम से हो सकती है। सरकार इस तरफ ध्यान लगाये तो प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। आज 12वीं पास करने वाले बच्चों के लिए स्कूल में सीटें नहीं हैं, आज सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, डिग्री नहीं है, किसान परेशान है, यह भी नीति सही बन जायेगी माननीय अध्यक्ष जी, तो प्रदेश खुशहाल होगा, प्रदेश मुस्कराएगा। देश का किसान मुस्कराएगा, इसलिए मैंने प्रश्न किया था छोटा–सा कि क्या सरकार एक हाई पॉवर कमेटी बनाकर, उसमें सरकार के ही सदस्य रहें हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार हाई पॉवर कमेटी बनाकर, जहां भी सदस्य शिकायत करें अवैध खनन की, क्या उन जगहों की जांच कराकर इन अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करेगी।

श्री गायत्री प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य ने यह कहा जो सही है कि 5 करोड़ 75 लाख एक जनपद में हमने वसूली करायी है, वो वसूली बकाये राशि की होती है। ये उस जनपद में वर्ष 2009 से जिस व्यक्ति ने अभी हमारे खिलाफ शिकायत की है, सदन को अवगत कराना चाहता हूं जो परिवाद दाखिल कराया माननीय अध्यक्ष जी, उसी व्यक्ति के खिलाफ करोड़ों रुपये की वसूली, इसी पूर्व की सरकार ने वर्ष 2009 में एफ0आई0आर0 दर्ज कराया अवैध खनन के लिए और एफ0आई0आर0 दर्ज कराया और वही खनन अधिकारी दर्ज कराया था और क्लेक्टर ने दर्ज कराया था, वह आर0सी0 पड़ी थी। अन्य लोगों की भी आर0सी0 पुरानी पड़ी थीं, वह वसूली नहीं हुई थी, हमने वह वसूली दवाब बनाकर के, सरकार ने इतना गंभीर होकर उसको हमने वसूल कराया, जो बकाया धनराशि जहां–जहां पूरे प्रदेश में पड़ी है, उसकी वसूली मैंने कराया और अध्यक्ष जी, यह कहना कि एक जनपद से एक दिन में इतना आता है, आने का सवाल नहीं था, यह वसूली का सवाल था। दूसरी बात हाई कमेटी की अध्यक्ष जी, जिलाधिकारी और पुलिस

अधीक्षक से ले करके परिवहन अधिकारी अब जो भी इस क्षेत्र में रहते हैं पकड़ने का काम करते हैं इससे हाईपावर कमेटी क्या हो सकती है। हमें बतायें कोई निर्देश अगर जनपद में दिया जायेगा तो कोई भी रोकने थामने के लिए तो कलेक्टर और एस0पी0 को ही निर्देश जाते हैं यह शासन के हमारे अंग हैं इससे बड़ी कमेटी नहीं हो सकती। तीसरा माननीय अध्यक्ष जी, यह जो कह रहे हैं हमारे सदस्य जी, अवैध खनन यह नहीं बता पायेंगे, यह खाली गुमराह करेंगे अवैध खनन अवैध खनन और पूरे प्रदेश में अध्यक्ष जी, स्थान का नाम नहीं बता पाये कि इस गांव में इस एरिया में और कौन से उसमें (शोर) आप बता लीजिए, बताइये।

(अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

पहले उत्तर सुन लें। सुरेश राणा जी का सवाल है उनको पूछने दे। आप लोग बैठिये आपका सवाल भी नहीं है। उनका सवाल है उन्हें बोलने दें। वह पूछ रहे हैं उन्हें पूछने दें। आपका यह सवाल नहीं है जिनका सवाल है वह पूछ रहे हैं आप लोग बैठिये।

श्री सुरेश राणा–

अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है।

श्री अमरपाल शर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, सुभानपुर गांव में रात में गाड़ियां भरकर सुबह लगा दी जाती हैं जनपद बागपत में।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य सवाल का जवाब तो सुनो। जवाब तो सुनिये जवाब तो सुनना नहीं चाहते। जिनका सवाल है उनको पूछने दो आप तो बिना सवाल ही पूछते हैं। जिनका सवाल है वह खड़े हैं।

श्री लोकश दीक्षित–

मान्यवर, अवैध खनन हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये। अभी हम आगे बढ़ जायेंगे तो आप कहेंगे कि हम धरना देंगे, बैठिये।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी कृपा चाहता हूं चूंकि अभी उन्होंने सीधा हमला किया था उन्होंने कहा कि स्थान बता दें। स्थान नोट कर लें चोथागांव यमुना खादर कैराना विधान सभा क्षेत्र, पूरा बिडौली क्षेत्र, पूरा चोसाना क्षेत्र, सुभानपुर बागपत क्षेत्र बहुत लम्बी सूची है मैं दे दूंगा इन्होंने कहा कि हाई पावर कमेटी हमने जिलों में बना दी क्या हुआ दुर्गा नागपाल का, क्या हुआ बी0पी0 यादव का, बी0पी0 यादव के 18 टांके आये, एस0ओ0 झिंगाना कारण क्या, खनन माफिया ने ट्रैक्टर ट्राली ऊपर चढ़ा दी अधिकारी।

जो कोई काम भी करता है तो खनन माफिया इतने प्रभावशाली हैं। इन्होंने एक मेहरबानी और की है अभी कहा कि 2009 में एफ0आई0आर0 कराई थी। 2009 में जो सरकार थी उनके लोगों को आपने इम्पोर्ट कर लिया सहारनपुर के अन्दर उसी सरकार के लोग वर्तमान में एम0एल0सी0, खनन माफिया हो रहे हैं। आप जांच कराओं आपने तो उस सरकार के लोगों को भी इम्पोर्ट कर लिया और जब अधिकारियों पर खनन माफिया हमला करेंगे तो अधिकारी क्या करेंगे। मेरा निवेदन यह है, मैं बार–बार निवेदन कर रहा हूं क्या कठिनाई है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। आप हाउस की एक हाईपावर कमेटी बनाकर यह अवैध खनन जहां हो रहे हैं उन स्थानों की जांच करायेंगे, यह मेरा कहना है ?

श्री गायत्री प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने साफ कहा कि अवैध खनन कहीं नहीं हो रहा है। अभी सदस्य ने स्वीकार किया कि रात में कहीं–कहीं होता है। यह हमने भी स्वीकार किया सदन के अंदर, अभी स्वीकार किया है और आप कार्यवाही निकलवा कर देख लें, सदन सुन रहा है। दूसरा अध्यक्ष जी, जो सदस्य अभी कह रहे थे, इन्हीं के क्षेत्र में इन्हीं के भाई, सुरेश राणा इन्हें पूछो कि इनका भाई पट्टे–अवैध खनन में शामिल हैं कि नहीं ?

(श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री सतीश महाना, श्री मनीष असीजा, श्री श्यामदेव राय चौधरी ''दादा'', श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री सुरेश राणा, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे शोर/व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, अगर खुलवायेंगे तो हम कच्चा चिट्ठा पूरा खोलेंगे। यह इसमें नहीं बचेंगे, फिर हमको दोष मत देना।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी अवैध खनन को रोक नहीं पा रहे हैं और उल्टा दोषारोपण कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शान्त रहें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने एक माननीय सदस्य का नाम लेकर खनन का जो आरोप लगाया है वह अत्यन्त आपत्तिजनक है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसे आप कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, हम देख लेंगे और जो गलत होगा उसे कार्यवाही से निकलवा देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने नाम लेकर कहा है, यह बहुत गलत है। यह अवैध खनन रोक नहीं पा रहे हैं और ऊपर से अपने आपको बचाने के लिये उल्टे–सीधे झूठे आरोप लगा रहे हैं।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि मेरा नाम लेकर कहा गया है और माननीय मंत्री जी ने जो कहा है इसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि .....

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोलने के लिये खड़े हो गये हैं, इन्हें बोलने दीजिये। दादा आप अपनी सीट पर बैठ जाये, अभी से वेल में आने की तैयारी क्यों कर रहे हैं, बाद में आप आना।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री ने माननीय सदस्यों से यह पूछा कि कृपया उन स्थानों का नाम बता दें जहां पर अवैध खनन हो रहा है। मैं चाहूंगा कि एक तो माननीय मंत्री जी ने खुद अपेक्षा जाहिर की तो जिन–जिन माननीय सदस्यों के क्षेत्र में इस प्रकार के अवैध खनन चल रहे हैं, उसकी सूची माननीय मंत्री को दें और माननीय मंत्री जी उस सूची के अनुसार अवैध खनन स्थलों की जांच कराकर माननीय सदस्यों को अवगत करायें। दूसरी चीज माननीय मंत्री जी ने हमारे एक माननीय सदस्य पर यह भी आरोप लगाया कि आपके भाई भी सम्मिलित हैं, मान्यवर, माननीय मंत्री जी को अगर यह मालूम है कि फलां जगह अवैध खनन चल रहा है और फलां शामिल है, तो माननीय मंत्री जी की इन पर मेहरबानी क्यों ? इसका मतलब है कि अगर माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह है कि फलां जगह अवैध खनन चल रहा है और फलां उसमें शामिल हैं और कोई कार्यवाही नहीं हुई तो जो विपक्ष का आरोप है कि सत्ता के संरक्षण में अवैध खनन चल रहा है, तो यह अपने आप में सिद्व हो रहा है। इसलिये मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जिस तरीके से अवैध खनन को स्वीकारा है और नाम इंगित करते हुए कहा कि फलां व्यक्ति शामिल हैं इस बात की पुष्टि की है। अब यह साबित हो जाने के बाद कि सरकार अवैध खनन करने वालों को संरक्षण दे रही है, इसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन से बर्हिगमन करती है।

(बहुजन समाज पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के साथ नारे लगाते हुए सदन से बर्हिगमन कर गये)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष सरकार पर एक लांछन लगाकर गये हैं, इसलिये आवश्यक हो जाता है कि उस लांछन का उत्तर दिया जाये। मान्यवर, यह मंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि सरकार के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है न हो सकता है और न होना चाहिये और न होने दिया जायेगा। मात्र यह कहा कि फलां शक्स के भाई क्या इसमें मुल्लविस नहीं हैं ? जाहिर है कि वह कानूनी प्रक्रिया है और इससे

तो सरकार की छवि और अच्छी होना चाहिये, चाहे कोई कितना ही बड़ा हैसियत का क्यों न हो, चाहे बाहुबली हो, पैसे वाला हो, राजनैतिक व्यक्ति हो, सरकार ने उसके खिलाफ कार्यवाही की है। मैं अपने माननीय सदस्य को इसमें मुजरिम नहीं बता रहा हूं। किसी का कोई रिश्तेदार, कोई भाई किसी भी चीज में हो सकता है, औलाद भी हो सकती है, उससे माननीय सदस्य के सम्मान पर कोई असर नहीं पड़ता और उन्हें इस तरह लेना भी नहीं चाहिये और मैं यह जवाब उनकी वजह से दे भी नहीं रहा हूं। बेहतर होता कि इसका जिक्र न होता यहां, लेकिन इससे तो बात यही साफ हुयी कि सरकार कार्यवाही कर रही है, अब अगर सरकार कार्यवाही कर रही है, उस पर भी नेता प्रतिपक्ष का वाकआउट होता है तो मैं बार–बार कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिये, घटिया लोकप्रियता के लिये सदन का समय भी खराब करते हैं और लोकतंत्र को भी कमजोर करते हैं और मान्यवर, इस पर मैनें पहले भी आपसे कहा था कि कुछ न कुछ हम लोग आपस में बैठकर कम से कम यह तय तो करें कि प्रश्न पर बहस चल रही है और बगैर किसी वजह के सदन से बहिष्कार कर देना कहां का औचित्य है और कहां की मुनासिब बात है। अपराधियों को संरक्षण देना, गलत बांतों की हिमायत करना, गलत तथ्य पेश करना, गुनहगारों को बेगुनाह साबित करना, जो लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा मुजफ्फरनगर जिनकी वजह से हो सकता हो, उनके वकील बन जाना, अगर बहुजन समाज पार्टी का ऐसा चरित्र हुआ जाता है तो मान्यवर, यह बहुत खेदजनक है।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा दुख इस बात का है मुझे, कि इसका मतलब यह हुआ कि सदन में जो लड़ाई लड़ेगा, जो जनहित की बात करेगा, उसके खिलाफ इस प्रकार के आरोप, जिनका दूर–दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लगाये जायेंगे। अध्यक्ष जी, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं कि कार्यवाही कर दी, मैं पूरे सदन के सामने कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बता दें कि मेरे परिवार के किस आदमी के खिलाफ...

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं बतला रहा हूं। मैनें सिर्फ मात्र उत्तर सुनकर अपनी बात कही। मुझे आप सुन लें। न आपके विरुद्ध, न आपकी पार्टी के विरुद्ध, न आपके परिवार के विरुद्ध एक शब्द भी मैंने नहीं कहा है। मैंने सिर्फ यह कहना चाहा है कि जो आचरण इधर बहुजन समाज पार्टी और नेता प्रतिपक्ष का होता जा रहा है, इससे नुकसान हो रहा है और यह बात बढ़ी ही इसलिये वरना शायद मुझे यह बात कहने की जरूरत ही पेश नहीं आती।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, मेरा निवेदन इसमें कुछ और था। मेरा निवेदन यह है कि उन्होंने कहा कि इनके परिवार के लोग, भाई वह भी इसमें लिप्त हैं। अध्यक्ष जी, यह मेरे पूरे जीवन का प्रश्न है, कोई सामान्य विषय नहीं है। माननीय मंत्री जी बता दें कि मेरे परिवार के लोग लिप्त हैं तो माननीय मंत्री जी या सरकार ने क्या कार्यवाही उनके खिलाफ की और

दूसरा मैनें बहुत मर्यादाओं का पालन करते हुये एक बार भी सदन में यह नहीं कहा कि बी0पी0एल0 सूची में जिन लोगों का नाम था, वह हजारों करोड़ की सम्पत्ति के मालिक बन गये। क्योंकि मैं सदन को पूरी मर्यादा के साथ चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि मेरे परिवार में एक भाई है, वह राज्य कर्मचारी है। दूसरे भाई हैं वह केन्द्र के कर्मचारी हैं, तीसरे भाई हैं वह गजटेड अधिकारी हैं और चौथे भाई हैं, वह रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का बड़ा काम दिल्ली में करते हैं। मेरे परिवार में 100–100 किमी0 दूर तक इस प्रकार का न आचरण है, न मेरी रिश्तेदारी में है और न मेरे परिवार में है। मुझे दुख इस बात का है कि केवल इस विषय पर मैं आक्रामक हूं हाउस के अंदर, इसलिये बेवजह, बेमतलब, दूर–दूर तक कोई बात नहीं और निकालकर जो नया शिगूफा लाये हैं, उसके सम्बन्ध में मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार के जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उसे आप दिखवा लें और दूसरा व्यक्तिगत आरोप, जिस तरह से केवल सवाल उठाने के कारण लगाया गया है तो मैनें भी आरोप लगा दी है तो मैंने व्यक्तिगत नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ यह कहा कि सरकार का राजस्व इससे बढ़ सकता है। यही मेरा निवेदन है कि केवल इसलिये कि जवाब नहीं बनता तो इधर से जवाब घुमा दो जवाब देने के लिए इस प्रकार के षड़यन्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

बहुत देर हो गई है इस सवाल पर लेकिन मा0 लोकेन्द्र सिंह जी आपका नाम इस प्रश्न में है इसलिए आप अनुपूरक पूछ लीजिए।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं आपका कि आपने अनुपूरक पूछने का मुझे मौका दिया है। मा0 अध्यक्ष जी, लोकतन्त्र में जो लोग इधर बैठते हैं वह लोग कभी उधर भी बैठते हैं और जो लोग उधर बैठते हैं वह कभी इधर भी बैठते हैं। इस सदन के अन्दर बहुत लोग ऐसे हैं, ठीक है कि हम पहली बार आये हैं लेकिन ऐसे तमाम सदस्य यहां पर उपस्थित हैं जो कभी न कभी सरकारों में रहे हैं। हम सब लोगों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पता है। इसलिए अध्यक्ष जी, खनन किस प्रकार होता है, किन लोगों के संरक्षण में होता है, यह प्रत्येक सदस्य जानता है और सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश इस बात को भी जानता है इसलिए सुरेश भाई का जो कहना था वह राजस्व बढ़ाने की दृष्टि से था।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिए।

श्री सुरेश राणा–

मेरा कहना यह है कि मैंने पिछले सप्ताह यहां से निकलने के बाद मा0 मंत्री जी से कहा था कि मैं बिजनौर जिले से आता हूं और बिजनौर जिले में 36 स्थान हैं जहां से खनन हो रहा है या हो सकता है। मैंने 36 स्थानों में से उनको 33 स्थान बताये थे कि 33 स्थानों पर बिजनौर जिले में खनन होता है और इसकी शिकायत हमने जो इन्होंने

कमेटी बनाई है, जिलाधिकारी से मिलकर मैंने और हमारे नगीना के सांसद दोनों लोगों ने शिकायत की। वहां जब हम जिलाधिकारी से मिलने गये तो उसी कुछ समय में पुलिस अधीक्षक भी वहां आ गये। डी0एम0 और एस0पी0 से बड़ी कोई पोस्ट जिले में मा0 अध्यक्ष जी नहीं है। हमने दोनों अधिकारियों से कहा कि जो खनन बिजनौर जिले के अन्दर हो रहा है और इन खननों के कारण कई बार ऐसा होता है कि गांव वाले जिनका पट्टा है, उन पट्टे वालों को पैसा नहीं दिया जाता है और जबरदस्ती पुलिस के दबाव में उन पर अत्याचार किये जाते हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट होती है और वे जेल जाते हैं, इस प्रकार की तीन–चार घटनाएं बिजनौर जिले में हो चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिए।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मान्यवर, सवाल पर ही आ रहा हूं। तो वहां जिलाधिकारी और एस0पी0 ने कहा कि खनन करने वाले जो लोग हैं विधायक जी और सांसद जी आपको मालूम है। जो खनन कर रहे हैं उसका आपको भी पता है और हमें भी पता है आप उनके साथ बैठ कर कुछ तय कर लीजिए। ऐसे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, बिजनौर ने कहा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस सदन के अन्दर कहता हूं। हमने कहा कि न तो हमारे पूर्वजों ने कोई खनन किया है और न हमने किया है। मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कालागढ़, बरहापुर, अरेवली, रायपुर, रायपुर टाण्डा, नजीबाद, लुकादढ़ी, शेरपुर, देवखेड़ा शिवारा ऐसे स्थान हैं जहां पर खनन हो रहा है तो क्या मा0 मंत्री जी वहां तत्काल इसको रुकवायेंगे। दूसरा, समाजवादी पार्टी की सरकार कहती है कि हमने किसानों के वर्ष के रूप में इस वर्ष को लिया है। मा0 अध्यक्ष जी, सब जानते हैं आप भी जानते हैं और इधर और उधर के लोग भी जानते हैं। मान्यवर, खनन हो रहा है, लाइन लग रही है और सड़क भी टूट रही है तथा एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। खुलेआम खनन हो रहा है, जे0सी0बी0 लगाकर, फोकलैण्ड लगाकर खनन हो रहा है उसको तो आपकी सरकार रोक नहीं रही है लेकिन जो गरीब किसान है वह अगर अपने खेत से मिट्टी ले करके आता है, भैंसा बुग्गी में मिट्टी ले करके आता है तो तहसील प्रशासन उसको रोकता है और उस गरीब के खिलाफ कार्रवाई करता है जबकि वह अपने खेत से मिट्टी उठाता है और अपनी जमीन पर भराव करने के लिए डालता है।

श्री अध्यक्ष–

इसीलिए हुआ था, दो प्रश्न हैं।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

गरीब किसान है और अपने खेत से..

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है, मा0 विभागीय मंत्री ने कह दिया है कि जहां की भी जानकारी हो वह लिख करके दे दें।

माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि अगर कहीं ऐसा कोई खनन हो रहा होगा तो तत्काल उस पर रोक लगायी जायेगी। यह चर्चा तो हो नहीं रही है, प्रश्नकाल है तो आप कृपया जहां की भी जानकारी है वह लिखकर मा0 अध्यक्ष जी को दे दीजिए। मान्यवर, अब अगला प्रश्न लें।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

हमेशा सरकार के मंत्री लिखकर देने की बात करते हैं। हमने आपको यह बता दिया, वहां पर बिजनौर जिले में झगड़ा हुआ है, गोली चली है। वहां कोई खून–खराबा होता है तो सरकार जिम्मेदार होगी। मैंने आपको अवगत करा दिया है, सदन से बड़ी जगह कोई नहीं हो सकती। क्या वहां पर तत्काल, आज शाम से ही माननीय मंत्री जी खनन बंद करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

अब बैठिये। अगला प्रश्न ले रहा हूं वह भी आप ही का है, नत्थी ग तारांकित प्रश्न संख्या–3।

तारांकित प्रश्न

'01–श्री मनीष असीजा–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

'02–श्री दलवीर सिंह–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश में निर्मल भारत अभियान को शत–प्रतिशत पूर्ण करने सम्बन्धी योजना की जानकारी

'03–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निर्मल भारत अभियान के तहत वर्ष 2013–2014 एवं 2014–2015 का लक्ष्य पूरा हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त लक्ष्य को शत–प्रतिशत पूर्ण किये जाने हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश)–

जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2013–14 में निधारित वार्षिक लक्ष्य 8,29,812 के सापेक्ष 7,89,092 शौचालय का निर्माण कराया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2014–15 में गत वर्ष के अवशेष सहित निर्धारित लक्ष्य 12,38,856 के सापेक्ष माह फरवरी, 2015 तक 5,31,000 शौचालयों का निर्माण किया गया है। शेष शौचालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जी हां। चालू वित्तीय वर्ष में लक्ष्य पूर्ण न होने की स्थिति में अवशेष कार्यों को आगामी वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी एक ही ग्राम पंचायत में एक ही नाम पर चार–चार, छह–छह शौचालय बने हैं, व्यक्ति एक है लेकिन चार और छह शौचालय हैं। मैंने जिलाधिकारी, सी0डी0ओ0 वगैरह को लिखकर दिया है, बिजनौर जिले के अंदर मेरी नूरपुर विधान सभा है तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे जो ग्राम हैं जहां एक नाम से कई शौचालय बने हैं तो क्या मंत्री जी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर कोई कार्रवाई करेंगे ? दूसरे, यह जो शौचालय धरातल पर एक है और फाइल में 04 और 6–6 बने हैं, यह सरकार का पैसा नहीं, यह समाज का पैसा है तो क्या मंत्री जी उसकी रिकवरी भी करायेंगे और उन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई करेंगे ?

श्री कैलाश–

माननीय अध्यक्ष जी, एक परिवार में 01 शौचालय बनाने की योजना है और उसी के अनुसार ग्राम प्रधान के माध्यम से चयनित किया जाता है। अगर वह परिवार अलग–अलग है और एक ही बाप के अगर चार बेटे हैं और उस श्रेणी में आते हैं अलग–अलग परिवार बन गया है तो उनका बन सकता है। अगर इस तरह की स्थिति हो कि एक परिवार है और एक व्यक्ति के नाम पर 04 शौचालय बने हों और वह परिवार अलग न हो तो आप लिख करके दे दीजिए जांच करवाकर कार्रवाई कर दूंगा।

प्रदेश में पैकेज में बिकने वाली सामग्रियों पर नियंत्रण हेतु सम्बन्धी जानकारी

'04–डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रदेश में पैकेज में बिकने वाली सामग्रियों पर नियंत्रण हेतु कोई नियमावली बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार द्वारा नियमावली के तहत वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी जब यहां आते हैं तो पूरी तैयारी से आते हैं और पहली बार इस प्रकार का जवाब सुनने में आया है। क्या यह सम्भव है

कि कोई नियमावली न बनी हो। हमारे यहां फूड एडल्ट्रेशन एक्ट लागू है 1904 से, संशोधन हुआ है 1954 में और फूड एडल्ट्रेशन एक्ट नियमावली बनी है 1955 में तो क्या यह संभव है कि यह सब चीजें न बनी हों लेकिन मैं मूल प्रश्न पर आता हूं जो हमारी इस प्रश्न को लाने की मंशा थी एक प्रश्न अध्यक्ष जी जो पानी की सप्लाई हो रही है अधोमानक हो रही है जिस पर किसी कम्पनी का सील नहीं है। वाटर पानी की सप्लाई मैं इस बात को कई बार ला चुका हूं कहीं न कहीं इसका गुणवत्ता नियंत्रण होना चाहिए। क्या आप इस सदन के माध्यम से इस सदन को आश्वस्त करेंगे कि जो इस मानक के अनुरूप पूरे होते हों उनके अतिरिक्त किसी जल की आपूर्ति न होने पाए। जितनी भी इस प्रकार की खाद्य सामग्रियां होती हैं जिनकी पैकेजिंग में लिखा होता है वह सब अंग्रेजी में लिखा जाता है लोग उसे पढ़ नहीं पाते हैं। हमारे प्रदेश में सामान्य लोग इतना अंग्रेजी का ज्ञान नहीं रखते हैं। क्या आप हमें आश्वस्त करेंगे कि वह हिन्दी में ही लिखा जाए नम्बर तीन चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं छोटे–छोटे प्रश्न पूछ लेता हूं। यह जो बच्चों का दूध बेचा जाता है यह प्रतिबन्धित आइटम है इसकी बिक्री नहीं होनी चाहिए जब तक डाक्टर प्रिस्क्रिप्शन न दे और सच्चाई यह है कि किसी भी डाक्टर को इस प्रकार का प्रिस्क्रिप्सन अपवाद को छोड़कर नहीं देना चाहिए। क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि जो दुकानें इस दूध को बेच रही हैं उन्हें तब तक यह बेचने का अधिकार न दिया जाए जब तक उनके पास किसी डाक्टर का प्रिस्क्रिप्सन न हो उन प्रिस्क्रिप्शन की सरकार आडिटिंग कराए किन परिस्थितियों में डाक्टर इस प्रकार का दूध लिख रहे हैं।

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी माननीय डाक्टर साहब ने सवाल किया कि प्रदेश में पैकेज में बिकने वाली चीजों पर कोई नियमावली बनाई गई है ? प्रदेश सरकार ने कोई भी नियमावली इस विषय में नहीं बनाई है। केन्द्र सरकार की जो नियमावली है उन्हीं नियमों का हम पालन करते हैं। श्रीमन् कई बार अखबार में आता है फूड इंस्पेक्टर ने छापा डाला हमारे विभाग का नाम है फूड एण्ड सिविल सप्लाई तो यह मान लिया जाता है कि यह खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर हैं जबकि फूड इंस्पेक्टर जो इस तरह की मिलावटों की जांच करते हैं वह स्वास्थ्य विभाग से सम्बंधित हैं। श्रीमन् वाकई मुझको यह पता नहीं था डाक्टर साहब ने ज्ञानवर्धन किया कि बच्चों को पिलाया जाने वाला डिब्बे वाला दूध अवैध है या बिना डाक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं बिक सकता है। यह हमारी जानकारी में अभी तक नहीं था। इसमें हमारे विभाग से सम्बंधित जो बातें होंगी वह हम बैठ लेंगे और जो भी सुझाव आपका होगा उसका समावेश किया जाएगा।

प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में घरों में शौचालय की व्यवस्था हेतु कार्य योजना की जानकारी

'05–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जिन घरों में शौचालय नहीं है सरकार इनका सर्वे कराकर शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये कोई विशेष कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत बी0पी0एल0 के समस्त एवं ए0पी0एल0 श्रेणी के अन्तर्गत निम्नलिखित 05 प्रकार के लाभार्थियों को शौचालय सुविधा से आच्छादित करने की व्यवस्था की गयी है :–

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति

(2) लघु व सीमान्त किसान

(3) भूमिहीन खेतिहर मजदूर

(4) विकलांग व्यक्ति

(5) वैसा परिवार जिसकी मुखिया महिला हो

उपरोक्तानुसार।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री कैलाश यादव–

इतनी जल्दी क्यों है। जितना पूछेंगे जवाब मिलेगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मैं बहुत छोटे–छोटे अनुपूरक करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय खत्म हो गया। आप जब तक पूछेंगे तब तक समय खत्म हो जाएगा उत्तर आप पाएंगे नहीं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अध्यक्ष जी अभी टाइम है। इस देश में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए भारत सरकार की सर्वे हुई है बेसलाइन सर्वे में यह दर्शाया गया है 61.19 प्रतिशत लोगों के पास शौचालय नहीं हैं। 38 प्रतिशत लोगों के पास ही शौचालय हैं 2012 में अध्यक्ष जी कुशीनगर जनपद में 4 लाख परिवार हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप समय देख लीजिए। प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।

प्रदेश में बी0पी0एल0 श्रेणी के नये कार्ड बनाने हेतु नीति निर्धारण सम्बन्धी जानकारी

'06–श्री सतीश महाना–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0पी0एल0 श्रेणी के कार्ड की जांच सरकार के द्वारा कराई गई है ? यदि हां, तो उसमें कितने कार्ड गलत पाये गये हैं एवं निरस्त हुए हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि नये कार्ड बनाने हेतु कोई नीति निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

जी हां। राशन कार्डों की जांच एक निरन्तर प्रक्रिया है।

माह अप्रैल, 2014 से जनवरी, 2015 तक 3093 बी0पी0एल0/अन्त्योदय श्रेणी के राशन कार्डों को अपात्रता के आधार पर निरस्त किया गया तथा इसके सापेक्ष इतनी ही संख्या में पात्र लाभार्थियों के बी0पी0एल0/अन्त्योदय श्रेणी के राशन कार्ड जारी किये गये।

जी हां।

शासनादेश संख्या–490/29–6–2012–298सा/03, दिनांक 30 अप्रैल, 2012 द्वारा वर्ष 2005 से प्रचलित पुराने राशन कार्डों के स्थान पर नये राशन कार्ड निर्गत किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। तत्पश्चात् शासनादेश संख्या–3575/29–6–2013–109सा0/2013, दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 व शासनादेश संख्या–215/29–6–2014–109सा0/2013, दिनांक 23 जनवरी, 2014 के माध्यम से डिजिटाइज्ड राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

कानपुर के बाबूपुरवा के बगाई भट्ठा के पते पर फर्जी राशन कार्ड बनाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही की मांग

01–श्री अली यूसुफ अली–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुनील कुमार चित्तौड़, सभापति प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था जांच समिति, विधान परिषद् का संलग्नकों सहित शिकायती–पत्र, दिनांक 02–09–2014, जो बगाई भट्ठा बाबूपुरवा, टी0पी0 नगर, कानपुर नगर के मकान नं0 130/619 के पते पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा फर्जी राशन कार्ड निर्गत कराकर लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में है, जिलाधिकारी कानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

जी हां।

जनपद स्तर पर छानबीन के उपरान्त यह पाया गया कि प्रश्नगत मकान सं0–130/619 बगाही भट्ठा के पते पर श्रीमती अनिता तिवारी पत्नी स्व0 श्री अशोक कुमार तिवारी रहती पायी गयी, जिनके नाम से 02 यूनिट का ए0पी0एल0 राशन कार्ड सं0–364371 निर्गत पाया गया। उक्त कार्ड उचित दर विक्रेता श्री छोटे लाल, ब–52 की दुकान से सम्बद्ध है। अभिलेख के अनुसार उक्त पते पर श्रीमती अनिता तिवारी के अतिरिक्त अन्य कोई कार्ड निर्गत नहीं है। प्रश्नगत पते पर कार्डधारक के रहते पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या–5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जनपद गोरखपुर में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का निर्माण शीघ्र कराये जाने की मांग

02–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज का निर्माण चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मेडिकल कालेज का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराकर 2015 के सत्र में प्रवेश प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

प्रश्नगत मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है। सम्बन्धित कार्यवाही संस्था द्वारा पुनरीक्षित आगणन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों (नियोजन/वित्त) द्वारा निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्त के अतिरिक्त पद सृजन की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है। पदों के सृजन के उपरान्त उन्हें भरे जाने में समय लगना सम्भावित है।

अतः वर्ष 2015 के सत्र से प्रवेश प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में संचालित स्व–रोजगार प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा उद्यमियों को प्रशिक्षित किये जाने का विवरण

03–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत संचालित स्व–रोजगार प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 तथा 2014–15 में जनपदवार कितने उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया तथा कितने उद्यमियों को रोजगार दिलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भगवत सरन गंगवार)–

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में सम्मिलित रूप से वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल 9390 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराया गया, जिसके फलस्वरूप प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से 21,591 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2014–15 में माह जनवरी, 15 तक 3306 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराया गया, जिसके फलस्वरूप प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से 6,468 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित/प्रशिक्षणरत उद्यमियों एवं रोजगार प्राप्त उद्यमियों की वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 से सम्बन्धित जनपदवार सूचना संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रम विभाग के सेवानिवृत्त अवर अभियन्ता श्री कृष्णदेव सिंह के भुगतान सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

04–श्री दलवीर सिंह–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्णदेव सिंह, सेवानिवृत्त, अवर अभियन्ता, श्रम विभाग के सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्रांक पी0जी0–10544181/सी0एम0/वि0को0/एम–2014, दिनांक 17–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मन्त्री (श्री शाहिद मंजूर)–

जी हां।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्राम नैनाना जाट, विकास खण्ड बरौली अहीर में जल भराव की समस्या के निराकरण की मांग

05–श्री काली चरन सुमन–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90 आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नैनाना जाट विकास खण्ड बरौली अहीर आगरा में जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण गलियों में जल भराव की विकट समस्या रहती है जिससे लोगों का आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जल भराव की समस्या से निजात दिलाने हेतु गांव में सी0सी0 रोड व नाली बनवाने का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 18–6–2014 में प्रश्नगत निर्माण कार्य के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया।

प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों को परिवहन निगम तथा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत बसों में छूट प्रदान करने सम्बन्धी जानकारी

06–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों को राज्य सड़क परिवहन निगम तथा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत संचालित बसों में यात्रा करने पर कोई छूट प्रदान करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मन्त्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)–

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा श्रेणी विशेष के व्यक्तियों को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है, जिनके व्ययभार की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित विभाग द्वारा की जाती है। वरिष्ठ नागरिकों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत संचालित बसों में यात्रा करने पर निःशुल्क बस यात्रा सुविधा प्रदान करने एवं इसकी प्रतिपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के ग्राम नाईनगला की पुलिया तक सड़क निर्माण की मांग

07–श्री दलवीर सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ग्राम गोलगढ़ी के पुल से ग्राम पोकरगढ़ी तक का मार्ग (लम्बाई लगभग 1.5 किमी) तथा ग्राम हरनामबास से ग्राम नाईनगला की पुलिया तक (लम्बाई लगभग 600 मीटर) तक कच्चा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर खडंजा लगाकर पक्का करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है।

जनपद अम्बेडकर नगर के राजेसुल्तानपुर से गोरखपुर तक बसों का संचालन कराये जाने की मांग

08–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर स्थित राजेसुल्तानपुर से गोरखपुर तक व राजेसुल्तानपुर से इलाहाबाद तक की बस सेवा वर्तमान समय में बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त दोनों सेवायें बन्द होने के कारण ग्रामीण अंचल के लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस का संचालन सेवा पूर्व की भांति कराते हुए नई बसें भी सम्मिलित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

लगातार कम लोड फैक्टर प्राप्त होने के कारण राजेसुल्तानपुर से गोरखपुर तक की बस सेवा का संचालन दिनांक 03–06–14 से बन्द कर दिया गया है। राजेसुल्तानपुर से इलाहाबाद तक की बस सेवा पूर्व की भांति संचालित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर में राजेसुल्तानपुर से कानपुर तक बस सेवा पुनः बहाल कराये जाने की मांग

09–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर अन्तर्गत राजेसुल्तानपुर से कानपुर तक लगभग 40 वर्षों से संचालित बस सेवा को वर्तमान में कहीं अन्यत्र लगाये जाने से स्थानीय लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व से संचालित राजेसुल्तानपुर से कानपुर की बस सेवा को पुनः बहाल करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

कम लोड फैक्टर प्राप्त होने के कारण राजेसुल्तानपुर से कानपुर की बस सेवा को दिनांक 10–01–2015 से बन्द कर दिया गया था।

जनता की सुविधा के दृष्टिगत राजेसुल्तानपुर से कानपुर की बस सेवा का संचालन दिनांक 27–01–2015 से नियमित रूप से किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के अनेकों सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने की मांग

10–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद, जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत चौबीसा क्षेत्र में पड़ने वाली सिकन्द्राबाद बराल सम्पर्क मार्ग नगला काला होकर सहपानी सम्पर्क मार्ग (ल0 लगभग 1.5 कि0मी0) निर्माण विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख–5–661359 दिनांक 17–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उक्त के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार नवयुवकों के पलायन रोकने की नीति सम्बन्धी जानकारी

11–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार नवयुवक जो शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, को रोकने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना करके उद्यमियों को रोजगार से जोड़ने के लिये क्या सरकार कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवत सरन गंगवार–

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के युवक युवतियों को ग्रामीण क्षेत्रों में ही अपने उद्यम स्थापित करने हेतु सरकार की योजनायें संचालित हैं, जिनमें प्रमुख योजनायें हैं, प्रधानमंत्री राजेगार सृजन कार्यक्रम, महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना, औद्योगिक आस्थान/मिनी औद्योगिक आस्थान योजना, क्लस्टर विकास योजना, एसाइज योजना एवं हस्त शिल्प योजना।

प्रदेश में 79 वृहद् औद्योगिक आस्थान स्थापित हैं, जो अधिकांशतः ब्लाक एवं तहसील स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं तथा उद्यमियों को नियमानुसार आस्थानों में भू–खण्ड आवंटित किये जाते हैं। योजनाओं के सतत् संचालन हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 प्रख्यापित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के पेठा उद्योग हेतु गैस ईंधन उपलब्ध कराये जाने की मांग

12–श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

क्या सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार आगरा में स्थित पेठा उद्योग की भट्ठियों को कोयला से चलाने पर लगी रोक को दृष्टिगत रखते हुये इन्हें भी फिरोजाबाद में स्थापित उद्योगों की भांति ग्रीन सब्सिडाईज्ड गैस पाइप लाइन द्वारा ईंधन उपलब्ध कराने की कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भगवत सरन गंगवार–

जनपद आगरा व फिरोजाबाद की औद्योगिक इकाइयों को पाइप लाइन के माध्यम से ग्रीन सब्सिडाईज्ड गैस उपलब्ध कराना भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में निहित है। जनपद आगरा की पेठा उद्योग की इकाइयों हेतु भारत सरकार के उपक्रम गेल इण्डिया निमिटेड व इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के संयुक्त उद्यम ग्रीन गैस लि0 के पास सब्सिडाईज्ड गैस उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के मेडिकल कालेज में सर्जिकल इम्प्लांट्स की समुचित व्यवस्था कराये जाने की मांग

13–श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा मेडिकल कालेज के अस्थि रोग विभाग में प्रयुक्त होने वाले सर्जिकल इम्प्लांट्स जैसे बाल, प्लेट, जायंट स्क्रू आदि की बहुत कमी होने के कारण ऐसे गरीब मरीजों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे मरीजों की सहायता के लिये आगरा मेडिकल कालेज के अस्थि रोग विभागों में सर्जिकल इम्प्लांट्स की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं मरीजों की आवश्यकता के आधार पर सर्जिकल इम्प्लांट्स की उपलब्ता सुनिश्चित की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नये राशन कार्ड जारी करने की अन्तिम तिथि घोषित करने सम्बन्धी जानकारी

14–श्री मनीष असीजा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2010 से नये राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया लगातार 6–6 माह के लिये आगे बढ़ाई जा रही है ? यदि हां, तो इस प्रक्रिया को पूर्ण कराने हेतु सरकार नये राशन कार्ड जारी करने की अन्तिम तिथि घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2005 में निर्गत राशन कार्डों जिनकी वैधता अवधि दिनांक 31–12–2010 तक थी, की वैधता अवधि शासनादेश दिनांक 21 जनवरी, 2011 द्वारा दिसम्बर, 2011 तक, शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2011 द्वारा जून, 2012 तक, शासनादेश दिनांक 23 मई, 2012 द्वारा दिसम्बर, 2012 तक, शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा जून, 2013 तक, शासनादेश दिनांक 22 जुलाई, 2013 द्वारा दिसम्बर, 2013 तक, शासनादेश दिनांक 11 अप्रैल, 2014 द्वारा दिनांक 30 जून, 2014 तक, शासनादेश दिनांक 30 जून, 2014 द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 तक एवं शासनादेश दिनांक 12 जनवरी, 2015 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के लागू होने तक बढ़ायी गयी है।

नये राशन कार्ड जारी किये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है और दिनांक 03 मार्च, 2015 तक प्रदेश स्तर पर अन्त्योदय के 215608, बी0पी0एल0 के 194970 एवं ए0पी0एल0 के 1279482 राशन कार्ड लाभार्थियों को वितरित किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के जिला पंचायत की जमीन हड़पने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

15–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में सरायकुडिया स्थित जिला पंचायत की लगभग 100 करोड़ की जमीन हड़पने के लिये जिला पंचायत अध्यक्ष एवं अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत बुलन्दशहर के विरुद्ध कार्यवाही विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–5–550919 दिनांक 18–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

प्रकरण की जांच जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से करायी गयी। प्राप्त जांच आख्या में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में घटित वाहन के मृतक व घायलों को मुआवजा दिलाये जाने की मांग

16–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 09–06–2014 को परिवहन निगम के वाहन संख्या यू0पी0 62 टी0 0237 से गिरधरगंज बाजार, गोरखपुर में घटित दुर्घटना में शामिल मृतक एवं घायल लोगों का विवरण क्या है ? क्या इन मृतकों एवं घायलों को नियमानुसार मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

कथित वाहन सं0–यू0पी0–62 टी 0237, न तो उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के नाम पंजीकृत है और न ही इस नम्बर का कोई वाहन निगम के अधीन संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ में खराब पड़ी सोलर स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराये जाने की मांग

17–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2012–13 व वर्ष 2013–14 में ब्लाकवार कितनी सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना विभाग द्वारा करायी गयी है ? उक्त सोलर स्ट्रीट लाइटों में से वर्तमान में कितनी खराब है ? क्या सरकार खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद अलीगढ़ में वर्ष 2012–13 में 705 अदद एवं वर्ष 2013–14 में 593 अदद कुल 1298 सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है। ब्लाकवार एवं वर्षवार स्थापित सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	विकास खण्ड	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14
1	लोधा	70	51
2	जवां	156	33
3	धनीपुर	102	69
4	अकराबाद	61	07
5	चण्डौस	63	10
6	गंगीरी	61	247
7	बिजौली	66	35
8	गौडा	23	12
9	इगलास	22	18

10	टप्पल	38	10
11	खैर	29	57
12	अतरौली	14	14
	कुल योग :	705	593

स्थापित सभी सोलर स्ट्रीट लाइटें वर्तमान में क्रियाशील हैं।

खराबी की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल स्ट्रीट लाइटों को ठीक करा दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत की कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने की मांग

18–श्री वीरपाल राठी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बागपत जनपद के ग्राम लम्ब से हेवा छपरौली मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ग्राम दाहा के तालाब की सफाई कराये जाने की मांग

19–श्री वीरपाल राठी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र छपरौली जनपद बागपत के ग्राम दाहा में आर्य समाज मन्दिर के पास तालाब में पानी की निकासी न होने के कारण आस–पास की आबादी में तालाब का पानी व कीचड़ भरा है जिससे बीमारी फैली हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तालाब की खुदाई कराकर आस–पास की आबादी की सफाई एवं इण्टर लाकिंग लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

तालाब में पानी की निकासी न होने के कारण आस–पास की आबादी में तालाब का पानी व कीचड़ भरा है, किन्तु बीमारी फैलने की सूचना नहीं है।

उक्त तालाब में पानी की निकासी न होने के कारण तालाब का कीचड़ मजदूरों द्वारा निकाला जाना सम्भव नहीं है। जे0सी0बी0 मशीन द्वारा तालाब की खुदाई तब तक नहीं हो सकती, जब तक तालाब पूर्णतः खाली न करा दिया जाये। प्रधान द्वारा माह अगस्त, 2014 में तालाब के पानी की निकासी हेतु 3–4 दिन तक पम्पिंग सेट लगाया

गया था, किन्तु ग्रामवासियों द्वारा अपने घरों का पानी नहीं रोका गया जिसके कारण तालाब के पानी के स्तर में कोई कमी नहीं आई। तालाब तक ग्राम के रास्ते पर खड़न्जा/इण्टरलॉकिंग लगायी गयी है।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के गांव धर्मोकर में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

20–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड–खेरागढ़ में गांव धर्मोकर में सम्पर्क मार्ग न होने के कारण क्षेत्रीय जनता/छात्र–छात्राओं को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में सम्पर्क मार्ग बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिये तेरहवें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की कार्य योजना जिला पंचायत बोर्ड द्वारा पहले ही पारित की जा चुकी है जिसमें प्रश्नगत कार्य सम्मिलित नहीं है तथा बजट भी उपलब्ध नहीं है।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के आयुर्वेदिक अस्पताल का भवन बनवाये जाने की मांग

21–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम मामखोर में आयुर्वेदिक अस्पताल जर्जर भवन में चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आयुर्वेदिक अस्पताल का भवन बनवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रश्नगत चिकित्सालय के पुराने भवन के स्थान पर नये भवन निर्माण हेतु जिला योजना के माध्यम से रु0 14.45 लाख की धनराशि निर्माण संस्था समाज कल्याण निर्माण निगम, उ0 प्र0 को उपलब्ध करा दी गयी है।

उक्त स्वीकृत धनराशि से प्रश्नगत चिकित्सालय भवन का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी को निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ के हृदय रोग संस्थान, के0जी0एम0यू0 लॉरी में संक्रामक बीमारियों से बचाव के उपाय

22–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के हृदय रोग संस्थान, के0जी0एम0यू0 लॉरी में आई0सी0यू0 व आपरेशन थियेटर व अन्य महत्वपूर्ण उपचार स्थलों पर खटमल व काकरोच का भीषण प्रकोप है, जिससे हृदय रोग के साथ–साथ अन्य संक्रामक बीमारी भी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर हृदय रोग पीड़ित मरीजों को फैलने वाली संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के कार्डियोलाजी विभाग के आपरेशन थियेटर (कार्डियेक कैथ लैब) में काकरोच तथा इन्सेक्ट की समस्या नहीं है, अतः संक्रमण बीमारी या इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बाल मजदूरों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए प्रभावी योजना बनाये जाने की मांग

23–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी के कारण नाबालिग बच्चे मजदूरी करने के लिये मजबूर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन बाल मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुये कोई प्रभावी योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर–

जी हां।

बाल श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए खतरनाक प्रक्रियाओं/व्यवसायों में बाल मजदूरी के पूर्णतया उन्मूलन हेतु बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नियमित रूप से एवं समय–समय पर विशेष अभियान चलाकर बाल श्रमिकों को चिन्हित किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

बाल श्रमिकों का चिन्हांकन, शैक्षिक पुनर्वासन एवं उनके परिवारों का आर्थिक पुनर्वासन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–1392/36–03–2012 दिनांक 18 सितम्बर, 2012 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त बाल श्रमिकों के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10–12–1996 को पारित आदेश के अनुक्रम में चिन्हित बाल श्रमिकों को बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से निकटतम प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेशित कराया जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 46 जनपदों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की जा रही है।

जिसके अन्तर्गत संचालित विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों में खतरनाक प्रक्रियाओं/व्यवसायों में चिन्हित बाल श्रमिकों को प्रवेशित कराया जाता है।

प्रदेश के 10 जनपदों में बाल श्रमिकों के शैक्षिक पुनर्वासन हेतु कण्डीशनल कैश ट्रांसफर योजना भी संचालित की जा रही है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में खतरनाक प्रक्रियाओं/व्यवसायों में चिन्हित बाल श्रमिकों के परिवारों के आर्थिक पुनर्वासन के उद्देश्य से परिवार के एक सक्षम वयस्क बेरोजगार सदस्य को शासन द्वारा संचालित विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किये जाने का प्रयास किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

24–श्री दीपक पटेल–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

ख12.20 बजे, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 20.3.15 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 28 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गईं। पहली सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की जनपद इलाहाबाद की तहसीलों में निर्धारित समय में जाति, आय व निवास आदि प्रमाण–पत्रों को बनवाने तथा तत्काल आनलाइन कराने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री जगराम पासवान की जनपद बलरामपुर के ब्लाक श्रीदत्तगंज में सरकारी अस्पताल समेत अन्य भूमियों पर भू–माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर स्थित जौहरगंज श्मशान घाट का सौन्दर्यीकरण एवं घाट की कटान को रोके जाने हेतु बोल्डर लगाये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव की जनपद वाराणसी में राजकीय महिला विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्रीमती मधुबाला की जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र औराई अन्तर्गत नगर पंचायत खमरिया को जोड़ने वाली रोड से अतिक्रमण हटाये जाने एवं उच्चीकरण व नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री मोहम्मद इरफान की जनपद मुरादाबाद में समाजवादी पेंशन योजना की चयन प्रक्रिया में की गई धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री सिबगतुल्ला अंसारी की जनपद गाजीपुर में ताड़ीघाट–बारा मार्ग अन्तर्गत सोहवाल से नौली इंटर कालेज तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के कतिपय मार्गों में नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। (नवीं सूचना पर डा0 पूर्णमासी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे।) दसवीं सूचना श्रीमती माधुरी वर्मा की जनपद बहराइच के विकास खण्ड शिवपुर

अन्तर्गत ग्राम गौरिहा में भगहर ताल पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री गयाचरण दिनकर की जनपद बांदा में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को सहायता राशि एवं मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की जनपद देवरिया की कोतवाली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–186/15 के आरोपियों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री राजनरायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज की जनपद महोबा के अवशेष भागों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री मनोज कुमार सिंह की जनपद चन्दौली में लायन सफारी बनाये जाने के सम्बन्ध में है। चूंकि श्री पूर्णमासी देहाती उपस्थित नहीं थे इसलिये उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची में से श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की सूचना ली जाती है। शेष माननीय सदस्य जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गईं उनके नाम हैं श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री लोकेन्द्र सिंह, डा0 अरूण कुमार, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री काली चरण सुमन, श्री कुष्णपाल सिंह राजपूत, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री अनीसुर्रहमान।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद इलाहाबाद की तहसीलों में निर्धारित समय में जाति, आय व निवास प्रमाण–पत्रों को बनवाने तथा तत्काल ऑनलाइन कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

ख्महोदय, इलाहाबाद जनपद में तहसीलों द्वारा बनाये जा रहे आय प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र आदि ऑनलाइन बेवसाइट पर समय से लोड नहीं किया जाता है। यहां पर लाखों की संख्या में छात्र नौजवान हैं जो स्कूल–कालेज, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज तथा महाविद्यालयों में पढ़ते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हजारों की संख्या में नौजवान सम्मिलित होते हैं। बीमारी, छात्रवृत्ति, विभिन्न शासकीय अनुदानों में भी आय–जाति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होती है। समय से प्रमाण–पत्र न बनने तथा वेबसाइट ऑनलाइन न होने से इन सबको भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। छात्रवृत्ति, अनुदान, बीमारी अनुदान आदि से भी कभी–कभी वंचित होना पड़ता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर इलाहाबाद जनपद की सदर, सोरांव, फूलपुर, हंडिया, बारा, करछना, मेजा, कोरांव तहसीलों में निर्धारित समय में जाति– आय–निवास आदि प्रमाण–पत्रों को बनवाने तथा तत्काल ऑनलाइन कराने की शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद बलरामपुर के ब्लाक श्रीदत्तगंज में सरकारी अस्पताल समेत अन्य भूमियों पर भू–माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगराम यादव–

ख्सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर, ब्लाक श्रीदत्तगंज में ब्लाक व अस्पताल की सरकारी जमीन को स्थानीय एक भूमि माफिया द्वारा कब्जा कर लिया गया है और यह वैया, अस्पताल की जमीन कब्जा कर लिया गया है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि वो ब्लाक व अस्पताल की जमीन को खाली करवाने की कृपा करें।,

जनपद गाजीपुर स्थित जौहरगंज श्मशान घाट के सौन्दर्यीकरण एवं घाट की कटान को रोके जाने हेतु बोल्डर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी–

ख्महोदय,

मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूं।

मान्यवर,

मेरे विधान सभा क्षेत्र 374, सैदपुर, जनपद गाजीपुर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि एन0एच0–29 से सटा हुआ गंगा के किनारे जौहरगंज शमशान घाट है जहां पर लगभग 3 जिलों से लोग अन्तिम संस्कार करने आते हैं।

मान्यवर,

बरसात के मौसम में जो लोग लाशों को लेकर आते हैं उन्हें खड़ा होने की जगह नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब–जब गंगा नदी में बाढ़ आती है। हर रोज इस घाट का कटान होता चला जा रहा है। जिससे आने वाले समय में दाह संस्काकर के लिये काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

मान्यवर,

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए आपके माध्यम से जौहरगंज शमशान घाट का सौन्दर्यीकरण तथा घाटों के कटान के जगह बोल्डर लगाकर बनवाने की मांग करता हूं।,

जनपद वाराणसी में राजकीय महिला विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव–

ख्महोदय, वाराणसी एक ऐतिहासिक अध्यात्मिक तथा शैक्षणिक नगर है लेकिन महिलाओं के लिये आधुनिक विज्ञान के अध्ययन की सुविधा कम है। बी0एस0सी0 पढ़ने की सुविधा दो राजकीय महिला कालेज में है लेकिन बी0एस0सी0 पढ़ने की सुविधा किसी निजी या सरकारी कालेज में नहीं है। राजकीय महिला महाविद्यालय डीरेका में भी केवल 'कला' विषयों की पढ़ाई होती है। डीरेका कालेज के पीछे सारा ग्रामीण इलाका है वहां के छात्राओं को बी0ए0 कामर्स पढ़ने के लिये महानगर के दूसरे कोने में जाना काफी कठिन है। बी0एच0यू0 में प्रवेश पाना बहुत कठिन है, कारण अखिल भारतीय स्तर पर वहां प्रवेश होता है। डीरेका के पास जगह नहीं है, अगर पास ही में स्थित 'नरिया' में डीरेका का एक ब्रान्च खोल दिया जाय जिससे बी0एस0सी0 के अध्ययन की सुविधा छात्राओं को प्राप्त हो जायेगी। नरिया में स्कूल खोलने के लिये जगह रिजर्व रखी गई है उसे प्राप्त करने में सुविधा होगी इसके अलावा डीरेका के आस–पास दूसरी जगह भी देखी जा सकती है। अतः जरूरी है कि इस क्षेत्र में छात्राओं के हित में राजकीय डिग्री कालेज मुख्यतः बी0काम0 व बी0एस0सी0 हेतु खोली जाय।

अतः जनहित में इस अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर उचित कार्यवाही की मांग करती हूं।,

जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र औराई अन्तर्गत नगर पंचायत खमरिया को जोड़ने वाली रोड पर से अतिक्रमण हटाये जाने एवं इसका उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती मधुबाला–

ख्महोदय, आपका ध्यान अति लोकमहत्व एवं जनहित की सूचना की तरफ दिलाना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र औराई जनपद–भदोही के अन्तर्गत नगर पंचायत खमरिया को जोड़ने वाली रोड जो कई वर्षों से जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है जिस पर कई वर्षों से मरम्मत भी नहीं हुआ है और इस पर काफी संख्या में आवागमन भी रहता है यहां पर भी उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र कालीन नगरी के नाम से विश्व विख्यात है इनमें से जी0टी0 लालानगर टोल प्लाजा से खमरिया नगर पंचायत होते हुए सहसेपुर दुद्धी–लुम्बनी लिंक मार्ग जो लगभग 7 किमी0 है तथा जी0टी0 रोड माधोसिंह से खमरिया होते हुए चेतगंज मिर्जापुर गोपीगंज लिंक लोग जो लगभग 6 किमी0 है अत्यन्त ही खराब हो गई है रोड ठीक न होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है इसको लेकर क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति घोर असंतोष है।

अतः मेरा आपसे सदन के माध्यम से जनहित की सूचना पर विधान सभा क्षेत्र औराई के अन्तर्गत नगर पंचायत खमरिया को जोड़ने वाली खराब सड़कों के नवीनीकरण

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA
uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

एवं उच्चीकरण करते हुए अतिक्रमण को हटाकर बनवाये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करती हूं।,

जनपद मुरादाबाद में समाजवादी पेंशन योजना की चयन प्रक्रिया में की गई धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद इरफान–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद सम्भल, मुरादाबाद में समाजवादी पेंशन चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत जबरदस्त धांधली हुई है। जिसमें अपात्र लोगों का चयन किया गया है तथा पात्र शेष रह गये हैं। शासन की नीति के अनुसार कितने अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, सामान्य जाति, पिछड़ी जाति के लोगों का चयन उक्त योजना के तहत दोनों जनपदों में किया गया है। यह अत्यन्त जनहित एवं लोक महत्व का विषय है।

अतः वर्ष 2014–15 में चयनित जनपद सम्भल एवं मुरादाबाद की संख्या बताये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद गाजीपुर में ताड़ीघाट–बारा मार्ग अन्तर्गत सोहवल से नौली इण्टर कालेज तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सिबगतुल्ला अंसारी–

ख्सम्मानपूर्वक अवगत कराना है कि मेरे गृह जनपद गाजीपुर के ताड़ीघाट–बारा मार्ग (टी0वी0) मार्ग का सोहवल से नौली इण्टर कालेज तक का मार्ग अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में विगत एक वर्ष से है। श्रीमान् जी उक्त जीर्ण–शीर्ण मार्ग के निर्माण हेतु जिला व शासन स्तर पर अनेकानेक प्रयास किये गये किन्तु सारे प्रयास निरर्थक ही रहे। आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूंगा कि उक्त मुख्य मार्ग बिहार सीमा को जोड़ता है जिस पर यातायात का काफी दबाव रहता है। यही नहीं उक्त मुख्य मार्ग मेरे निर्वाचन क्षेत्र–मुहम्मदाबाद, गाजीपुर के अन्तर्गत आता है तथा जनपद का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग यातायात के दृष्टिकोण से है। उक्त मुख्य मार्ग की लम्बाई लगभग 15 कि0मी0 की होगी। उक्त मार्ग का निर्माण/मरम्मत न होने से लोगों में काफी रोष व्याप्त है।

अतः मैं सदन के माध्यम से ताड़ीघाट–बारा मार्ग (टी0वी0) मार्ग का सोहवल से नौली इण्टर कालेज तक लम्बाई लगभग 15 कि0मी0 का निर्माण/मरम्मत कराये जाने का अनुरोध करता हूं।,

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के कतिपय मार्गों में नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

ख्मान्यवर, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए क्षेत्र के शहर खुरजा में मार्गों के दोनों ओर जल की निकासी हेतु नाले का नवनिर्माण कराना आवश्यक है। यह शहर की एक गम्भीर समस्या है और वर्षा का पानी घरों के अन्दर चला जाता है जिससे शहर की जनता खुर्जा विकास प्राधिकरण खुर्जा के कार्यालय पर धरना कर चुकी है और मैंने भी खुर्जा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को कई पत्र लिखे हैं व मोबाईल पर वार्ता की है किन्तु आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिससे अबकी बार क्षेत्रीय जनता मतदान बहिष्कार करना चाहती है और सरकार के प्रति गुस्सा है मार्गों के दोनों किनारों पर जहां नाला निर्माण होना है वह निम्न प्रकार है :–

1–शहर खुर्जा में पहासू बस स्टैण्ड से कालन्दीकुंज के नाले तक मार्ग के दोनों ओर।

2–खुर्जा जेवर मार्ग पर शहर खुर्जा में किला रोड से पंचवटी बम्बे तक सड़क के दोनों ओर नाला निर्माण कार्य।

3–एन0एच0–91 बिजलीघर नं0–4 खुर्जा के निकट से महाराना प्रतापनगर (विवेक विहार) में शिल्पा मैरेज होम पहासू रोड तक लगभग 900 मीटर तक का सी0सी0 निर्माण कार्य।

अतः अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में उपर्युक्त सड़क के दोनों किनारों पर नाला निर्माण किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद बहराइच के विकास खण्ड शिवपुर अन्तर्गत ग्राम गौरिहा में भगहर ताल पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माधुरी वर्मा–

ख्मेरे निर्वाचन क्षेत्र 283–नानपारा, जनपद बहराइच के विकास खण्ड–शिवपुर अन्तर्गत ग्राम–गौरिहा में भगहर ताल (नदी) पर जनता को आने–जाने हेतु पुल न होने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बरसात में उक्त नदी विकराल रूप धारण कर लेती है, विगत वर्ष 2013 में उक्त गांव में 4 बच्चे नदी को पार करते समय डूब कर मर गये, जिसके सम्बन्ध में मैंने अपने पत्र के माध्यम से वर्ष 2014 में एवं पुनः दिनांक 19 मार्च, 2015 को माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर भगहर ताल (नदी) पर गौरिहा ग्राम के पास रपटा पुल निर्माण कराये जाने हेतु अनुरोध किया था परन्तु काफी समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। बरसात में उक्त तालाब/नदी विकराल रूप धारण कर लेती है जिससे आवागमन ठप हो जाता है। उक्त गौरिहा ग्राम के पास भगहर ताल/नदी पर रपटा पुल का निर्माण न कराये जाने से जनता में काफी आक्रोश व्याप्त हो गया है।

अतः उपरोक्त जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर अविलम्ब जनपद–बहराइच के अन्तर्गत विकास खण्ड–शिवपुर के ग्राम गौरिहा के पास भगहर ताल/ नदी पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

ख्सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज, जनपद कुशीनगर में सड़कों/मार्गों की लगभग 10 वर्षों से मरम्मत न होने की वजह से सड़कें पूर्णतया क्षतिग्रस्त व बड़े– बड़े गड्ढ़ों में तब्दील हो चुकी हैं। सड़कों की स्थिति को देखते हुए जनहित में इनका मरम्मत/पुनः निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण सड़कें मण्डी परिषद् द्वारा बनाई गई हैं :–1–सलेमगढ़ से तरयासुजान तक की सड़क, 2–सरयासुजान बाजार से भूलिया तक सम्पर्क मार्ग, 3–दाहूगंज बाजार से मथौली तक सम्पर्क मार्ग। प्रकरण जनहित एवं लोकमहत्व का है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद बांदा में अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को सहायता राशि एवं मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गयाचरण दिनकर–

ख्महोदय, ससम्मान संज्ञान में लाना है कि मार्च, 2015 के प्रथम, द्वितीय व तृतीय सप्ताह में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि व तूफान आंधियों ने खेतों में खड़ी गेहूं, चना, मसूर, मटर, सरसो, अल्सी, अरहर आदि की फसलों के नष्ट कर कृषकों व बटाईदारों के समक्ष अनिश्चित भविष्य व जीवन चयन का भीषण संकट उत्पन्न कर दिया है। आंधी से जमीन पर गिर गई व खलिहानों में रखी फसलें जलभराव से पूर्णतया बर्बाद हो जाने से सभी जगह तबाही का आलम है। इस भीषण आपदा में नष्ट हुई फसलों को भौतिक सत्यापन न होकर कर्मचारी व अधिकारी घर बैठे अनुमानित व पक्षपातपूर्ण आंकड़े तैयार कर दैवीय आपदा से प्रभावित कृषकों व बटाईदारों को राहत मुआवजा व फसल बीमा से वंचित करने की शाजिश कर रहे हैं। शासन व प्रशासन गैर जिम्मेदार व संवेदनहीन बर्ताव से कृषकों में भीषण आक्रोश है, इस भीषण तबाही व दैवीय आपदा से प्रभावित कृषकों, बटाईदारों व खेतिहर मजदूरों के हक अधिकारों के संरक्षण व कल्याण का दायित्व राजस्व सरकार पर है। यह अति लोक महत्व का प्रकरण है।

अतः अतिवृष्टि, ओलावृष्टि व तूफानी आंधी से प्रभावित व तबाह हुए कृषकों, बटाईदारों व खेतिहर मजदूरों की क्षति का शीघ्र भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन कराकर पर्याप्त राशि मुआवजा व फसल बीमा का लाभ दिलाये जाने हेतु राज्य सरकार को आदेशित देने की कृपा करें।,

जनपद देवरिया की कोतवाली सदर में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या–186/15 के आरोपियों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश त्रिपाठी–

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

ख्अवगत कराना है कि दिनांक 18–02–2015 को सी0सी0 रोड देवरिया, थाना कोतवाली देवरिया में 15 से अधिक संख्या में आकर रोहित सिंह पुत्र मान सिंह के बगल के मकान में घुसकर पहले मार–पीट की। रोहित और वहां बैठा हुआ था। मारपीट के बाद रोहित वहां से भागा जहां पर उसे दौड़ाकर पिस्टल से सिर में गोली मार दी। यह घटना सायं 8.30 बजे घटित हुई। इस घटना में 6 अज्ञात तथा दो नामजद लोगों की रिपोर्ट थाना कोतवाली देवरिया में मु0अ0सं0–186/15 धारा 147, 148, 149, 452, 302, 504, 506, आई0पी0सी0 के तहत दर्ज की गई है। परन्तु अभी तक पुलिस द्वारा न तो नामजद अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और न ही अन्य लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नामजद अभियुक्तों सहित सभी अपराधियों को यथाशीघ्र गिरफ्तार कराने तथा मृतक के परिवार को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद महोबा के कतिपय ग्रामों के अवशेष भागों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज–

ख्कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद गठन के 20 वर्ष बाद भी क्षेत्र में अनेक ग्रामों में सम्पूर्ण क्षेत्र में विद्युतीकरण न होने से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं।

क्षेत्र के ग्राम बहिंगा, खटक, पहरा, करहरा, कलां, मकरबई, इमिलिया, बिलबई, बरबई, ज्यौरैया, खम्हरिया, भडरा (मजरा), दमौरा, बधारी, (सिंहनपुर), किडारी, कहरा, बलियातला, शाहपहाड़ी के अवशेष भाग में शीघ्र विद्युतीकरण की आवश्यकता है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए राज्य सरकार से शीघ्र विद्युतीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद चन्दौली में लायन सफारी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार सिंह–

ख् मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद चन्दौली के चन्द्रप्रभा वन्य जीव बिहार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। चन्द्रप्रभा वन्य जीव बिहार में जगह–जगह घास के मैदान हैं तथा विन्ध्य पर्वतीय क्षेत्र में अनेकों गुफायें व जलप्रपात हैं। यह बब्बर शेरों व अन्य जीव जन्तुओं के वास स्थल, संरक्षण व संवर्धन के लिये उपयुक्त स्थान है। सरकार द्वारा शेरों को बचाने का जो भी प्रयास किया जा रहा है वह लायन सफारी बनाकर पूरा किया जा सकता है जो जनहित व प्रदेश हित में लाभप्रद है।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA
uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः उक्त अविलम्बनीय विषय पर प्रदेश द्वारा जीव जन्तुओं के संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों को सफल बनाने हेतु सदन से जनपद चन्दौली में लायन सफारी बनाये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्दराबाद के कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

ख्महोदय, जनपद बुलन्शहर के विकास खण्ड सिकन्द्राबाद के अन्तर्गत आने वाले वैर से हिरलौटी सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग लम्बाई लगभग 1.50 कि0मी0, वैर से अलियाबाद सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग लम्बाई लगभग 0.50 कि0मी0 तथा नगला काला से सहपानी सम्पर्क मार्ग लम्बाई 2 कि0मी0 का निर्माण जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। पहले दोनों सम्पर्क मार्ग वर्षों पहले बन चुके हैं लेकिन उनके अवशेष भागों का निर्माण शेष पड़ा है। उक्त मार्गों न बनने से उक्त क्षेत्र की जनता शिक्षा, चिकित्सा आदि मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहती है। विशेषतः इस क्षेत्र की छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा के लिये शहर आना पड़ता है। जिसके कारण इनकी सुरक्षा को खतरा बना रहता है तथा माता–पिता भय के कारण बच्चियों को दूर शिक्षा ग्रहण करने को नहीं भेजते हैं। छात्राओं को उचित शिक्षा हेतु उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण अति आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करती हूं।,

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नीरज कुशवाहा (मौर्य)–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी कृपा से और आपकी व्यवस्था से हम लोग विधान सभा में प्रश्न लगाते हैं और उसको आप कृपापूर्वक स्वीकार भी करते हैं, लेकिन मान्यवर, पता नहीं कैसे कार्यालय में यह त्रुटि हो गई कि आपने 27 मार्च, 2015 तक विधान सभा का एक कार्यक्रम बनाया और हमें जो प्रश्न मिलें है स्वीकार होकर वह 5वें बुधवार को आ रहे हैं, 5वें शुक्रवार को आ रहे हैं तो मान्यवर, इनका नम्बर कहां आयेगा?

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है कुशवाहा जी, एक नियमावली है, जब प्रश्न आते हैं तो वारवाइज वह लगते हैं। तो जितने प्रश्न एक दिन लगाने होते हैं जब उससे ज्यादा प्रश्न होते हैं तो अगले वार को लगते हैं। तो प्रश्नों की संख्या को देखते हुए लगाया गया होगा।

श्री नीरज कुशवाहा (मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, थोड़ी व्यवस्था कर दें। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। इतनी व्यवस्था कर दें कि जो कार्यक्रम आप बनाते हैं अगर उसमें ही यह चौथे बुधवार को पांचवें वाले उसमें कर लिये जाते तो हम लोगों को प्रश्नों का उत्तर मिल जाता। मान्यवर, इस पर मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ी कृपा कर दें।

श्री अध्यक्ष–

देखिये एक विधायक का एक वार में एक ही प्रश्न लगता है, इस नाते थोड़ी दिक्कत है और यह व्यवस्था नियमों में है। यह बात आपकी ही नहीं है, सभी माननीय सदस्यों की है। यह इतना लम्बा निर्धारित होता है कि एसेम्बली बन्द हो जाती है तब भी नहीं आ पाता, यह तो प्रश्न है।

स्टेट बैंक सचिवालय शाखा से मा0 सदस्य के खाते से साइबर क्राइम द्वारा लाखों रुपये निकाले जाने विषयक व्यक्तिगत प्रकरण

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

मान्यवर, मेरा एक व्यक्तिगत मामला है। इस सचिवालय परिसर में जो बैंक है, उस बैंक में मेरा खाता है और उसमें आपके यहां से सैलरी जाती है। उस खाते से एक लाख नब्बे हजार रूपया निकाल लिया गया साइब्रर क्राइम द्वारा। इसमें मैंने मुकदमा संख्या–335 लिखाया है। इस मुकदमे को लगभग 6–7 महीने हो गये और माननीय अध्यक्ष जी अभी तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार उसमें कार्यवाही करे मेरा एक लाख नब्बे हजार रूपया निकल गया है। कई क्राइम पकड़े गये हैं लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मुझे तो यह शिकायत है माननीय सदस्य से कि इतनी देर बाद क्यों बता रहे हैं क्योंकि यह बहुत चिन्ता का विषय है। इस तरह बैंक से पैसा निकल जाना और सचिवालय के बैंक से निकल जाना, माननीय विधायक का निकल जाना यह बड़ी बात है मैं इसे आज ही देखता हूं। मैं इसे आज ही देखता हूं बड़ी बात है। आप तो चलो धनवान हैं, झेल लोगे, लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं जिनसे नहीं बर्दाश्त होगा।

प्रश्नों का समय बढ़ाये जाने का अनुरोध

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग बहुत तैयारी के साथ बहुत पढ़ लिखकर आते हैं अपने सवाल का जबाव लेने सदन में, लेकिन कई बार वाद–विवाद के कारण समय जाया होता है इसमें हमारा अनुरोध है..

श्री अध्यक्ष–

अब इसमें क्या अनुरोध करेंगे ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

जो समय मान्यवर, जाया होता है उसको अलग से ले लिया जाए और हमारे प्रश्न ऑवर को बढ़ा दिया जाए। ताकि हमारे प्रश्नों का सरकार से जबाव आ जाए।

श्री अध्यक्ष–

आज सबको जाना है दो बजे तक, जल्दी निपटा दिया जाए। चर्चा लगी है एक।

गाजियाबाद में डी0आर0डी0ए0 कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकृष्ट करना

श्री अमरपाल शर्मा–

मान्यवर, हमारे यहां जिला गाजियाबाद में, मान्यवर, मंत्री जी बैठे हैं थोड़ा उसका संज्ञान ले लें, डी0आर0डी0ए0 के जितने कर्मचारी हैं सब हड़ताल पर बैठे हैं। नौ–नौ महीने से उनको वेतन नहीं मिला है और गाजियाबाद का पूरा कार्य ठप पड़ा है। क्योंकि वह आफिसों में बैठते नहीं हैं सारे लोग हड़ताल पर बैठे हैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं इनके वेतन के बारे में थोड़ा सा संज्ञान ले लें, हड़ताल खत्म हो जाए तो काम चालू हो जाए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, इसमें हमारी कोई खता नहीं है यह तो अच्छे दिनों की देन है। आप अपने पड़ोस में कुछ गुजारिश कर लीजिए अच्छे दिन आ गए हैं दिल्ली करीब है, वहां चले जाएं, वरना वैकल्पिक व्यवस्था है झाड़ू हाथ में लें और सेवा करें। (हंसी)

ख12.28 बजे, वर्तमान विधान सभा के तीन वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी अभी तक उपाध्यक्ष का निर्वाचन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 20 मार्च, 2015 को नियम–300 के अन्तर्गत चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जिसमें पहली सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की है इन्होंने वर्तमान विधान सभा के गठन के तीन वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी अभी तक उपाध्यक्ष का निर्वाचन न होने से उत्पन्न स्थिति के संबध में सूचना दी है। सुरेश कुमार खन्ना जी आप कुछ कहेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने नियम–300 पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी भारत के संविधान के आर्टिकिल 178 में यह व्यवस्था है कि –'' प्रत्येक राज्य की विधान सभा, यथाशाक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब–जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब–तब विधान सभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी।'' नियमावली में भी इसकी व्यवस्था है नियम–9 में निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है, आप अवगत हैं कल सदन में एक सवाल आया था मान्यवर, कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक उपाध्यक्ष के पद बहाल कर दिए गए। मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि जिस दिन सरकार यह महसूस करेगी कि उपाध्यक्ष की आवश्यकता है ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक, मान्यवर, जब छोटी–छोटी पंचायतों में उपाध्यक्ष की आवश्यकता है तो यह तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत है इसमें तो उपाध्यक्ष की परम आवश्यकता है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब यह सरकार महसूस करती है कि आवश्यकता है तो निर्वाचन न कराने की क्या मजबूरी है। दूसरी बात यह सरकार बार–बार यह कहती है कि हम बदले की भावना से कोई काम

नहीं करेंगे। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई काम नहीं करेंगे मान्यवर, तीन साल हो गए और तीन बरस बीत जाने के बाद जो एक अदद उपाध्यक्ष की परम आवश्यकता थी वह नहीं मिल पाया। मान्यवर, परम्परायें बनती भी हैं और टूटती भी हैं। कोई परम्परा ऐसी होती है जो पहली बार जन्म लेती है और वह बाद में परम्परा बन जाती है। अभी तक विधान सभा की परम्परा रही है मान्यवर, जब से विधान सभा बनी है तब से मेरी जानकारी में 2007 से 2012 के बीच के कार्यकाल को छोड़कर कभी ऐसा नहीं रहा कि उपाध्यक्ष न रहा हो, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से विनम्रतापूर्वक यह अनुरोध करना चाहता हूं, यह गुरुतर दायित्व भी आपके माध्यम से निर्धारित होना है तो जब सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, और बदले की भावना से कोई कार्य नहीं करती है, तो एक नई परम्परा पड़नी चाहिए। जिसको चाहे उपाध्यक्ष बना दें आप इस पीठ पर सुबह 11 बजे से लेकर पांच बजे तक,कभी नौ बजे तक कभी इसके बाद भी सदन चलता है। आप इस पीठ के ऊपर सुबह 11:00 बजे से लेकर रात को 8:00 बजे तक, कभी 9:00 बजे तक बैठते हैं, कभी इसके बाद भी सदन चलता है, आखिरकार आदमी के काम करने की और लगातार काम करने की सीमा है तो उसमें आपको भी बहुत बड़ी सहूलियत मिल सकती है। मैं आपका ध्यान इस विशेष बिन्दु पर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार इस परम्परा को तोड़कर भी किसी को भी उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। मैं विनम्रतापूर्वक आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जब ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक उपाध्यक्ष की आवश्यकता है तो इस विधान सभा को भी एक उपाध्यक्ष की आवश्यकता है। मान्यवर, हम आपके माध्यम से इस पर व्यवस्था चाहते हैं। आप इस पर व्यवस्था दे दें और उपाध्यक्ष का चुनाव करवा दें।

विधान सभा के उपाध्यक्ष जो सदन की कई समितियों के पदेन सभापति होते हैं, का पद रिक्त होने से उक्त समितियों की बैठक न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री सतीश महाना जी की है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मेरा भी यही इश्यू है। मेरा भी विषय यही है।

श्री अध्यक्ष–

आपका विषय जो है वह वही है, लेकिन नियमावली में परिवर्तित करके नियम–201 के 4 में कर दिया गया है कि कोई भी जो अध्यक्ष होंगे तो वह इसके भी पदेन अध्यक्ष हो जायेंगे। वह नियमावली चेंज हो गयी है। मैं जानता हूं, उन कमेटियों में जिनमें उपाध्यक्ष का प्राविधान था कि उपाध्यक्ष जो होंगे वही उसके चेयरमैन होंगे। नियमावली में नियम समिति ने चेंज करके नियम–201(4) के अन्तर्गत यह व्यवस्था कर दी है कि जिन कमेटियों में उपाध्यक्ष, विधान सभा के सभापति हैं उन समितियों के

अध्यक्ष अन्य समितियों के सभापतियों में सम्बद्ध कर सकते हैं वही इसके पदेन अध्यक्ष हो जायेंगे। इसलिये यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, एक बात और सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

अब किसलिये सुनायेंगे। आगे बढ़े, आपको जाना है कि नहीं? आज ओलावृष्टि पर चर्चा हो जाये। सभी मा0 सदस्यों को जाना है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, आप जितने बजे आदेश करेंगे हम उतने बजे चले जायेंगे। मान्यवर, आप अपने लिये तो कहते नहीं, हम लोगों को ही कहने दिया कीजिये। आपका हृदय विशाल है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

अरे, अब खन्ना जी को कहने देंगे ? खन्ना जी ने इस पर ध्यान आकृष्ट किया, इसके लिये धन्यवाद। इसके बारे में मैं बाद में कोई निर्णय दूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, वैसे तो आप मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछ लेते थे।

श्री अध्यक्ष–

संसदीय कार्य मंत्री जी से क्या पूछे ? यह जो विषय है, आप खुद जानते हैं तो क्यों बार–बार उठाते हैं?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पहली बार यह सवाल लाये हैं। हम यह इंतजार कर रहे थे कि जब यह उपाध्यक्ष की महत्ता को बतायेंगे, उसी वक्त हम इस बात को रखेंगे।

ख12.33 बजे, दिनांक 16 जुलाई, 2009 को कांग्रेस सदस्य प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी के आवास पर हुई आगजनी की जांच पूरी हो जाने के उपरान्त कोर्ट में चार्जशीट फाइल न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

तीसरी सूचना डा0 रीता बहुगुणा जोशी जी की है।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी आभारी हूं कि आपने नियम–300 के अन्तर्गत मुझे एक अत्यन्त संवेदनशील विषय जो मुझसे स्वतः जुड़ा हुआ है उस पर सदन के समक्ष बोलने का मौका दिया। 16 जुलाई, 2009 को लखनऊ में एक घटना घटित हुयी थी जिसमें मेरा निवास–45, सरोजिनी नायडू मार्ग में बहुत सारे लोगों ने प्रवेश करके ज्वलन सामग्री का प्रयोग करके उसमें आगजनी की और मध्य रात्रि के समय यह घटना घटित हुयी। वहां बड़ी संख्या में उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उपस्थित था, उसने

उसको पूरी रात दिखाया और गोले बना–बना कर चेहरों पर बहुत सारे पुलिस के अधिकारियों और उस समय के शासित दल के निर्वाचित सदस्यों के चेहरों को उजागर किया था। उस समय 2009 में हमारी ओर से एफ0आई0आर0 भी हुयी और एफ0आई0आर0 में नाम तो नहीं लिये गये, लेकिन वह प्रमाण प्रस्तुत किये गये जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिला। मा0 अध्यक्ष जी, 200 करोड़ रूपये का एयर टाईम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस घटना को दिया है और पूरे हिन्दुस्तान और विश्व में इस पर चर्चा होती रही कि कैसे कोई निर्वाचित सरकार जो उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी,एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के घर को इस तरह से जलवा सकती थी जबकि सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में वह घर था। पुलिस की उपस्थिति में कैसे वह घर जला? क्योंकि हमें संदेह था कि इस प्रकरण में सरकार की लिप्तता है तो हम कोर्ट गये थे कि इसमें सी0बी0आई जांच हो। 2009 से 2012 तक तिथियां लगती रहीं, कोई निर्णय नहीं हुआ, उतने में सरकार समाजवादी पार्टी की आ गई और हाई कोर्ट ने यह कह कर हमारे केस को डिसमिस किया कि क्योंकि सरकार बदल गई है, नई सरकार निष्पक्ष रूप से इसकी जॉच करेगी और निर्देशित किया कि हम उसमें कोआपरेट करें और सरकार को कहा कि अगर कोआपरेट नहीं करते हैं तो भी चार्जशीट फाइल की जाय। अब 2009 से 2012, 2012 के दिसम्बर तक जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे कोआपरेशन से केस की जांच पूरी हो गई थी। दिसम्बर, 2012 के बाद मैं इन्तजार करती रही, मैंने 2014 में इस प्रकरण को फरवरी में यहां सदन में उठाया, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया, वह मैं पढ़ कर उद्धृत करना चाहती हूं। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि ''मैं इसे दिखवा लूंगा और जो बेहतर कार्यवाही होगी, की जायेगी, जो कानूनी कार्यवाही होगी, की जायेगी।'' मैं मानती हूं, इस आश्वासन के बाद इसकी चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए थी। 2014 से 13 महीने हो गए, इस प्रकरण पर यहां आश्वासन को आए लेकिन अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। अध्यक्ष जी, मैं आपसे संरक्षण चाहती हूं कि आज ही मुझे सरकार बताये कि कब तक चार्जशीट फाइल करेगी?

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब सरकार की बात सुनिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, पूरी स्थिति मेरे पास इस वक्त नहीं है, मैं जानकारी ले लूंगा और व्यक्तिगत तौर पर भी आपसे बात कर लूंगा।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

अध्यक्ष जी, 13 महीने हो गए। आप कुछ टाइम बाउण्ड निर्देश तो दे दीजिए।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर आग लगा दी गई थी और इतना गंभीर मामला हो गया, पूरे देश में सारे राष्ट्रीय चैनल्स ने उसे चलाया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहें कि इस पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

मान्यवर, आप पीठ से सरकार को निर्देशित कर दें कि कितने दिनों में निर्णय ले लेंगे। 13 महीने हो गए हैं, इसको आप टाइम बाउण्ड कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

जब संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया है कि वह इसे दिखवा लेंगे। एक और अवसर दे दीजिए न। हम इसको टाइम बाउण्ड कैसे कर देंगे।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

इसको आप टाइम बाउण्ड तो कर दीजिए, दो हफ्ते, तीन हफ्ते, एक महीना, दो महीना, कुछ तो बोलें। इतना तो बता दें कि कितने महीने लगेंगे ?

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त होइये। संसदीय कार्य मंत्री जी बता रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं दिखवाऊंगा बिल्कुल, बात तो बहुत अच्छी नहीं लग रही है। ठीक भी नहीं हुआ था, पूरे देश में बहुत बुरा मैसेज गया था। अब उन चीजों को मैं यहां कहूंगा तो जरा ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा। देखते हैं, इसको खास तौर से, कोशिश करेंगे कि जल्दी हो।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर क्षेत्र में विकास निधि के प्रस्तावित कार्यों में अधिकारियों द्वारा अप्रत्यक्ष विलम्ब किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की है। राम सरन वर्मा जी, आपका नियम–300 में कैसे आयेगा? आप लिखते हैं कि जनपद पीलीभीत के बीसलपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास निधि के प्रस्तावित कार्यों में अधिकारियों द्वारा अप्रत्यक्ष विलम्ब किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। मैं इसका दिखवा लूंगा कि आपका विलम्ब न हो। आप हमको लिखकर दे दें।

नियम–301 की सूचना लिये जाने का अनुरोध

श्री पूर्णमासी देहाती–

अध्यक्ष जी, नियम–301 के अन्तर्गत मेरी एक सूचना थी।

श्री अध्यक्ष–

आप चले गए थे तो मैं क्या करूं ? आप रोज सूचनाएं देते हैं, हमें भी परेशान करते हैं और जब समय रहता है तो घूमने चले जाते हैं, बैठिए।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–292/ग्यारह–9(175)–14–उ0 प्र0 अधि0–5–2008–आदेश–(130)–2015, दिनांक 12 मार्च, 2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–4 की उपधारा(5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

ख12.40 बजे, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–3, 4, 5 एवं 6 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–7 लेते हैं।

आज दिनांक 20–03–2015 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। पहली सूचना है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की उनके साथ बहुत–से लोगों के नाम हैं अब सबका नाम पढ़ेंगे तो समय लग जायेगा। मौर्या जी बोलेंगे सबका उसी में आ जायेगा।

पहली सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्या, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री इन्द्रपाल सिंह, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री राजबली जैसल, श्री दीपक पटेल, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री उमेश पाण्डेय, श्री रामहेत भारती, श्री कालीचरन सुमन, श्री राधेलाल रावत, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की उत्तर प्रदेश सचिवालय में बैकलॉग कोटे के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक समीक्षा अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दूसरी सतीश महाना जी की प्रदेश में दिनांक 14 व 15 मार्च, को अत्यधिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से ईंट–भट्टा उद्योग से जुड़े व्यापारियों से कर वसूली में छूट प्रदान किये जाने के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री अनुग्रहण नारायण सिंह, श्री संजय कपूर, श्री दलजीत सिंह, श्री प्रदीप चौधरी, श्री नदीम जावेद, श्री गजराज सिंह की इलाहाबाद में लगभग 800 बीघे भूमि पर आवास विभाग द्वारा एक व्यक्ति व भूमि के लिये जारी शासनादेश दिनांक 11.09.2014 की उच्चस्तरीय जांच कराकर निरस्त किये जाने के संबंध में है। चौथी सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की दिनांक 02.03.2015 को जनपद आगरा के विधानसभा क्षेत्र एत्मादपुर निवासी सिराज खां की सड़क दुर्घटना में मृत्यु व अन्य घायलों के उपचार हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है। इसको मैं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत करता हूं (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत)। पांचवी सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की कानपुर महानगर के अंतर्गत छावनी विधान सभा क्षेत्र के कतिपय मोहल्लों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है (ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत)।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत हुयीं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री सुरेश राणा, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री पंकज गुप्ता, डा0 अरूण कुमार, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री बाला प्रसाद अवस्थी, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री रोशन लाल वर्मा, श्री प्रदीप माथुर, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, कुं0 कौशल सिंह, श्री गयादीन अनुरागी, श्रीमती उमाकान्ती, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री राधेश्याम, श्री ललितेशपति त्रिपाठी, श्री अगयश रामसरन वर्मा श्री रामचन्द्र यादव।

(श्री पंकज गुप्ता के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

पंकज जी आपको क्या कहना है अब आपका रोज रहेगा? चलो अब नहीं। आपका एक्सेप्ट नहीं हुआ है लेकिन इम्पोरटेंट है इसलिए बोल लीजिए।

श्री पंकज गुप्ता–

मा0 अध्यक्ष जी किसानों के अतिसंवेदनशील मसले को लेकर आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे विधानसभा क्षेत्र उन्नाव में पिछले तीन दिनों से किसानों के साथ जिला प्रशासन द्वारा लगातार अत्याचार किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण के नाम पर उनकी जमीन पर लगातार कब्जा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र को छावनी बना दिया गया है। गैर जनपदों से पी0ए0सी0 बुलाई गई है। दर्जनों थानों की पुलिस फोर्स बुला ली गई है। किसानों को क्षेत्र के बाहर आने–जाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको छोटी–सी बात बताना चाहता हूं कि चार–चार साल के बच्चे अपने खेत की मेड़ों में सोने का काम कर रहे हैं। अपने खेत को ताकने का काम कर रहे हैं। पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही है जिससे लोग चोटिल हो रहे हैं। अभी कल की घटना है। कल हजार से ऊपर लोगों पर मुकदमा लिखाया गया। परसों की घटना है ग्यारह लोगों पर मुकदमा लिखाया गया। रोज की तारीख में हजारों लोगों पर मुकदमा लिखा कर जबरदस्ती किसानों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं

श्री अध्यक्ष–

आप मांग बताइये जो आप सरकार से चाहते हैं ?

श्री पंकज गुप्ता–

मान्यवर अगर आप दो मिनट का समय दे दें तो मैं अपनी बात कह दूं। हमारे पास सारी नियमावली है।

श्री अध्यक्ष–

नियम अब बहुत हो गया आपने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर लिया।

श्री पंकज गुप्ता–

मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि इस पर जरूर वक्तव्य देने का काम करें क्योंकि रोज वहां प्रशासन अतिक्रमण कर रहा है। किसानों को परेशान व लाठीचार्ज करने का काम कर रहा है। मा0 मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह

उसको रोकने का काम करें और पूरी प्रक्रिया का परीक्षण कर किसानों को जो कानून सरकार का है 2013 का उसके अनुसार आच्छादित करने का काम किया जाए। तब तक इस पूरी प्रक्रिया को रोकने का काम किया जाए। किसान पूरी तरह से आहत हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी अभी सरकार ने कैबिनेट ने एक फैसला किया कि हम बातचीत से ही किसानों की जमीन लेंगे। यह अपने आप में कितना विरोधाभास है कि एक तरफ लाठीचार्ज हो रहा है और दूसरी तरफ सरकार यह फैसला करती है। तो जो सरकार ने बातचीत का रास्ता अख्तियार किया है हमारी सरकार से यह मांग है कि बातचीत के माध्यम से यह फैसला निपटाएं और जो मुआवजा है वह भी दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इसको दिखवा लीजिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर कैबिनेट ने जो पास किया है सरकार बिल्कुल उसके लिए कटिबद्ध है। मुआवजा देने की जो शर्तें है जितना मुआवजा दिया जाना चाहिए वही दिया जा रहा है और दिया जायेगा। किसी तरह से कोई नाइंसाफी नहीं होगी। कहीं कोई बल प्रयोग नहीं हुआ है। अगर अन्यथा कोई उसको दूसरा रंग देना चाहेंगे तो जाहिर है शांति बनाए रखने के लिए। इसके लिए आपको आश्वस्त करता हूं। जो भी होगा नियमानुसार होगा नियम विरूद्ध कुछ भी नहीं होगा। हां लेकिन अगर माहौल खराब होता है तो उसको तो ठीक रखा जाएगा।

(श्री पंकज गुप्ता जी के बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष–

अब खत्म आपका। माननीय मौर्या जी।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सचिवालय में विशेष भर्ती अभियान के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के सहायक समीक्षा अधिकारियों से संबंधित यह सूचना है। वर्ष 2006 में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने इस विशेष भर्ती अभियान के तहत निर्देश दिया था कि सचिवालय में 128 पदों में से 40 प्रतिशत अर्थात 45 पद पदोन्नति के और 60 प्रतिशत अर्थात 83 पद लोक सेवा आयोग से भरना है और उसी के तहत तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के निर्देश पर 22 अप्रैल 2004 को नियमतः कार्मिक विभाग, वित्त विभाग और न्याय विभाग से अनुमोदित होकर अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया। मान्यवर, 2006 में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ । विज्ञापन संख्या–ए 2 ई 1, 2006 और इस अधियाचन और विज्ञापन के बाद मान्यवर, 83 पदों पर भर्ती के लिए प्रारम्भिक परीक्षा हुयी। लिखित परीक्षा हुयी और उसके बाद 79 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुये थे और 78 अभ्यर्थियों का वेरीफिकेशन हुआ था। इन 78 में से 73 अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के थे और 05 अभ्यर्थी अनुसूचित

जनजाति के थे। मान्यवर, नवम्बर, 2012 में इनका परिणाम आया और वेरीफिकेशन करने के बाद इनके ज्वाइनिंग के लिए कार्मिक विभाग, वित्त विभाग और न्याय विभाग से संस्तुति मांगी गयी। मान्यवर, सभी विभागों ने अपनी लिखित रूप से स्वीकृति प्रदान की कि इनकी नियुक्ति तत्काल की जाये। मान्यवर, सचिवालय में बैठे हुए कुछ अधिकारियों ने मनमाने तरीके से इसमें एक झूठी रिपोर्ट लगाकर कि जो विज्ञापन था वह ही गलत था इसलिए यह नियुक्ति नहीं हो सकती। मान्यवर, तत्कालीन मुख्य मंत्री जी के इस विशेष चयन के तहत उसी विज्ञापन में एक ही दिन विज्ञापन हुआ, एक ही दिन परीक्षा हुयी और सबकी ज्वाइनिंग हो गयी। सामान्य वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के जो चयनित सहायक समीक्षा अधिकारी हैं उनकी भर्ती हो गयी। लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के चयनित अभ्यर्थियों की भर्ती नहीं हुयी। मान्यवर, जब कार्मिक विभाग, वित्त विभाग और न्याय विभाग ने मिलकर यह अधियाचन यहां से भेजा और उसके बाद लोक सेवा आयोग ने उसी अधियाचन के आधार पर विज्ञापन जारी किया तो विज्ञापन गलत होने का प्रश्न कहां से उठता है। मान्यवर, इसके पीछे कहीं न कहीं कोई चाल है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में बैठे हुए कुछ बेअन्दाज अधिकारियों के चलते आज यह 78 चयनित अभ्यर्थी अभी तक सड़कों पर दर–दर ठोकरे खा रहे हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में जबकि कार्मिक विभाग का यह निर्देश भी है अनुभाग–4 दिनांक 15 नवम्बर 1999 के कार्याज्ञाप के प्रस्तर–2 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि चयनित अभ्यर्थियों को संस्तुति प्राप्त होने के उपरान्त उन्हें कार्यभार अवश्य ग्रहण कराया जाये। मान्यवर, इसके बावजूद भी, कार्मिक विभाग, वित्त विभाग और न्याय विभाग की संस्तुतियों के बाद भी ऐसे निरंकुशशाही अधिकारी कहीं न कहीं लीपापोती करके शासन प्रशासन को गलत सूचना देने का काम कर रहे हैं और उन गलत सूचना के तथ्यों के आधार पर उन 78 अनुसूचित जाति, जन जाति के चयनित सहायक समीक्षा अधिकारियों को आज दर–दर की ठोकरे खानी पड़ रही हैं, मान्यवर मैं इस सूचना के माध्यम से चाहूंगा कि जब तत्कालीन मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी के विशेष चयन अभियान के तहत यह सारे के सारे अधियाचन भेजे गये, विज्ञापन जारी हुए और चयन भी हुए तथा उस चयन में सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग के चयनित लोगों की नियुक्ति भी हो गयी तो इन 78 लोगों की भी नियुक्ति होनी चाहिए और मान्यवर, मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए सदासयता के साथ उनके साथ न्याय करेगी और मान्यवर चूंकि यह अविलम्बनीय भी है, लोकमहत्व का भी है लोक सेवा आयोग जैसे महत्वपूर्ण आयोग ने इसकी परीक्षा कराई है। अधियाचन वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, न्याय विभाग ने भेजा है। तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के विशेष अभियान के तहत इसकी भर्ती हुई है इसलिए मान्यवर, सारे के सारे 78 अभ्यर्थी चयनित भी हैं और मान्यवर इसीलिए चूंकि अतिमहत्व का है, लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर सदन की चर्चा करायी जाये और इनको न्याय दिलवाया जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी मान्यवर, दिखवा लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि अगर इस पर कुछ समय–सीमा हो जाती चूंकि 2006 के चयनित हैं, 2012 में रिजल्ट आया और सारे उनके साथ के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है, इनके साथ घोर अन्याय हो रहा है इसलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि केवल दिखवाने का नहीं अगर कोई समय–सीमा हो जाये तो उनको न्याय मिल जायेगा जिस मकसद से सूचना लगाई गयी है, उसका निस्तारण हो जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी मान्यवर, जितना जल्द हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब दूसरा है श्री सतीश महाना जी का, चूंकि आपकी आज ओले और बरसात पर चर्चा थी यह भट्ठा उद्योग फसल में नहीं आता आप दो मिनट अपनी बात कह लें।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, किसान और कुम्हार दो ऐसे व्यक्ति हैं जो एक समय में बारिश होता हुआ नहीं देख सकते। जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है तो किसान कहता है कि जल्दी बरस जाये और कुम्हार कहता है कि अभी न बरसे क्योकि दोनों का अलग–अलग प्रकार का नेचर आफ जॉब है। लेकिन इधर जो बारिश हुई है उसमें किसान का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिट के बाहर उनका नुकसान हुआ है, जीवन–मरण का प्रश्न हो गया है। मान्यवर साथ ही साथ भट्ठे वालों का भी बहुत नुकसान हुआ है। इसी एक महीने में कई बार बारिश हुई है उसके कारण पूरा का पूरा ईट भट्ठा उद्योग ठप हो गया है क्योंकि ईंटे का कच्चा काम होता है सारा का सारा वह मिट्टी में मिल गया है और जो उनके भट्ठे चल रहे थे जो अभी दो दिन बारिश हुई है उससे वह चलते हुए भट्ठे भी बन्द हो गये यह मान्यवर कच्चा काम है और सीजन का काम होता है। बहुत बड़ी संख्या में लेबर भी इन्वाल्व होती है उनके भी भरण–पोषण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। पिछले कुछ वर्षों से भट्ठे वालों को एक समाधान योजना के अन्तर्गत उनसे फिक्स टैक्स लिया जाता है कि इतना टैक्स आपको देना है।

यह अच्छी बात है मान्यवर, लेकिन इधर उनका इतना नुकसान दो–तीन बार हो गया कि उनके पास अपने उस नुकसान की भरपाई करने के लिए साधन नहीं है, टैक्स देने के लिए तो अलग बात है। तो मान्यवर, क्योंकि यह एक अविलम्बनीय प्रश्न है, तत्कालिक समय से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ईंट–भट्ठे के नुकसान होने के कारण मान्यवर, जो आगे के विकास कार्य में हम लोगों को कठिनाई आने वाली है, उसके ऊपर भी जब समय आयेगा तब बोलेंगे, उसमें हम यह कहेंगे कि ईंट भट्ठे के दाम बढ़ गये, इसलिए विधायक निधि बढ़ाई जाय, उसको मैं अलग से मान्यवर लूंगा, अगर आपकी जब भी अनुमति होगी, लेकिन मैंने संज्ञान में डाल दिया, मा0 मंत्री जी उसके लिए तैयार रहें ।

श्री अध्यक्ष–

ईंट भट्ठे के नुकसान के लिए सरकार उनको कोई अनुदान तो देती नहीं है, वह उद्योग है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, सरकार अनुदान नहीं देती है, लेकिन अगर दैवीय आपदा के कारण जो उनको नुकसान हुआ है, तो ऐसी स्थिति में मान्यवर जो उनसे टैक्स की वसूली की जाती है समाधान योजना के अन्तर्गत उनका टैक्स कम कर दिया जाय यदि सम्भव हो सके तो नहीं तो उसकी वसूली के लिए थोड़ा सा अधिक समय दे दें। इतनी बात मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी, यह तो उद्योग है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, अब महाना जी के सम्मान में हां किये देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह, संजय कपूर, दलजीत सिंह बहुत लोगों के नाम हैं, आप अनुग्रह नारायण सिंह जी अकेले बोल लीजिए दो मिनट।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, इलाहाबाद में दो तिहाई जमीनें सरकारी हैं, गवर्नमेण्ट स्टेट, नजूल और कन्टूनमेंट बोर्ड और इसमें से जो सरकारी जमीन है उसमें 800 बीघा ऐसी जमीन है, जिसका कोई लिखित पट्टा नहीं है, उसमें साठ वर्षों से लोग काबिज हैं। अक्यूपेन्सी टेण्डेन्सी दर्ज है। मान्यवर इसमें इन लोगों का यह कहना है कि हम लोग जो अक्यूपेन्सी टेनेंट लोग हैं, इनको जमीन को सरकार को बिना कुछ दिये बेचने का अधिकार है, विभाजन का अधिकार है, बिना जिलाधिकारी के अनुमति के निर्माण करने का अधिकार है। यह मामला 1900–2000 में आया, जब पता चला कि इस तरह की जमीन जो है वह नगर निगम के रजिस्टर में नजूल दर्ज है और राजकीय स्थान के रजिस्टर में, जो राजस्व अभिलेख है, उसमें राजकीय स्थान दर्ज है। यह विवाद जब काफी ठंडा हुआ तो 17 मई, 2001 में आप ही मान्यवर, यहां पीठ पर थे, आपने निर्देश दिया था सीपीएम के विधायक रामकृपाल जी ने सवाल को उठाया यहां जब उसको उठाया तो इस पर जांच शुरू हुई और जांच के अन्तर्गत एक वर्ष में सात शासनादेश जारी हुए। सातों शासनादेश में बहुमूल्य विधिक परामर्श लिया गया। हर बार विधिक परामर्श परिवर्तित हो गया और अन्त में यह तय हुआ कि यह जमीन राजकीय स्थान की है और इसमें इनको बेंचने और बांटने का अधिकार नहीं है, 800 बीघा जमीन है, इसमें इनको बांटने और बेंचने का अधिकार नहीं दिया गया। इसमें से कुछ लोग न्यायालय गये, न्यायालय ने इनकी याचिका को एक जगह पर निरस्त कर दिया। दो याचिकाओं में इनको फिर प्रमुख सचिव राजस्व और प्रमुख सचिव आवास और जिलाधिकारी के यहां वापस भेज दिया

गया। जिलाधिकारी ने जांच कर के सबकी सुनवाई कर के इसको फिर राजकीय स्थान माना, लेकिन मान्यवर अभी 11 सितम्बर, 2014 को आवास विभाग ने इस जमीन को जो 1982 के कानून की स्थिति थी कि इनको बेंचने और बांटने का पूरा अधिकार दे दिया। यह मामला केवल एक व्यक्ति के लिए किया गया है 353 बेली उतरहार इसी खाते में सात भू–खण्ड हैं और सातों भू–खण्ड का जो क्षेत्रफल है लगभग 70 हजार वर्ग मीटर है। उसमें से उक्त 20 हजार वर्गमीटर पर आवास विभाग ने बिना राजस्व विभाग से कोई राय लिये यह शासनादेश जारी कर दिया। आज यहां पर, जहां पर यह जमीन है। इसका सक्रिलरेट है 35 हजार रूपये वर्गमीटर और मार्केट रेट है 70 हजार रूपये वर्गमीटर यानी 70 करोड़ रूपये का घोटाला तो हो गया, अगर मार्केट रेट पर देखें तो 140 करोड़ रूपये का इसमें केवल भूमि घोटाला हो गया। अब चूंकि इसी तरह की जमीन 800 बीघा है। 30 सितम्बर को दूसरा आदेश फिर राजस्व विभाग ने जारी किया और उसमें यह कह दिया कि इस तरह की जो सारी जमीनें हैं उनके कब्जेदारों को बेंचने, बांटने का अधिकार है। अगर 800 बीघा पर इन लोगों को यह अधिकार दे दिया गया। तो खरबों रुपये का जमीन घोटाला केवल इलाहाबाद में हो चुका है और आज हम लोग गरीबों के लिये चाहे सागरपेशा में रहने वाले लोग हों, झोपड़पट्टियों मे रहने वाले लोग हों, उसके लिये मा0 सर्वोच्च न्यायालय, मा0 उच्च न्यायालय आदेश कर रही है कि उन लोगों को बसाईये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, नगर विकास मंत्री जी, बहुत प्रयासरत हैं, इन्होंने कई बार कहा, डी0एम0 से भी कहा कि जमीन दो, यहां पर बनाना है, बसाना है लेकिन उनके लिये जमीन नहीं है और इस 800 बीघे की जमीन पर बिना कोई सरकारी राजस्व का पैसा लिये मुफ्त में ये कानून लागू कर दिया गया। आज नजूल जमीन के फ्री होल्ड का कानून है। जिनके पास लिखित पट्टा है उनको तो पैसा देकर ही फ्री होल्ड कराना है और जिनके पास कुछ नहीं है, केवल अंग्रेजों के जमाने में, 1857 के गदर में जो जमींदारों की जमीन अंग्रेजों ने छीन ली थी, उन जमीनों को इनको ऐसे ही दे दिया गया मुँहजबानी। पता नहीं किस खिदमत में, पता नहीं इन्होंने क्या खिदमत की थी उस समय कि इनको ऐसे ही दे दिया गया और ये कहते हैं कि हमको पूरा अधिकार है लेकिन न्यायालय ने अपने राजस्व विभाग में, शासन में सबने यह तय कर दिया कि यह राजकीय आस्थान की भूमि है जिसका फ्री होल्ड कानून अभी बनना है। नजूल का बन चुका है तो इन दोनों से बाहर एक इनको अलग रूप देकर के ये अधिकार दिया गया है और मान्यवर, यह बड़ी गजब की बात थी कि जब महाना जी की सरकार थी, महाना जी उस समय विभाग के मंत्री नहीं थे। शायद मा0 लाल जी टण्डन साहब थे। जब ये आदेश जारी हो रहा था लगातार एक के बाद दूसरा कानून परिवर्तित हो रहा था तो उन्होंने बुलाकर जिलाधिकारी, इलाहाबाद को कहा कि इसको स्थगित करो और 02 नवम्बर, 2002 को सारे शासनादेश स्थगित कर दिये गये लेकिन मान्यवर, उसके बाद फिर यह मामला जांच में आया। जांच के बाद यह राजकीय आस्थान में आया। यह जो अधिकार दिया गया है यह खरबों रूपये के घोटाले का मामला है, गंभीर है। मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि आप इसकी गंभीरता से जांच करायें

और जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो और शर्तों का उल्लंघन करने के कारण मेरी जो अपनी निजी जानकारी है कि ऐसी जमीनों में जिनका लिखित पट्टा नहीं है और उन लोगों ने उसको आवास के रूप में प्रयोग किया है वह वाजिब–उल–अर्ज के अन्तर्गत आता है जिसमें कण्डीशन्स हैं। अगर उन शर्तों का उल्लंघन कोई करता है तो उनकी जमीन छीन ली जाती है और उसको सरकार में वेस्ट कर दी जाती है। इलाहाबाद में आज सरकारी कामों के लिये, गरीबों के लिये तमाम जमीन की आवश्यकता है इसलिये मैं ससंदीय कार्य मंत्री जी से चाहूंगा कि उन जमीनों को छीना जाये और गरीबों के जो मकान बनने हैं उन योजनाओं को लागू किया जाये। इसी के साथ मैं सदन की कार्यवाही रोक करके चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं पहले से ही बड़ा बदनाम हूं जो सरकारी कब्जों को खाली कराता हूं। इसमें अगर आप हमें तथ्यों के साथ और प्रमाण के साथ कुछ लिखकर दे दें तो अलग से भी जांच इसकी करा लेंगे और सदन में आश्वस्त करना चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच भी करेंगे और जो तथ्य होंगे उस पर कार्यवाही भी करेंगे।

(श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 लल्लू जी, अब आज नहीं। आपकी तो अभी बात हो गयी, दूसरे दिन आपका आयेगा नियम–56, आज तो उस पर है। माथुर साहब, आप से बात हुई। अरे भाई, आज आपका नहीं लिया जा सका। अब आपका एक 301 भी लिया, वो भी लो, 51 भी दो, सब एक ही दिन में ये कैसे सम्भव है। इसके बाद डा0 धर्मपाल सिंह जी, आपका मैं पढ़ के ध्यान आकृष्ट करा ले रहा हूं।

डा0 धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं। अभी इसी महीने की 02 तारीख को हमारे आगरा शहर के शाह नगर से बारात एटा जनपद में गई। जब वे लोग वहां से लौट रहे थे तो जो उनकी गाड़ी थी, कार थी वह ट्रैक्टर से आमने सामने से टकरा गई। मौके पर ही शकील पुत्र नाजिम और मुन्ने खां जो बहुत गंभीर हैं उनका इलाज चल रहा है और एक आदमी की मौके पर ही डेथ हो गई सलाउद्दीन की। मान्यवर, ये सभी लोग मजदूरी करते थे, बहुत गरीब परिवार से हैं और उनका इलाज जयपुर में चल रहा है और एक आदमी की डेथ हो गयी है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इनकी आर्थिक मदद करा दें जिससे इन गरीब परिवारों की मदद हो जायेगी। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मा0 सदस्य इसे मा0 नेता सदन के लिये लिखकर भी दे दें, बेहतर होगा।

श्री अध्यक्ष–

अगला श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया का है। इस पर बोलना नहीं है, आपकी फिर वही बात कि आप जिद मान लेते हो, बाद में जब हम कड़ाई करते हैं तो सब लोग धरना देते हो, बात मानते नहीं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी कृपा से मुझे नियम–56 में बोलने का अवसर मिला है, उसके लिए मैं बहुत–बहुत, धन्यवाद देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारी विधान सभा में छावनी क्षेत्र आता है, जो उत्तर प्रदेश और केन्द्र सरकार के मतदाता हैं। वहां 80 प्रतिशत मुस्लिम और हरिजन बस्तियां हैं, परन्तु यहां पर विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है इसके पहले एक बार जब महाना जी, नगर विकास राज्य मंत्री थे, तो वहां पर हमारे क्षेत्र में काम हुआ था। वह क्षेत्र छावनी क्षेत्र आता है, ज्यादातर वहां पर मिलेट्री का शासन होता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इतने कम–से–कम 25 क्षेत्र, 40–50 ऐसे गांव व छोटी–छोटी बस्तियां हैं, जहां जगह–जगह पानी भरा है, सीवर है ही नहीं, गंदगी भरी हुई है, सड़क टूटी है, गंदगी है और डूडा से नगर निगम द्वारा हर गांव, हर बस्ती का काम हो रहा है, चूंकि वह भी मतदाता हैं उत्तर प्रदेश के उनका कोई दोष नहीं है। वह छावनी में रह रहे हैं दोष यही है, तो यह अंग्रेजी शासन जो चला अब वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। छावनी क्षेत्र की उपरोक्त समस्त बस्तियों में मूलभूत सुविधायें प्रदान करना नितान्त आवश्यक है। मैंने माननीय मंत्री जी से एक बार कहा भी था, आपने कहा था लिखकर दे दो। मेरी गलती है कि मैंने लिखकर नहीं दिया है, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि मंत्री जी, मुझे इस पर कुछ आश्वासन दे दें, मैं लिखकर दे दूं और उन बेचारों का काम हो जाए।

श्री अध्यक्ष–

जब माननीय मंत्री जी, ने आपको कह दिया लिखकर दे दो, आप लिखकर दिये नहीं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मान्यवर, सॉरी, सही बोलना कोई गुनाह नहीं होता। सही बोलना कोई गुनाह नहीं होता, मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि आज आश्वासन मिल जायेगा तो मेरा काम हो जायेगा। माननीय मंत्री जी, प्लीज, प्लीज। माननीय मंत्री जी, प्लीज बोल दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अब लिखकर दे देना माननीय मंत्री जी को, हो जायेगा।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मंत्री जी,प्लीज, प्लीज।

श्री अध्यक्ष–

प्लीज क्या है जी, हिन्दी में बोलो।

श्री मोहम्मद आजम खां–

क्या बोल दें?

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

यहां भी काम डूडा द्वारा हो जायेगा, पहले हो चुका है। आपको तो कलम चलाना है और लोगों को लाभ मिल जाना है, आप तो अच्छे मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष–

अभी जब जाएंगे तो वहां पर माला पहनकर घूमेंगे कि मैं असेम्बली में आपका मामला उठाकर आया हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, थोड़े माननीय सदस्य इधर सुधरे हैं। थोड़ा सुधार आया है इनमें तो इनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे आपका।

श्री अध्यक्ष–

यह श्री राम चन्द्र यादव ने दिया था तो इस पर मैंने ध्यान आकृष्ट कर लिया है। बोलने की जरूरत नहीं है, ध्यान आकृष्ट कर लिया है। अब यह नियम–56 में जो दिया गया था उसे नियम–52 में परिवर्तित करके उस पर एक घंटे की चर्चा के लिये किया था तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपकी तरफ से, मंत्रिमण्डल की तरफ से, सरकार की तरफ से आप इसे इनीसिएट करेंगे, कौन करेगा। किसके पास है, कोई प्रमाण है ?

श्री कालीचरण सुमन–

माननीय अध्यक्ष जी, सोमवार को ग्राम्य विकास विभाग का कटौती का प्रस्ताव है, अभी तक विभाग में कोई आया नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा, अच्छा, हम दिखवा लेंगे।

श्री कालीचरण सुमन–

मान्यवर, इसको दिखवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

आप ही को कटौती का प्रस्ताव रखना है।

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

मान्यवर, हमारी सूचना पर ध्यान आकृष्ट कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

अब आपका क्या है, आप तो बहुत सवाल देते हैं।

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

मान्यवर, हमारी सूचना पर ध्यान आकर्षित कर दीजिए। वह धरना पर बैठा आदमी, प्रधान है।

श्री अध्यक्ष–

आप तो रोज–रोज एक सूचना लगा देते हैं, आपकी सूचना को आपके नेता को पढ़ा दिया करेंगे कि कैसी सूचना आप देते हैं।

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

भूख हड़ताल पर वह व्यक्ति बैठा हुआ है, काफी समय से, ध्यान आकृष्ट कर दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा ठीक है, ध्यान आकृष्ट कर लिया है। कौन भूख हड़ताल पर बैठा है, आप उसके साथ तो बैठे नहीं हैं। अब चर्चा प्रारंभ करें।

ख1.10 बजे, प्रदेश में दिनांक 14 एवं 15 मार्च, 2015 को हुई तेज बारिश एवं ओलावृष्टि से फसलों की भारी क्षति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुरेश कुमार खन्ना आदि द्वारा नियम–56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की चर्चा

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्या जी आप शुरू करेंगे। श्री प्रदीप माथुर जी को जहाज पकड़ना है, ये चाहते थे कि ये दो मिनट बोल कर चले जाएं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, जब यह किसानों की इतनी गंभीर समस्या पर भी गंभीर नहीं हैं और जहाज ही पकड़ते रहते हैं हमेशा। जब भी मामला रहता है कोई चर्चा आती है तो हमेशा इनको जहाज पकड़ना रहता है, तो इनको तो हमेशा हवाई अड्डे पर रहना चाहिए, यहां पर आना ही नहीं चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा है कि एक घंटे की चर्चा है, इसमें बहुत माननीय सदस्य हिस्सा नहीं ले पाएंगे, एक–एक आप नेता लोग पूरे अपने सदस्यों की सूचना लेकर रख लीजिए और सरकार से जवाब आ जाए और आज सबको जाना भी है, क्योंकि छुट्टी है, इसलिए जल्दी खत्म कराइयेगा। एक घंटे के अंदर करा दीजिएगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

ठीक है, जल्दी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष–

अपने नेता को लिखकर दे दें यह नहीं मान रहे हैं तो मैं क्या करूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुकम्पा से बेमौसम हुई बरसात के फलस्वरूप किसानों के फसलों के भारी नुकसान पर चर्चा स्वीकार की थी और आज आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

एक बजकर 10 मिनट पर चर्चा शुरू हुई है ओर 2 बजकर 10 मिनट पर खत्म हो जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं 13, 14 और 15 मार्च, 2015 को बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में भीषण वर्षा हुई और बड़े पैमाने पर सभी प्रकार की रबी की फसलें गेहूं चना, सरसों, लाही, आलू, तम्बाकू आदि की फसलें क्षतिग्रस्त हुई उससे किसानों की कमर टूट गयी यहां तक कि बेमौसम बरसात की मार से पूरा का पूरा प्रदेश का किसान आज पूरी तरह से सदमे में है और मान्यवर, लगातार इस सदमें से प्रदेश के तमाम किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। मान्यवर, 15 मार्च को ही बड़े पैमाने पर जहां एक ओर ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बरबाद हुई, बुरी तरह से तहस नहस हो गयी सारी की सारी फसलें बरबाद हो गयी वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने पर बिजली के गिरने से दर्जनों किसान, दर्जनों पुरूष और स्त्री बच्चे बिजली स्पर्षाघात से, बिजली के गिरने से, बज्राघात से मौत को गले लगाने को मजबूर हुई है । मान्यवर, 15 मार्च को पूरे प्रदेश में 5 किसानों की मौते हुई, 17 मार्च को 11 किसानों की मौते हुई, 18 मार्च को आठ किसानों की मौते हुई और 19 मार्च को 3 किसानों की मौते हुई। मान्यवर, प्रदेश के भिन्न जिलों में सदमें से मौत का यह लगातार क्रम जारी है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार इस पर गम्भीर भी है और मान्यवर, जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है लगभग 22 जिलों को यह अनुदान देने की तैयारी में है शेष जिलों की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है । तो मैं चाहूंगा कि किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या के लिए और मजबूर हो उसके पहले सरकार को गम्भीर होकर के तात्कालिक प्रभाव से युद्ध स्तर पर इसका परीक्षण करा करके फसलों को बड़े पैमाने पर भरपाई के लिए समय से अनुदान देने का कष्ट करें जिससे कि किसानों पर जो बड़े पैमाने पर यह प्राकृतिक आपदा आई है उसका आसू पोछा जा सके। मान्यवर, जैसा कि सरकार का मानक है कि असिंचित भूमि के लिए साढ़े चार हजार रूपया प्रति हेक्टेयर और सिंचित भूमि के लिए 9 हजार रुपया प्रति हेक्टेयर अनुदान दिये जाने का सरकार का मानक है मैं समझता हूं कि आज साढ़े चार रुपया प्रति हेक्टेयर 9 रुपया प्रति हेक्टेयर यह तो मान्यवर, अगर समय से मिल जाता है तो हम समझते हैं कि उस घाव पर मरहम लगाने जैसा है।

(इस समय 01 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 धर्म सिंह सैनी पीठासीन हुए।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

लेकिन उसके बावजूद मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का अनुरोध करना चाहूंगा कि ज्यादातर फसलों के नुकसान की रिपोर्ट स्थानीय लेखपाल और राजस्व कर्मियों के बिना पर होती है और जैसा कि वह एक जगह कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट तैयार करते हैं, इसीलिये मान्यवर मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर कोई ऐसी कमेटी बनाये जिसमें हर क्षेत्र के कुछ न कुछ विधायक या जनप्रतिनिधि उसमें शामिल हों, जिससे कि

जो अधिकारी स्तर पर राजस्व कर्मियों के द्वारा लीपापोती होती है, वह लीपापोती न हो सके और किसानों तक सही इमदाद पहुंचाई जा सके। मान्यवर, इसी क्रम में मैं आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश के किसानों पर यह आपदा आई है उससे आज किसान तो हतप्रभ है ही आज उसके बच्चे भूखों मरने की कगार पर आ गये हैं। यही नहीं मान्यवर, आत्महत्या का बड़े पैमाने पर सिलसिला चल पड़ा है। मैं सरकार से इस बात की अपेक्षा करूंगा कि किसानों के प्रति संवेदनशील होकर इस मामलें में हुए नुकसान का परीक्षण तत्काल समयबद्ध सीमा के अंदर मंगाकर उनको अनुदान दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाये यानि किसानों को सहायता राशि तत्काल दी जाये। इसके साथ ही साथ फसलों की बरबादी का मूल्यांकन सही तरीके से हो, केवल कागजी खानापूर्ति राजस्व कर्मियों के द्वारा न हो जाये, इस पर सरकार का पर्यवेक्षण सही ढंग से होना चाहिये। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सभी प्रकार की वसूली चाहे बैंक और ऋणों से संबंधित वसूली हो, या अन्य किसी प्रकार की वसूली हो कम से कम छह महीने तक सारी की सारी वसूली स्थगित कर दी जाये। दैवीय आपदा से दुःखी होकर तमाम किसान सदमे के चलते जो आत्महत्या करने के लिये मजबूर हुये या सदमे से उनकी मौतें हुई हैं, उनके परिवारीजनों को पॉच–पॉच लाख रूपये की अलग से आर्थिक मदद दी जाये। साथ ही साथ बिजली के गिरने से यानी बज्राघात से जिनकी मौतें हुई हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित करते हुये उनके भी परिवारीजन को पॉच लाख रूपया दिया जाये। मान्यवर, इस दैवीय आपदा और बेमौसम की बरसात का संज्ञान लेते हुये राजस्थान सरकार ने छह महीने के लिये बिजली बिलों की माफी का आदेश जारी कर दिया है, इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी इस रास्ते पर चलते हुये कम से कम छह महीने तक सभी प्रकार के बिजली बिलों के भुगतान पर रोक लगा दी जाये। इन सुझावों के साथ मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश का किसान इससे प्रभावित है, सरकार भी अति गंभीर और संवेदनशील होकर उन समस्याओं के निदान के प्रति चिंतित होगी और इन्हीं बातों के साथ मैं चर्चा का शुभारंभ करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने एक अति महत्वपूर्ण विषय जो प्रदेश के लाखों–करोड़ों किसानों से संबंधित है, उनकी बर्बादी के संबंध में जो आज चर्चा नियत थी, उस पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, चाहे पूर्वान्चल हो, चाहे मध्यान्चल हो, चाहे पश्चिमान्चल हो, चाहे बुन्देलखण्ड हो सम्पूर्ण प्रदेश में 28 फरवरी, 01 मार्च, 02 मार्च और 03 मार्च तथा 13,14 और 15 को जो अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई है सम्पूर्ण प्रदेश में और उससे जो फसलों की बरबादी हुयी और जो किसान बिल्कुल बरबादी के कगार पर पहुंच गया, हम इस संबंध में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं । मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश में जो वर्षा हुयी, वह 50 मिमी0 से ज्यादा हुयी और जब 50 मिमी0 से ज्यादा वर्षा होती है तो निश्चित रूप से हम उस दायरे में आ जाते हैं जहां किसान को मुआवजा मिलना

चाहिये और मान्यवर, 50 परसेंट से ज्यादा इस वर्षा में फसलों का नुकसान हुआ है। इस सरकार ने जो प्रारम्भिक रूप से जांच करवाई थी उसकी भी रिपोर्ट मेरी जानकारी में है, उसके हिसाब से 37 जिले उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं, जिनकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी है। यह जिले हैं, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, नोएडा, हापुड़, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, औरैय्या, कानपुर देहात, कानपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जालौन, खीरी, हरदोई, उन्नाव और बुन्देलखंड के सभी जिले । मान्यवर, इन सभी जिलों की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो चुकी है और इसमें स्पष्ट है कि 50 परसेंट से अधिक किसानों की फसलें नष्ट हुयीं हैं और यह फसलें मुख्य रूप से गेहूं, सरसों, लाही, चना, मटर, आलू यह पूरी तरीके से बरबाद हो गयी। गेहूं के खेत अगर आप ट्रेन से, सड़क से, स्टेट हाईवेज से भी देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा गेहूं खेतों में बिछा है। लेकिन अभी तक किसानों के आंसू पोछने के लिये उनको राहत प्रदान नहीं की गयी । मान्यवर, कुछ जिलों में रूपया गया भी है, जैसे हमारे पड़ोस के जनपद पीलीभीत में कुछ रूपया गया लेकिन अभी तक किसी को एक रूपया भी बंटा नहीं है। तो आखिरकार हम राहत इसलिये देते हैं तुरन्त आंसू पोछने के लिये, ताकि किसान को कुछ न कुछ राहत मिल सके और उसके आंसू पोछे जा सके और उसके गम को कुछ कम किया जा सके । लेकिन अभी तक राहत का न बंटना कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाता है। केन्द्र सरकार के माननीय केन्द्रीय मंत्री ने इस संबंध में अपने जवाब में इस बात का पूरी तरह संज्ञान लेकर कहा भी है कि जब सूखा पड़ा था तब भी 777 करोड़ का पैकेज दिया था और अब इस समय भी केन्द्र सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, राहत में भागीदारी करने के लिये। वैसे भी एस0डी0आर0एफ0 और एन0डी0आर0एफ0 के माध्यम से, जिसमें केन्द्र सरकार का 75 प्रतिशत हिस्सा है, उससे राहत दी जाती है। अभी तक आपके द्वारा मात्र 216 करोड़ रुपये की घोषणा की गयी है, 16 करोड़ रुपये पहले और 200 करोड़ रुपये बाद में। यह अपने आप में बहुत कम है क्योंकि मान्यवर, जिस अनुपात में नुकसान हुआ है, उसके अनुपात में यह राहत बहुत कम है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम दो–तीन विशेष बांतों की ओर बल देना चाहता हूं। एक तो, जैसा नेता विरोधी दल ने कहा कि जो किसानों के द्वारा देय है, जो वसूलयाबी किसी न किसी रूप में किसान कर्जे के रूप में अदा करता है, चाहे वह ब्याज हो, चाहे वह मूलधन हो तो उसको मान्यवर, तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाय ।

दूसरी बात, यह राहत जो भी आपने निर्धारित की है एन0डी0आर0एफ, और एस0डी0आर0एफ0 के तहत, वह राहत तत्काल किसान को मौके पर जाकर दी जाय और उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता रहे, वह अगर किसी न किसी रूप में जनप्रतिनधियों की मौजूदगी में दी जायेगी तो जो लालफीताशाही की समस्या है, उसका भी समाधान हो जायेगा।

तीसरी बात मान्यवर, कि उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में लोगों की सदमे से मौत हुयी या किसी ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली, किसी ने कुयें में कूदकर आत्महत्या

कर ली या कोई मौके पर खेत में गया, उसने फसल देखी और पाया कि उसकी 5 बीघा, 8 बीघा जो कुछ भी उसका था, वह बरबाद हो गया, उसका वहीं हार्टफेल हो गया या वहीं खेत पर उसने फांसी लगा ली, 10–12 जनपद मान्यवर ऐसे हैं कि जहां पर इस प्रकार सदमे से किसानों की मौत हुयी । यह जनपद हैं झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन, अलीगढ़, अतरौली, शादाबाद, कानपुर, मैनपुरी, आगरा और इटावा । मान्यवर, इटावा में कुंये में कूदकर एक जागेश्वर नाम के किसान ने आत्महत्या कर ली । मान्यवर, उमराव सिंह, यह अतरौली का है एक लाख रुपया मान्यवर, इसके ऊपर लोन भी था, सदमें से हार्ट अटैक पड़ा और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। अलीगढ़ गवाना तहसील के सागौर निवासी जसवन्त उर्फ गुड्डू ने खेत में ही फांसी लगा ली। आगरा खन्दौली ब्लॉक के उस्मानपुर में राजेन्द्र सिंह के 30 बीघे आलू सड़ गये और खेत में ही उसकी मौत हो गई हालांकि अस्पताल ले जाते समय इसको डिक्लियर किया गया है और झांसी में मान्यवर, दो लोग, एक मोंठ क्षेत्र का लखन अहिरवार, यह बरूड़ा गांव का है और दूसरा जमुनापाल यह मौतें बहुत ही दर्दनाक मौतें हुई हैं। एक राजेश नाम का व्यक्ति रेलवे स्टेशन गया उसका सब कुछ बरबाद हो गया था उसने रेल के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली और दूसरा एक तमौरा ग्राम का हाकिम सिंह है, वह खेत में गया और उसकी सदमें से मौत हो गई। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि जिन लोगों की सदमें से मौत हुई या किसी प्रकार से उसने अपनी फसल की बर्बादी के कारण आत्महत्या कर ली उसका परीक्षण एस0डी0एम0 के माध्यम से करा करके उनके परिवार के लोगों को मुआवजे की राशि तत्काल दी जाए ताकि कम से कम उनके परिवारों के आंसू भी पोछे जा सकें। यह एक ऐसी त्रासदी है कि हम इसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहते हैं और न ही हम इस पर पक्ष विपक्ष का सवाल खड़ा करना चाहते हैं। हम केवल इतनी बात कहना चाहते हैं कि इसमें सरकार पूरी सदाशयता से एक पारदर्शी प्रणाली के तहत उनके देयों की वसूली स्थगित की जाए और जैसा कि राजस्थान की सरकार ने उनके 6 महीने के बिल को माफ किया हम चाहेंगे कि सरकार इस सम्बन्ध में भी विचार करे कि किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार और क्या–क्या कर सकती है तथा और किस प्रकार से उनके आंसू पोछे जा सकते हैं। मान्यवर, लघु और सीमान्त कृषक, जिनके पास कुछ भी नहीं बचा है, जिनका सब कुछ बरबाद हो चुका है, उनके बारे में इस बात के लिए जरूर विचार करना चाहिए कि उनको हम किस प्रकार से राहत दे सकते हैं, किस प्रकार से उनके आंसू पोछ सकते हैं और यह राहत वहीं मौके पर जाकर दी जाए तथा इसमें जन–प्रतिनिधियों की कहीं न कहीं हिस्सेदारी जरूर हो क्योंकि यदि उनकी मौजूदगी में दी जायेगी तो पारदर्शिता ज्यादा रहेगी। मान्यवर, अन्तिम बात कह करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे कि मेरे पड़ोस का जनपद पीलीभीत है, हमारी पुवांया तहसील इसलिए पूरी तरीके से बरबाद हो गई क्योंकि वहां पर गेहूं पहले बो दिया जाता है जहां पर गेहूं बाद में बोया जाता है वहां थोड़ा बहुत बच गया। पूरी की पूरी पुवॉया तहसील, जो मिनी पंजाब कही जाती है वह पूरी की पूरी पुवॉया तहसील बरबाद हो गई और उसके पड़ोस का जनपद पीलीभीत है उसमें 60 प्रतिशत गेहूं का

नुकसान हुआ और सरसों सौ परसेंट बरबाद हो गई, मसूर, मटर और चना, यह 85 प्रतिशत बरबाद हुआ है। अभी तक जो रुपया गया था वह बंटा नहीं आखिरकार जो रुपया गया था उसको व्यवस्था के तहत बॅटवाना चाहिए था। इसलिए मैं इस पर बल देता हूं और आपके माध्यम से सरकार से मॉग करता हूं कि किसानों को आंसू पोछने के लिए तत्काल राहत प्रदान की जाए, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, पक्ष से भी एक दो लोगों को बुलवाइये। मैं आपके माध्यम से मा0 नेता विरोधी दल, मा0 नेता भारतीय जनता पार्टी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और किसानों के भले की बात कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन इस गम्भीरता को भी देखना चाहिए कि ज्यों ही रात को बारिश हुई और सुबह ही अखबारों में बयान आया मा0 मुख्य मंत्री जी का कि हम तत्काल दो सौ करोड़ रुपया एलॉट करते हैं और जो भी नुकसान हुआ होगा उस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार हरसम्भव प्रयास करेगी। जब सरकार किसी बात पर कोताही करती है, जैसे बारिश हो गई, ओला पड़ गया, सरकार नहीं सुन रही है, नोटिस नहीं ले रही है तो विपक्ष इस बात पर चिन्ता व्यक्त करे। लेकिन ऐसी सरकार जिसके मुखिया मा0 मुख्य मंत्री जी हैं, रात को बारिश हुई और रात को ही उन्होंने बता दिया कि हम दो सौ करोड़ रुपया एलॉट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि दो सौ करोड़ रुपए कम हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी ने सीमा नहीं बॉधी बल्कि उन्होंने कहा कि तत्काल में बिना आंकलन किये हम दो सौ करोड़ रुपया देते हैं। आंकलन जो होगा, जो रिपोर्ट आयेगी, सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। यह सरकार किसानों की सरकार है और इसके प्रमाण भी हैं जब–जब समाजवादी पार्टी की सरकार आयी है, किसानों की भलाई के लिए काम किया है। सबसे पहले हिन्दुस्तान में किसानों के कर्ज माफी का काम माननीय मुलायम सिंह यादव पहली बार जब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हुए थे तो उन्होंने किया था फिर दस हजार रुपये तक का कर्जा भी माफ हुआ था। किसान दुर्घटना बीमा योजना माननीय मुख्य मंत्री जी ने लागू किया। किसानों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार खाद, बीज, पानी की व्यवस्था भी कर रही है। जो भी नुकसान होगा, माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम किसानों की पूरी मदद करेंगे। मदद हो तो यह बात आनी चाहिए कि सरकार ने यह काम नहीं किया, मदद नहीं किया। प्रतिपक्ष के सुझावों का हम लोग स्वागत करते हैं और सरकार की तरफ से यह विश्वास दिलाते हैं कि किसानों का जो भी नुकसान हुआ है, उसका आंकलन करने के बाद सरकार किसानों की मदद करेगी। जहां तक आत्महत्या की बात है, तो आत्महत्या क्यों करेंगे ? रात में बारिश हो रही है, सबेरे मुख्य मंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि हम किसानों की पूरी मदद करेंगे और 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की तथा यह भी कहा कि और भी अधिक पैसा लगेगा तो हम उसकी व्यवस्था करेंगे। तो आत्महत्या किसान इसलिए नहीं किये हैं, किन्हीं कारणों से हुआ

होगा। जब मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी तो किसान को सांत्वना होनी चाहिए कि हमारी मदद सरकार करेगी और कोई भी आदमी इतना नुकसान हो जाता है, किसान वास्तव में 24 घण्टे में से 18 घण्टे खेती में मेहनत करता है। किसान की हालत को सुधारने के लिए उनके नुकसान की भरपाई के लिए सरकार चिन्तित है और उनकी हर सम्भव सहायता और मदद करेगी, यही मेरा अनुरोध है।

श्री इन्द्रजीत सरोज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज किसानों से संबंधित अति महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भाग लेने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, प्रदेश में फरवरी और मार्च में जो बड़े पैमाने पर अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई उससे बड़े पैमाने पर किसानों की खेती बर्बाद हुई। किसानों का चाहे गेहूं हो, जौ हो, चना हो, मटर हो, मसूर हो, सरसों हो, राई हो, अरहर हो या आलू आदि फसल हों, का भारी नुकसान हुआ है। यह सिलसिला मैं यूं कहूं तो जनवरी से प्रारम्भ हुआ, जनवरी से बारिश शुरू हुई, किसान कुछ संभल पाता फिर फरवरी में बारिश हो गयी, फिर किसान की आशा जगी थी कि कुछ फसल बच जायेगी तो उसके बाद मार्च में बड़े पैमाने पर ओलावृष्टि और बारिश हुई। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और जैसा मुझे मालूम है यह पिछले वर्ष भी बड़े पैमान पर अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से किसान की फसलों का नुकसान हुआ था। तो लगातार जो यह सिलसिला चला आ रहा है किसानों के ऊपर जो मान्यवर, दैवीय आपदा चली आ रही है उससे किसान बर्बाद हो गया है। किसान इस देश का ही नहीं पूरी दुनिया का अन्नदाता है, पेट भरने का काम करता है, खाने के लिए अनाज उपलब्ध कराता है लेकिन वही किसान आज आत्महत्यायें करने पर मजबूर हो रहा है। मान्यवर, किसान जब फसल बोता है तो बीज कर्ज लेकर, खाद कर्ज लेकर यह सारा प्रबन्ध करने का काम करता है और वह यह सोचता है कि जब हमारी फसल पकेगी, मुझे जब लाभ होगा तो मैं कर्जा भी अदा करूंगा, अपनी बेटी की शादी भी करूंगा, अपने बेटे और बेटी की पढ़ाई का खर्च भी उठाने का काम करूंगा लेकिन मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में किसान बुरी तरह से तबाह हो गया है। मुझे याद है आदरणीय बहन कु0 मायावती जी की सरकार थी, लगातार बुन्दलेखण्ड में दैवीय आपदायें आती थी और उन दैवीय आपदाओं को देखते हुए मैं यह नहीं कहूंगा कि पहले यह व्यवस्था नहीं थी लेकिन पूर्व से यह व्यवस्था चली आ रही थी कि उत्तर प्रदेश के गरीब किसानों की, खेतिहर मजदूरों की बेटियों की शादी के लिए धन की व्यवस्था सरकारें किया करती थी। पूरे प्रदेश में 10 हजार रूपया प्रति लड़की के हिसाब से शादी का खर्च दिया जाता था बुन्देलखण्ड में सुश्री मायावती जी ने बेटी की शादी के लिए 20 हजार रुपए की व्यवस्था करने का काम किया था लेकिन जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है इस व्यवस्था को भी खत्म कर दिया गया है। बेटी की शादी के लिए कोई भी आर्थिक अनुदान नहीं दिया जाएगा अब किसान बेसहारा हो चुका है और पूरे प्रदेश में आत्महत्याएं करने पर मजबूर हो रहा है जैसा कि मैंने पढ़ा है समाचार–पत्रों में हालांकि समाचार–पत्रों का यहां पर संज्ञान नहीं लिया जाता लेकिन मेरे पास सरकारी रिपोर्ट नहीं है कुछ समाचार पत्रों में 22 छपा है

कुछ समाचार–पत्रों में 37 जिले छपे हैं। मेरा अपना जिला कौशाम्बी है जो 1997 में इलाहाबाद से अलग करके 3 विधान सभा क्षेत्र का जिला बनाया गया मैं अपनी निश्चित जानकारी के हिसाब से बताना चाहता हूं कि वहां पर भारी पैमाने पर ओलावृष्टि और अतिवृष्टि हुई है। गेहूं पूरी तरह लेट गया और दलहन तिलहन बरबाद हो गई किसान अपने खेत में जाकर फोटो खिंचवाए और रोते हुए दिखे कि हमारा क्या होगा इससे किसान बुरी तरह परेशान हो चुका है। अम्बिका चौधरी जी बैठे हैं यह किसान के बेटे हैं यह जब यहां पर बैठते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरा आत्मबल भी बढ़ता है कि आप संजीदा हैं रामगोविन्द भाई भी हैं यह लोग वास्तव में संजीदा हैं किसान के दर्द को समझते हैं मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं भी खेती किसानी से जुड़ा हूं मुझे याद है कि मैं सुबह उठा करता था तो सुबह खेत खलिहानों में जाया करता था खेत खलिहानों में जाकर हम लोग सबसे पहले धरती माता के पैर छूते थे प्रणाम करते थे हम लोगों की रोजी–रोटी खेती किसानी से चलती हैं आज किसान बड़े पैमाने पर खेती से उसका काम चलता है और खेती किसानी के बल पर आगे बढ़ने का काम करता है। मैं इसकी ग्राह्यता पर बोलना चाहता हूं कि आपने जो इधर व्यवस्था किया वह ठीक है माननीय मुख्य मंत्री जी ने तुरन्त संज्ञान लिया जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि 200 करोड़ रुपया उन्होंने तत्काल आकस्मिकता निधि से जारी किया। लेकिन यह जो साढ़े चार हजार प्रति हेक्टेयर आपने किया है और 9 हजार प्रति हेक्टेयर सिंचित के लिए किया है मुआवजे का ऐलान वह नाकाफी है। जैसा मुझे पता चला मैंने कौशाम्बी जिले के राजस्व विभाग के अधिकारियों से बात किया तो उन्होंने कहा कि 37 प्रतिशत क्षति का आंकलन करके हमने सरकार के पास भेजा है। चौधरी साहब हमारा यह कहना है मुझे लगता है कि मेरे पास एथेटिक जानकारी नहीं है लेकिन 50 प्रतिशत क्षति वाले जिलों को मुआवजा बंटने का प्राविधान है मैं कन्फर्म नहीं हूं लेकिन मैं आपको जानकारी दे रहा हूं चित्रकूट यमुना नदी के उस पार है कौशाम्बी इस पार है इलाहाबाद और चित्रकूट के बीच में मेरा जिला है। वहां बिल्कुल मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वहां ओलावृष्टि हुई किसान बरबाद हुए तो इसको गांव की इकाई मानकर फिर से सर्वे कराकर कुछ मुआवजा देने की व्यवस्था करें। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि सभी तरह की देयों की वसूली पर रोक लगाई जानी चाहिए। मैं दोहराना नहीं चाहता समय बहुत कम है बहुत लोगों को बोलना है लेकिन आखिर में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप किसान वर्ष मनाने का काम करने जा रहे हैं 2015 को आप किसानों के हितैषी हैं आपने फटाफट जारी कर दिया लेकिन यह नाकाफी है लेकिन जो हमारे मित्र इधर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके सुप्रीमो ने कहा था कि हम अच्छे दिन लाने का काम करेंगे और जो मन की बात करने का काम करते हैं तो अच्छे दिन और मन की बात करने वालों से भी थोड़ा पैसा ले लीजिए और किसानों को राहत पहुंचाएं यही मेरा कहना है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह पैसा केन्द्र सरकार का ही है 75 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार का है 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद इसको बढ़ाकर 90 प्रतिशत करने जा रहे हैं अभी जो व्यवस्था है एन0डी0आर0एफ में उसमें 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार का पैसा होता है लेकिन अब बढ़ाकर इसे 90 प्रतिशत करने जा रहे हैं।

श्री गयादीन अनुरागी–

मान्यवर, प्रदेश में बीते 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च और 15 मार्च को हुई ओलावृष्टि/अतिवृष्टि के सम्बन्ध में जो किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गयी हैं और आये दिन किसान उन फसलों को देख करके आत्महत्यायें करने को मजबूर है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 30 से ज्यादा किसानों ने विगत 15 दिनों में आत्महत्यायें की। और पूरे बुन्देलखण्ड में, मैं बुन्देलखण्ड को बिलॉग करता हूं, पूरे बुन्देलखण्ड में एक ही फसल होती है और पूरी तरह से मटर, मसूर, अरहर और गेहूं की फसल तेज बारिश से पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार का प्राविधान है कि ओलावृष्टि को दैवी आपदा माना गया है लेकिन अतिवृष्टि यह दैवी आपदा नहीं है। और जो अतिवृष्टि हो गई है इससे पूरी की पूरी फसलें, खेतों में जो गेहूं की फसल है पूरी चौपट हो गई है और मेरे बुन्देलखण्ड में पूरे चार–पांच वर्षों से हर वर्ष यही स्थिति रहती है पिछले साल भी यही हुआ था। पिछले साल का मुआवजा अभी किसानों को दिया जा रहा है और वहां का किसान, अभी जनपद जालौन के भीकापुर गांव में तिलक सिंह नाम के व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली। राठ विधान सभा क्षेत्र में अटगांव निवासी बलराम सिंह उसकी उम्र 52 वर्ष थी और जब वह खेत में गया तो उसकी हृदयगति रुक जाने से मृत्यु हो गई। राठ में ही एक सूके कुरेशी है वह पहले भी आलरेडी हार्ट का पेशेन्ट था और बहुत कम दो एकड़ उसकी जमीन थी जैसे सुबह सुबह खेत में गया और वहां उसने देखा तो वहां पर उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। ललितपुर जनपद के विजयपुर निवासी बूटे प्रजापति जो 57 वर्ष का था उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ललितपुर के ही रजवारा निवासी करहले 50 वर्ष ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। बुन्देलखंड में विगत 4–5 वर्षों से पूरी तरह से जो किसान हैं या तो पलायन करने को मजबूर हैं और अच्छी–अच्छी खेती वाले किसान आज दिल्ली और गुड़गांव और बड़ौदा जा करके मजदूरी करने को मजबूर हुआ है। यहां पर जैसा कि पिछली सरकारों में यह व्यवस्था थी कि गरीब, पिछड़े, अनुसूचित जाति के बच्चों की शादियों के लिये 10 हजार, 20 हजार रूपये शादी अनुदान के लिये दिया जाता था और इस बार वह भी शासन ने व्यवस्था खत्म कर दी है आज न तो उनकी बच्चियों की शादी हो पा रही है और पढ़ाई तो मजबूर होकर के बन्द हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि वैसे तो मेरा बुन्देलखण्ड 37 जिलों की वैसी श्रेणी में आ गया है और पूरे 50 प्रतिशत से ज्यादा कहीं 80 प्रतिशत और कहीं 90 प्रतिशत फसलों का नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि ओलावृष्टि तो दैवी आपदा है, अतिवृष्टि दैवी आपदा नहीं है, तो शासन जिले के

प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दे कि इसको भी दैवी आपदा में मानते हुए उन किसानों को राहत दी जाय। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं एक मिनट, एक बात कहना चाहता हूं। यह एक ऐसा विषय है जिस विषय पर बहुत चर्चा से इस विषय का कुछ नहीं आना जाना है। और इसलिये कहना चाहता हूं कि इस पर कार्य–स्थगन पर भी चर्चा हुई, ग्राह्यता पर भी हो गई फिर से बजट पर भी चर्चा हो गई, सामान्य पर भी चर्चा हो गई। इस विषय पर इतनी चर्चा हो चुकी है और प्रकारान्तर से। श्रीमन् मैं आपके विवेक और सदस्यों का अधिकार, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा लेकिन यही चर्चा बार बार, इसको हम रिपीट कर रहे हैं मैं अनुरोध यह करना चाहता हूं कि जो समय नियत है वह समय भी पूरा हो रहा है और उस पर जो कार्यवाही होनी है या जो अपेक्षा है इसके बारे में अगर सरकार की ओर से कोई बात आये या हम सब मिल कर विचार कर सकें तो वह ज्यादा कारगर होगा बनिस्बत कि जो चर्चा कई बार हो चुकी उसी चर्चा को हम बार बार करें। तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उत्तर अपना दे दूं बाकी जैसा आप कहेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय चौधरी साहब से मैं चाहूंगा उत्तर तो आपको देना है और समय–सीमा के अन्दर देना है तो मैं केवल इतना ही चाहूंगा कि मा0 सदस्यगण अपने–अपने क्षेत्र की, कुछ व्यथा आपके सामने रख लेंगे। कोई ज्यादा तो है नहीं बोलने वाले, एक–एक मिनट में अपनी बात रख लेंगे।

श्री कालीचरन सुमन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की चर्चा के विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

(इस समय 01 बजकर 46 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री रामगोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता विरोधी दल पूरे विपक्ष को प्रदर्शित करते हैं इन्होंने पूरी डिटेल में बात कह दी है सारी बातों को कह दिया है इनकी कही हुई बात पूरे प्रदेश की बात है। पूरे क्षेत्र की बात आपने कह दिया है। अब मंत्री जी बोल लें।

श्री कालीरन सुमन–

मान्यवर, बेमौसम बारिश हुई है और ओलावृष्टि हुई है। मान्यवर आगरा जनपद के अन्दर सौ साल का रिकार्ड टूटा है हमारे जीवन में इतनी बड़ी बारिश नहीं हुई है। इतनी बड़ी ओलावृष्टि नहीं हुई है इस ओलावृष्टि से वहां के किसानों की आलू की फसल और गेहूं की फसल चौपट हो गई है, और सारी फसलें चौपट हो गई हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सारी तबाही को देखते हुए हमारे आगरा जनपद के अन्दर कई किसानों के आत्महत्या करने और हृदयगति रुक जाने के समाचार आ रहे हैं। आगरा जनपद के अन्तर्गत श्री भगवान सिंह पुत्र श्री श्याम लाल निवासी नगला नाथू विकास खण्ड बरौली

अहीर उम्र–53 वर्ष, रमेश चन्द्र पचौरी पुत्र श्री जसवंत सिंह ग्राम–गुरमान, विकास खण्ड–खदौली प्रेम सिंह पुत्र श्री हरप्रसाद, ग्राम उजरई विकास खण्ड–अकोला, शंकर सिंह पुत्र श्री पूरनसिंह ग्राम–बबरौद विकास खण्ड–अक्षनेरा आगरा आदि गांव के किसान की सदमें से मौत हो गई। पांच छः लोगों की मौत हो गई है मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि मृतकों के परिवार वालों को कम से कम पांच–पांच लाख मुआवजा दिया जाए। मान्यवर, जो सरकारी विद्युत वसूली है जो सरकारी देनदारी है उसको भी रोका जाए। कोई भी सरकारी आदमी अभी तक फसलों का सर्वे करने नहीं गया है। उसमें भी सर्वे कराकर आर्थिक मुआवजा दिलाये जाने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अभी कुल बीस मिनट बचे हैं दो–दो मिनट में मा0 सदस्य अपनी बात कह दें। पांच–सात मिनट मंत्री जी लेंगे।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में जिस कृषि संकट पर चर्चा हो रही है जिस स्थिति से किसान गुजर रहा है इस पर सारे लोगों ने चर्चा की है इस पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मान्यवर, बहराइच, गोण्डा, बलरामपरु, श्रावस्ती इन चारों जिलों में अतिवृष्टि के कारण सारी फसलें लेट गई हैं, बड़ा नुकसान हुआ है। मान्यवर, होता यह है कि गेहूं की फसल लेटने के बाद, अपने आप तीस प्रतिशत उसकी उपज घट जाती है। अभी चौधरी साहब जिक्र कर रहे थे कि प्रत्येक किसान का जितना नुकसान होगा उसकी वह भरपाई करेंगे। यह कहा जाएगा कि पचास परसेंट उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी तो फिर इसकी पूर्ति नहीं होगी। तो जितना नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति के लिए किसान के खेत के हिसाब से नुकसान देखा जाए। तब उसकी भरपाई की जाए। यह मेरा आग्रह है धन्यवाद।

श्री सन्तराम कुशवाहा–

मान्यवर जनपद जालौन में चार वर्षों से सम्पूर्ण फसल नष्ट हो रही है। मान्यवर, इस वर्ष दो बार बारिश और 14–15 की रात्रि में जो ओले की बारिश हुयी है उससे जनपद जालौन की सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गयी है। मान्यवर, जनपद–जालौन में किसानों के पास कोई दूसरा व्यापार नहीं है, वह केवल अपनी फसल पर आधारित रहता है और खासतौर से जनपद–जालौन में सिंचाई के भी साधान ज्यादा नहीं हैं। किसान वहां मसूर, लाही और मटर पैदा करते हैं जो पूरा का पूरा नष्ट हो गया है। इसलिये मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि पहले तो जो सम्पूर्ण वसूलियां हैं वह बन्द की जायें और किसानों के खाद–बीज के व अन्य कम से कम 50 हजार के कर्जे माफ किये जायें।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

तीन–चार लोग ही हैं, सबको बोलने दिया जायेगा, क्यों परेशान हैं ? आप बहुत भूमिका न बतायें, अपने क्षेत्र की बात बताईये।

श्री अगयश रामसरन वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे ओलावृष्टि पर नियम–56 के अन्तर्गत हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जनपद–पीलीभीत एक ऐसा जनपद है जो तराई का सबसे पहला जनपद है। यह पर्वतीय क्षेत्र से मिला हुआ है इसलिये यहां पर सबसे अधिक वर्षा एवं ओलावृष्टि हुयी है। यह वर्षा एवं ओलावृष्टि 26, 27 व 28 फरवरी तथा पहली मार्च को हुयी है और उत्पादन के दृष्टिकोण से भी यह सबसे श्रेष्ठ जनपद है। यहां पर गेहूं की फसलों को 60 प्रतिशत, सरसों की फसलों को 100 प्रतिशत, मसूर, चना, मटर को 85 प्रतिशत, ईख को 10 प्रतिशत, आलू को 50 प्रतिशत और आम को भी करीब 40 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। मान्यवर, हमारी तहसील बीसलपुर के 38 गांव और तहसील पूरनपुर के 13 गांव प्रभावित हुये हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक करोड़ रुपया जिन पांच जनपदों को दिया है, उसमें जनपद–पीलीभीत को भी दिया गया है, लेकिन एक करोड़ रुपया बहुत ही अपर्याप्त है। हमारे यहां जितना नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में शायद ही कहीं इतना बड़ा नुकसान हुआ हो। फसलें बिल्कुल चौपट हो गयी हैं। इसलिये मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पीलीभीत को विशेष रूप से सुविधा प्रदान कराने के लिये निर्देशित किया जाये। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री दीप नारायण सिंह (दीपक यादव)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, अभी हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और सभी दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लिया है और अपनी चिन्ता व्यक्त की है। मान्यवर, जो इनकी चिन्ताएं हैं वह दिखावा है। मैं इसलिये यह बात कह रहा हूं कि अगर इनको किसानों की चिन्ता रही होती तो कोई ऐसा दल नहीं है जो सामने बैठा हो, सरकार में न रहा हो। बहुत सारे लोगों की दूसरे प्रान्तों में सरकारे हैं, लेकिन किसानों के हित में यह फैसले कभी नहीं कर पाये। मान्यवर, फैसले न इस प्रदेश में लिये हैं और न बाहर ले रहे हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने, इस समाजवादी सरकार ने जो फैसले किये हैं वह हिन्दुस्तान में शासन करने वाले सारे लोगों को आईना दिखाते हैं। मान्यवर, किसान बीमा योजना में 05 लाख रुपये उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। देश के किसी कोने में किसानों को उनकी मृत्यु पर 05 लाख रुपये बीमा नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि सामने बैठे लोग जो चर्चा कर रहे हैं, इन्होंने किसानों के लिये यह व्यवस्था बनाने की कभी कोशिश नहीं की। मान्यवर, हमारे कुछ साथी मुआवजे की बात कर रहे थे, वह बुन्देलखण्ड की चिंता भी व्यक्त कर रहे थे। मान्यवर, बुन्देलखण्ड का जो नुकसान हुआ है, बुन्देलखण्ड के साथ समाजवादी सरकार हमेशा रही है। मा0 नेता जी मुलायम सिंह जी के समय से लेकर मा0 अखिलेश जी तक बहुत सारी ऐसी योजनायें हैं जो बुन्देलखण्ड के विकास और तरक्की का नया आईना दिखाती हैं। मान्यवर, पिछले साल के मुआवजे की बात अभी कही गयी है। मान्यवर, पिछले साल के भीतर बुन्देलखण्ड का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के मुआवजे के तौर पर जो धनराशि बटी है वह मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। गरौठा तहसील में पिछले नुकसान के एवज में मात्र एक तहसील में 34 करोड़

रुपये बटे हैं और मोठ तहसील में 35 करोड़ रुपये बट रहे हैं। मान्यवर, करोड़ों का मुआवजा पिछले 50 साल के शासनकाल में सारी सरकारों ने मिलकर नहीं दिया है। यह इस बात का उदाहरण है कि मा0 मुख्य मंत्री जी सरकारों के साथ किस प्रकार से खड़े हैं। मान्यवर, अभी जो नुकसान किसानों का हुआ है मैं चाहता हूं कि किसानों की मदद होनी चाहिये। इस सरकार का लक्ष्य किसान हैं, इस सरकार का मकसद किसान की तरक्की है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस आपदा की जानकारी होते ही 200 करोड़ रुपये सैंक्शन किये हैं। मान्यवर, सामने बैठे हुए जितने भी लोग हैं, बगल में मध्य प्रदेश में सरकार है, मध्य प्रदेश का भाग भी नुकसान से डूब गया पूरी तरह से लेकिन एक रुपये का मुआवजा नहीं मिला है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने 200 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। जो साड़ियों की चिन्ता कर रहे थे, इनको बताना चाहता हूं, इन तीन साल में 17 लाख में से 15 लाख किसानों के बेटे–बेटियों को मिले हैं। मान्यवर, 1200 करोड़ रुपये कन्या विद्या धन बंटा है, जिसमें से 1100 करोड़ रुपये किसानों की बेटियों को मिला है। मान्यवर, सिंचाई माफ उत्तर प्रदेश में है, जो काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किए हैं, किसानों के लिए, यह सब मिल कर पूरे जीवन में नहीं कर पाए हैं, इसलिए परेशान हैं। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सिनोद कुमार शाक्य–

मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहां पर 85 परसेण्ट लोग खेती से अपना जीवन–यापन करते हैं। मान्यवर, इस सदन में 80 से 90 परसेण्ट लोग किसानों से जुड़े हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है कि सिर्फ 200 करोड़ रूपये देकर किसानों के लिए इतनी बड़ी वाह–वाही लूटी जा रही है। मान्यवर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, केन्द्र में जब सरकार बनी, एक–एक व्यापारी को 5–5 हजार करोड़ का लाभ दे दिया गया। एक–एक व्यापारी को मान्यवर, पांचों हजार करोड़ का लाभ देने का काम इन सरकारों ने किया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर व्यापार को लाने के लिए एक–एक व्यापारी को हजारों करोड़ का रिवेट देने का काम किया जाता है, आज जब किसानों के ऊपर बात आती है तो उन्हें सिर्फ 9 हजार रुपये देने की बात की जा रही है, यह नाइन्साफी है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यह 9 हजार रुपये का मानक किस हिसाब से तय किया गया है? 01 हेक्टेयर के अन्दर 66 हजार मूल्य की फसल उगती है। एक हेक्टेयर के अन्दर 44 कुन्तल अनाज पैदा होता है, जिसका मूल्य यह सरकार 66 हजार रुपये तय करती है, उसके लिए सिर्फ 9 हजार रुपये देने का काम कर रही है। किसान सिर्फ खेती पर आश्रित हैं, किसान अपने बेटे–बेटियों की शादी कर्ज लेकर करता है, वह केवल खेती पर आश्रित है। किसान कर्ज लेता है, वह ब्याज भी नहीं दे पायेगा, यह कैसा इन्साफ है ? मान्यवर, यहां पर 85 परसेण्ट लोग किसान हैं, लेकिन उनके लिए यहां पर कोई सुविधा नहीं है, जो 02 परसेण्ड लोग व्यापारी हैं, उनके लिए सुविधा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि

जितने किसान हैं, के0सी0सी0, कृषि यन्त्र, बैंकों से जो कर्ज लिया है, उन किसानों के लोन को तत्काल माफ कर दिए जाय, यह हम मांग करते हैं, धन्यवाद।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 अध्यक्ष जी, 2 बजकर 10 मिनट पर इस चर्चा का समय समाप्त हो जायेगा, मुझे कितने मिनट आप देंगे, यह तय करके इन लोगों को बुलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

दो–तीन लोग बोलने वाले हैं, अगर यह लोग अपने क्षेत्र के बारे में बोल लेंगे तो इनको भी संतोष हो जायेगा, थोड़ा समय बढ़ भी जायेगा तो चिन्ता नहीं है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो मुझे नियम–56 की नोटिस पर अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के कारण फसलों को जो नुकसान हुआ है, उसकी क्षति के सम्बन्ध में बोलने का मौका दिया, मैं अपने आप को अपने नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से, सरोज जी से सम्बद्ध करते हुए लखीमपुर खीरी की तहसीलों के बारे में बताना चाहता हूं कि फसलों को नुकसान हुआ है। अध्यक्ष जी, हमारे यहां पिछले वर्ष सबसे पहले सूखे से नुकसान हुआ, सूखे के बाद दोबारा बाढ़ से फसलों का नुकसान हुआ, उसके बाद जो बचा, किसान पहले से ही परेशान थे क्योंकि 68 प्रतिशत किसान 01 हेक्टेयर से नीचे हैं, लघु किसान हैं और लखीमपुर खीरी में लघु किसानों की अधिकता है। जब उसने दो बार सूखे और बाढ़ के बाद बुवाई का काम किया, गेहूं, चना, मसूर, लाही, सरसों आदि फसलें बोई गईं। इस अतिवृष्टि और ओलावृष्टि जो फरवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होकर 15 मार्च तक हुई उससे इसकी फसल बर्बाद हुई। उसकी आगामी फसल का नुकसान तो हुआ लेकिन उस बर्बाद हुई फसल को खेत से निकालने के लिए पैसा कहां से लाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि यह जो धनराशि दी जा रही है उसको बढ़ाया जाये। उसका मुआवजा दोगुना किया जाए।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। मान्यवर फरवरी–मार्च में ओलावृष्टि और बरसात से किसान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। मेरे क्षेत्र बुलन्दशहर में जो जांच की गई उसमें अधिकारियों ने 17 प्रतिशत रिपोर्ट भेजी है जो कि सही नहीं है। वहां का गेहूं बिल्कुल लेट गया है और हवा–पानी न मिलने की वजह से वह गल जायेगा। गेहूं की फसल बर्बाद होने से आगे भूसे की भी समस्या आने वाली है। उससे जानवरों को चारे की भी समस्या होने वाली है। वहां मटर और सरसों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। किसान बर्बाद हो गया है। मेरी यह मांग है कि उच्च अधिकारियों की कमेटी बनाकर दोबारा जांच करवा ली जाए तथा प्रति प्रतिशत के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए।

श्री दलजीत सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। पूरे बुन्देलखण्ड में बारिश और ओलावृष्टि से पूरी फसल नष्ट हो गई है।

लेखपाल जो सर्वे के लिए जाते हैं वह रिपोर्ट जो देते हैं वह 50 प्रतिशत से नीचे की देते हैं। ठीक से सर्वे नहीं करते तो गांव के लोग बार–बार जिला प्रशासन के मुख्यालयों पर धरना–प्रदर्शन कर रहे हैं आए दिन सड़कें जाम हो रही हैं। वैसे भी बुन्देलखण्ड क्षेत्र में विगत सात–आठ वर्षों में लगभग तीन हजार किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हम लोग कई बार इस मुद्दे को यहां सदन में उठा चुके हैं और अब तो बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है। पिछले वर्ष भी बारिश से फसलें नष्ट हो गई थीं और हम लोग धरने पर भी बैठे थे। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से मिला और उनसे आश्वासन भी मिला। अभी मा0 विधायक जी गरौठा क्षेत्र की तो बात बता रहे थे तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि पूरे बुन्देलखण्ड का ध्यान रखा करें। उन्होंने अपने क्षेत्र का 35 करोड़ बताया लेकिन और 19 विधान सभाएं हैं तो कृपा इधर भी और सब जगह होनी चाहिए। बुन्देलखण्ड में सिर्फ एक ही फसल होती है। वह भी लगातार तीन वर्षों से चौपट हो गई है। किसानों का कर्ज पूरी तरह से माफ करके वसूली पूर्णतः बंद होनी चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी एक महत्वपूर्ण बात करके अपनी बात बंद कर लूंगा। बार–बार जब किसानों की आत्महत्या की बात आती है तो अधिकारी गुमराह करने वाला जवाब देते हैं। जो तथ्य दिए जाते हैं वह सत्य से परे होते हैं। मेरा निवेदन है कि एक सर्वदलीय कमेटी बना करके बुन्देलखण्ड की आत्महत्याओं के कारणों की जांच करा दें।

(श्री विक्रम सिंह सहित कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब बैठिए। अब विक्रम जी बहुत लोग बोल चुके। धर्मपाल सिंह जी आप बोलिए। बैठ जाइये न आप रोज बोलते हैं। अभी आपके नेता बोल चुके जो समस्या है वह आ गई। बैठ जाइये। उनको बोलने दीजिए।

डा0 धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो किसानों ने आत्महत्या की है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह और गायत्री पत्नी राम निवास। मा0 अध्यक्ष जी हमारे यहां आलू की फसल होती है। वह फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। जो आंकलन किया जा रहा है वह उचित नहीं है। एक बार हमारे यहां एत्मादपुर तहसील में भी आंकलन दोबारा से करा लें। मा0 अध्यक्ष जी मेरा एक सुझाव है मा0 मंत्री जी को, मा0 मंत्री जी राजस्व मंत्री रहे हैं। अगर हम प्रदेश में किसानों की 100 प्रतिशत फसलों का बीमा करा दें तो आने वाले दिनों मे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। इसके साथ ही मा0 अध्यक्ष जी आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

(इस बीच श्री सुरेश राणा, श्री विक्रम सिंह, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया सहित विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष–

अब नहीं। अब मंत्री जी बोलेंगे। आप लिखकर दे दो मैं जुड़वा देता हूं। आपकी पार्टी के कई लोग बोले। 2.10 तक इसका टाइम निर्धारित है। सुरेश राणा जी आप रोज बोलते हो बैठो।

श्री अम्बिका चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, नियम–56 की इस नोटिस पर इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने चर्चा की अनुमति दी है और जिस चर्चा का प्रारम्भ मा0 नेता प्रतिपक्ष ने किया। मा0 नेतागण ने, मा0 सदस्यगण ने उतनी ही गंभीरता से इस गंभीर और संवेदनशील मामले पर अपनी–अपनी जानकारी और अपने विचार रखे हैं। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि दैवीय आपदा की जैसी मार उत्तर प्रदेश के किसानों पर पड़ी है। जैसा आपने उल्लेख किया कोई एक दिन नहीं, लगातार जनवरी, और फरवरी में मिलाकर फिर मार्च में जैसी मार पड़ी है। हम शायद लम्बे अरसे से याद करते हैं जहां तक मुझे याद आता है पिछले कई सालों में ऐसी मार किसानों पर बारिश और ओलावृष्टि से पड़ी नहीं है। किसी चक्रवात के कारण किसी क्षेत्र विशेष, दो–चार जिलों में, पहाड़ से सटे इलाकों में या बुन्देलखण्ड के कुछ इलाकों में हानि हो गयी कभी पूर्वांचल में हो गयी। सूखे के अलावा। सूखे में तो इससे भी बड़ी तबाही होती रही है। लेकिन इस प्रकार से सर्दियों के मौसम में इस प्रकार की बारिश और ओलावृष्टि से इतना बड़ा नुकसान मुझे स्वयं नहीं याद आता कि पिछले 10–15 सालों में प्रदेश में हुआ हो। आपने भी अपनी तरफ से उसकी जानकारी रखने का काम किया। मैं जब सरकार की ओर से इसका उत्तर देना चाहता हूं। आपने जो सवाल उठाये हैं मैं अपना उत्तर देने से पहले उन सवालों को कुछ साफ करना चाहता हूं। सवाल यह है कि जो राशि इसके लिए दी गयी है वह राशि अपर्याप्त है। और साढ़े चार हजार रु0 प्रति हे0 असिंचित के लिए, नौ हजार रुपया प्रति हे0 सिंचित के लिए और 12 हजार रुपया प्रति हे0 बारहमासी फसलों के लिए और इस प्रकार अन्य फसलों का जिक्र है कि रेशम के लिए कितना और किसके लिए कितना उसका उल्लेख नहीं करूंगा। एक प्रश्न यह है कि यह राशि अपर्याप्त है। यह हम भी मानते हैं। यह राशि अपर्याप्त है इस पर पहले किसी सरकार ने विचार नहीं किया। क्योंकि यह राशि केन्द सरकार द्वारा तय की गयी गाइडलाइंस के हिसाब से जिसमें हम एस0डी0आर0एफ0 का पैसा उनको दे सकते हैं। जिसका 75 प्रतिशत केंद्र सरकार देती है 25 प्रतिशत हम देते हैं। तो एस0डी0आर0एफ0 की गाइडलाइंस के हिसाब से यह राशि तय हुयी है और यह कम है। सदन में तमाम सदस्यों को इस बात का भ्रम है कि इस अपर्याप्त राशि पर ही यह देने का काम किया गया है। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मा0 अखिलेश यादव जी ने एस0डी0आर0एफ0 द्वारा दी गयी जो सहायता है उस पर अपने को रोकने का काम नहीं किया है। सीधे–सीधे अपने संसाधनों से बाकी की राशि को दोगुना करके देने का काम किया है। इसलिए यह उतनी नहीं है। यह अपर्याप्त है लेकिन इस अपर्याप्त होने के बावजूद भी अपने संसाधनों से दोगुना करके देने का काम किया है। मा0 अध्यक्ष जी अब तक जो आंकलन हमारे पास आये हैं कि कम से कम 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 1000 करोड़ के लिए हमने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख दी है मांग उनसे सिर्फ 500 करोड़ की, की है। हमने कहा है कि अपनी सेंट्रल की

कमेटी भेज दीजिए। दैवीय आपदाओं में जैसे केन्द्र सरकार से कमेटियां आती हैं। उनके लिए उत्तर प्रदेश में आकर क्षति का आंकलन कर लीजिये और और 500 करोड़ तत्काल दे दीजिये। अभी तक के प्रारम्भिक आंकलन में एक हजार करोड़ का जो नुकसान था उसको मानते हुए कहा कि पांच करोड़ की तात्कालिक सहायता दे दीजिये और अपनी कमेटी भेज दीजिये ताकि इसका आंकलन हो सके। विस्तृत आंकलन होने में चूंकि फील्ड टू फील्ड हम करा रहे हैं जैसे एक और बात थी कि 50 प्रतिशत जिस तहसील में नहीं हुआ या जिस जिले में नहीं हुआ वह नहीं है। आदेश गये हैं इस बात के कि यह जरूरी नहीं कि पूरा ब्लाक, जरूरी नहीं कि पूरी तहसील लेकिन पता यह चला यह ठीक सूचना है, माननीय सदस्यगण ने दी है कि किसी जगह पर तो 5 गांव में किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गयी लेकिन पूरा ब्लाक अगर आच्छादित नहीं हुआ, पूरी तहसील आच्छादित नहीं हुई तो उसमें सरकार सहायता नहीं दे रही है, ऐसी बात नहीं है। निर्देश दिये गये हैं कि प्लाट टू प्लाट वेरीफिकेशन कर और पूरी डीटेल रिपोर्ट बना ली जाये और उसके हिसाब से हम किसान को उसकी मदद दें। एक मांग यह आई तमाम सदस्यों ने इस बात को बहुत जोर से कहा कि वसूली स्थगित कर दी जाये। वसूली स्थगित कर दी जाये, इसकी मांग की प्रतीक्षा सरकारें करती रहीं कि सदन में आयें, आन्दोलन हो, किसान सड़क पर जायें और तब आकर कहे कि वसूली स्थगित हो, मान्यवर, इसकी प्रतीक्षा करने का कोई सवाल नहीं है कि सरकार इस बात की प्रतीक्षा करें कि कब सदन में अध्यक्ष जी नियम–56 के तहत इसकी अनुमति दे देंगे, कब चर्चा होगी, कब वसूली स्थगित करने की मांग की जायेगी। मान्यवर, जैसे ही यह सूचना आयी माननीय मुख्य मंत्री जी ने तत्काल जो कदम उठाये उसमें 17 मान्यवर, उन लोगों को इसके पूर्व ही यह निर्देश दे दिये गये और सरकार द्वारा वसूली स्थगित कर दी गयी है। उसमें स्थगित किये जाने की मांग भी आपकी पूरी है। मान्यवर, इसलिए वसूली स्थगित करने की बात खत्म हो गयी है। एक और बात आयी वह भी ठीक बात है कि जो किसान आत्महत्या से मर गये, किसान का हार्टफेल हो गया, श्रीमन आत्महत्या की सूचना सही नहीं है, हमारे पास आकंड़े हैं लेकिन हम नहीं दोहरायेंगें। मेरा यह कहना है कि किसान की मृत्यु चाहे जिस किसी कारण से हो अगर अपने फसलों को देखकर आघात के कारण भी उसकी मृत्यु हो जाये, पहले से हार्ट का पेशेन्ट हो तो भी हम बहाना नहीं करेंगे कि हार्ट पेशेन्ट था यह बहानेबाजी का कोई सवाल नहीं है। जिस किसी भी कारण से उस पीड़ित किसान की मृत्यु हो गयी हो तो उसको दैवी आपदा में मानते हुए जो एस0डी0आर0एफ0 में आकड़े हैं डेढ़ लाख की और किसान दुर्घटना बीमा अलग। हम उसको जोड़ेंगे नहीं कि दुर्घटना बीमा में 05 लाख दे दिया। हम उस 05 लाख का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। 05 लाख तो हमने उसका बीमा कराया है वह तो उसका अधिकार है ही उसके अतिरिक्त इस डेढ़ लाख की राशि को अपने संसाधनों से साढ़े तीन लाख जोड़ कर प्रत्येक किसान को पांच लाख देने का हमने निर्णय किया है। खाली डेढ़ लाख की राशि देने का काम नहीं किया। मैं उल्लेख करूंगा कि यह पहली बार है। एस0डी0आर0एफ0 के मानक हैं कि 50 प्रतिशत यदि नुकसान हो तो साढ़े चार हजार दे आओ, ऐसा नहीं है और उसमें एक और बात है कि यदि कोई छोटा किसान है

10 डिसमिल का 20 डिसमिल का किसान है, सीमान्त कृषक है तो साढ़े चार हजार प्रति हेक्टेयर पर जोड़ते जोड़ते कई बार राशि आती थी डेढ़ सौ कई बार आती थी सवा सौ कई बार आती थी पचहत्तर रुपये। कई बार चेक मिले है लोगों को इसी सदन में उठाया गया कि देखिये पचहत्तर रुपये का चेक गया, छोटी राशि है। इसलिए इस बार तय यह किया गया कि चाहे जितना छोटा खेत हो, चाहे बिल्कुल दो डिसमिल का खेत हो तब भी उसे साढ़े सात सौ रुपये से कम अनुदान किसी किसान को नहीं दिया जायेगा। यह निर्देश अलग से दे दिये। उसकी न्यूनतम सीमा का निर्देश मान्यवर अलग से देने का काम किया। श्रीमन इसके लिए प्रयास क्या किये गये हैं, अभी जो भारत सरकार को चिट्ठी लिखी गयी है, उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, रोज इसकी समीक्षा हुई और चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य सचिव के स्तर पर 04 बार वीडियो कान्फ्रेन्सिंग करके सभी प्रभावित जिलों के कलेक्टर को दूसरे सम्बन्धित अधिकारियों को सामने रखकर उनकी रिपोर्ट लेने का काम, उनको निर्देश देने का काम और एक अलग से आदेश कर सभी विज्ञ और विद्वान लोग हैं जानते हैं आप टी0आर0 27 से आहरण करने का काम। 200 करोड़ गया वो गया उसके पहले जो उपलब्ध था वह था, अगर नहीं है तो टी0आर0 27 जो कलेक्टर का अधिकार होता है कि जब चाहे रात को 12 बजे आवश्यकता हो तो ट्रेजरी खुलवायें और खजाने से पैसा निकाले और उसका वितरण कर लें। इसका निर्देश चीफ सेक्रेटरी के यहां से दिया गया है कि टी0आर0 27 का अधिकार दिया तुमको और तुरन्त निकालो आपदा में राहत दिये जाने के मामले में फण्ड आया कि नहीं आया, आज डिमाण्ड गई, कल आयेगा, इसकी प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है और तत्काल यह वितरित कर दिया जाय, इसके निर्देश चले गये। अब एक और बात उठी वह व्यवहारिक नहीं है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सारे कदम सरकार ने उठा लिये, किसी सदस्य का यह कहना था कि साहब राहत तुरन्त नहीं मिली, रात को फसल गई सबेरे नहीं आई। यह ध्यान रखियेगा, दो तरह की स्थिति है, आपदा के मामले में बहुत संवेदनशील होने की आवश्यकता है, आग लग गई, घर में सब कुछ जल गया, तो आवश्यकता यह है कि उसी समय राशन, उसी समय बरतन, कपड़ा अगर रात को नहीं पहुंचेगा तो सबेरे काम कैसे चलेगा। घर अगर उसका जल गया तो तुरन्त अहेतुक सहायता, आवास सहायता अगर सबेरे तक नहीं पहुंची तो रहेगा कहां, आसमान के नीचे रहेगा, लेकिन जो फसलों का नुकसान है, इसके बारे में अगर आज ओला पड़ा कल सबेरे तक पैसा मिल जाय तो इससे काम नहीं चलने वाला है। यह कृषि निवेश अनुदान है, दो काम करने पड़ेंगे कि आगे वह फसल बो भी सके अपने को सस्टेन कर सके, कृषि के नुकसान की भरपाई कैसे कर सके, इसलिए उसका सम्पूर्ण रूप से आंकलन कर के समुचित तरीके से उसके पास जाना चाहिए, यह ध्यान रखियेगा, हम लोग तो भावनात्मक तौर पर कोई बात कहते हैं तो किसी बातों का ध्यान नहीं देते। इसमें कई सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की कि 66 हजार की फसल है तो 09 हजार क्यों हुई, हम चाहते हैं कि सम्वेत रूप से यह सदन प्रस्ताव कर के भेजे केन्द्र सरकार यह तय करती है कि क्यों सिंचित का 09 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर होगा, क्यों साढ़े 04 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर होगा, खन्ना साहब को या भाजपा को इल्जाम नहीं दूंगा,

कांग्रेस के लोगों को इल्जाम नहीं दूंगा कि भाई आपकी सरकार है, आप कीजिए। यह तो सामान्य राजनैतिक आक्षेप हुआ, लेकिन सच बात यह है कि खेती आज की तारीख में जितनी मंहगी है और जिस कठिनाई से किसान अपना जीवन यापन कर रहा है, उसमें यह राशि अत्यंत छोटी राशि है, इसलिए इस राशि को बढ़ाये जाने का प्रयास होना चाहिए और जो इसके गाईड लाईन्स हैं, उसमें इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए राशि आनी चाहिए। इन सारी चीजों का प्रबन्ध करना चाहिए, चूंकि हम टैक्स लेते हैं, उसी से केन्द्र सरकार भी देती है, इन सारी बातों की व्यवस्था होनी चाहिए और मान्यवर, मेरे पास वह सूची है, जिन 25 लोगों की मृत्यु हुई है, उनकी भी सूची है मेरे पास राजेन्द्र सिंह जिनके बारे में अभी कह रहे थे, धर्मपाल सिंह जी कि आत्महत्या से मृत्यु हुई है, यह पूरी लिस्ट है मेरे पास कहां पर क्या हुआ, आगरा में पूरन सिंह, धनीराम, बाबूलाल, राजेन्द्र सिंह, अन्य जगहों पर जो मृत्यु हुई है, प्रत्येक जगह पर मान्यवर फतेहपुर में रामगोविन्द, रामबाबू, कुसमा देवी, मैनपुरी में रामदास, जालौन में कुमारी पूजा पटेल, कुशीनगर में गुड़िया, बागपत में शिवा, बिपिन ये जो तमाम नाम हैं, यह हमारे पास पूरी लिस्ट है, लिस्ट पढ़ने का कोई बहुत उपयोग है कि पूरी सूची मैं पढ़ूं या कहां क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सम्वेत रूप से यह बात हम सबको सोंचनी है और मैं सरकार की ओर से यह बात आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितने किसानों की जो गम्भीर स्थिति पैदा हुई है इससे, उन पर जो प्रकृति की मार पड़ी है, उसमें हम सभी लोग, मैं मानता हूं कि पूरा सदन उनके साथ न सिर्फ भावनात्मक तौर पर साथ है, बल्कि उनकी जैसी भी जितनी भी मदद की जा सकती है, उस मदद की दृष्टि से सरकार भी पूरी तरह से तैयार है और हम लोग अपनी–अपनी भूमिकाओं में अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधि होने के नाते जहां–जहां जिसकी–जिसकी भूमिका होगी, हम सब लोग आगे बढ़कर के उनकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए श्रीमन् इसका कार्य–स्थगन स्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

यह कार्य–स्थगन नहीं है, चर्चा है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा, क्या बिजली के बिल छः महीने के माफ करेंगे, जिस प्रकार से राजस्थान ने अतिवृष्टि, ओलावृष्टि को ध्यान में रखते हुए, वहां पर माफ किया है ? क्या उत्तर प्रदेश में भी छः महीने तक किसानों का बिजली भुगतान माफ करेंगे और दूसरी चीज, जब सभी प्रकार के ऋण वसूली स्थगित करने का आदेश, कब तक के लिए लागू होगा, यह दोनों बातें स्पष्ट कर दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो आपने कहा कि हम मानक शिथिल करेंगे, कितना करेंगे नम्बर–एक और नम्बर–दो जनहानि को आंकलन करने का तरीका क्या है, क्या एस0डी0एम0 को मौके पर भेज कर जांच करवायेंगे कि वह मरा इसी सदमें से मरा या खुदकुशी कुएं में कूद कर या ट्रेन के आगे आ कर की, इसी कारण से की या अन्य

किसी कारण से की। मेरा सुझाव यह है कि अगर एस0डी0एम0 को मौके पर भेज देंगे तो सही जांच हो जायेगी।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की नीयत पर कोई शक नहीं है, सरकार बढ़ा कर दे रही है, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा कहना यह है कि या तो सरकार का अप्रत्यक्ष रूप से जिलाधिकारी को कोई निर्देश है या पटवारी लोग गलत आंकलन कर रहे हैं। 17 से 20 परसेन्ट का। ईमानदारी की बात यह है और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि किसान के नुकसान की उन्होंने जो जानकारी हासिल की है, वह गलत है उसे दोबारा करा लें।

श्री दलजीत सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, बस एक बात है कि यह जो बारिश से नुकसान होता है तो क्या इसको दैवीय आपदा में शामिल करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

और क्या है ये, अतिवृष्टि है न।

श्री दलजीत सिंह–

मान्यवर, अतिवृष्टि को बारिश के नुकसान को ये दैवी आपदा नहीं मानते।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग काहे को पूछ रहे हैं ? इतना भाषण कर दिया अब क्या पूछ रहे हैं ? अरे आप लोग तो बहुत तंग कर दिये हो। अब आप लोग जवाब लेने दो जितना पूछा गया है उसका। वे सबका जवाब कैसे दे पायेंगे ?

(सदस्य श्री कालीचरन सुमन द्वारा बीच में बोलने का प्रयास करने लगे)

मा0 कालीचरन सुमन जी, आपके नेता ने पूछ लिया उसमें सब समाहित हैं।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया–

मा0 अध्यक्ष जी, यह जो अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई और इसमें स्पर्शाघात होने से जिनकी मृत्यु हुई है तो क्या उनको इसमें मुआवजा मिलेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने कहा कि बारिश से नुकसान को दैवी आपदा नहीं मानते। यह जो नुकसान इस बार हुआ जिस पर चर्चा हो रही है ये बारिश से ही हुआ है सिर्फ ओले से नहीं हुआ है तो जहां भी अतिवृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है उसको दैवी आपदा में ही दृष्टि करते हुए उसका इंतजाम कर रहे हैं। खन्ना साहब ने जो बातें पूछीं एक तो यह पूछा कि मानक बढ़ाने का पूछा आपने कि मानक का क्या होगा। मानक बढ़ाने का काम हम नहीं करते। यह मानक राष्ट्रीय स्तर पर है और यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले को उस फोरम पर उठा चुका हूं। दो साल पहले, तीन

साल पहले भी मैंने इसको उठाया है। बार–बार इसको फोर्स किया है और आपको संतुष्टि होगी कि पिछली बार जो मानक बढ़ा था वह भी हम लोगों के ही प्रयास से ही बढ़ा था। व्यक्तिगत रूप से मैं प्रभारी था और हम लोगों ने जो बात रखी थी तो पिछली बार मानक रिवाइज हुआ था। अभी भी मानक बढ़ाना चाहते हैं तो मानक बढ़ाने का काम केन्द्र सरकार से होगा, एन0डी0आर0एफ0 उसको करेगी और हम उसको यहां ले आयेंगे। दूसरा सवाल आपने जनहानि का पूछा। जनहानि पर एस0डी0एम0 को भेजने की बात आपने कही। मान्यवर, हम आज ही इस बात का निर्देश देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बाकी का आंकलन जो है सभी जगहों पर एस0डी0एम0 हर खेत का नहीं कर सकता लेकिन मृत्यु की अगर सूचना मिलती है और जनहानि अगर होती है तो प्रत्येक जनहानि के लिये वेरीफाई करने के लिये जहां से भी सूचना मिलती है तो एस0डी0एम0 स्वयं उस गांव में मौके पर जायेंगे और जो करके इसकी सूचना ले आयेंगे कि यह मृत्यु किस प्रकार की हुई है इसलिये मैं समझता हूं कि यह आपकी बात पूरी है और नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है तो मान्यवर, इस सरकार में किसान को जो बिजली की जरूरत है तो सिंचाई की बिजली तो शुरू में ही, पूरी सिंचाई ही हमने माफ की हुई है। सारे प्रबन्ध किये हुये हैं इसलिये अब ये घड़ियाली आंसू बहाने से अब कुछ हो जाने वाला नहीं है। सारा इंतजाम सरकार ने किया है और उनकी मदद के लिये जो इंतजाम किये जाने हैं, वे हम आगे बढ़कर कर रहे हैं। सारे जो मानक हैं उन मानकों से दोगुना कर रहे हैं। मृत्यु की स्थिति में तीन गुना कर रहे हैं। इन सारी चीजों को कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि पूरे प्रतिपक्ष को खासतौर से सरकार के इन कदमों की सराहना करनी चाहिए। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, राजस्थान सरकार ने जो बिजली का बिल माफ किया है। मैं वही प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी किसानों की बिजली का बिल माफ करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

अब वह जवाब नहीं देते तो हम जवाब तो दिलवा नहीं सकते।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार की किसानों के प्रति संवेदनहीनता है। यह सरकार किसान विरोधी है और किसानों पर इस मुसीबत का पहाड़ टूटा है और यह सरकार उस पर गम्भीर नहीं हो रही है इसलिये बहुजन समाज पार्टी सरकार की इस किसान विरोधी नीति के चलते सदन को बहिर्गमन करती है।

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्यों ने सदन का बहिर्गमन किया)

श्री अम्बिका चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, जिन लोगों ने सरकार में रहते किसानों के लिये कभी सोचने का काम नहीं किया उनकी कमर टूट गयी और एक ढेला अपने खजाने से देने का काम नहीं किया। वे आज घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। जो इस प्रदेश में किसानों की तबाही के लिये जिम्मेदार हैं वे आज किसानों की हमदर्दी की बात कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी शर्म की बात है ये सिर्फ खबर बनाने के लिये वायकाट करना चाहते हैं।

ख्2.26 बजे, कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक हेतु सदन को 10 मिनट के लिये स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष–

एक सूचना है कि अभी कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक है। थोड़े देर के लिए 10 मिनट के लिए मैं सदन को स्थगित कर देता हूं, कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक में जो निर्णय होगा और उसके साथ ही हम नियम–51 लेंगे और आपको अवगत भी करा देंगे कि कार्य–मंत्रणा समिति में क्या हुआ, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा निर्णय हो जिसमें आपको सूचित करना हो, तो आप चले जाएं, तो 10 मिनट आप लोग बैठे रहें। हम 10 मिनट के लिए स्थगित करके कार्य–मंत्रणा करके आते हैं, तब नियम–51 लेंगे।

(श्री अध्यक्ष ने 2 बजकर 26 मिनट पर कार्य–मंत्रणा की बैठक करने के लिये सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी।)

(2 बजकर 36 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है।)

ख्2 बजकर 46 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।,

ख्2.46 बजे, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 20–03–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर टप्पल रोड पर बाई पास बनवाए जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दूसरी सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत बी0बार0जी0एफ0 योजना में चयनित 14 ग्राम पंचायतों में किसी भी ग्राम पंचायत की कोई विकास परियोजनाओं का चयन वर्ष 2012 से अब तक न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तीसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' की शासनादेश जारी होने के बावजूद भी शहरी क्षेत्र के विधायकों की संस्तुति पर जल निगम वाराणसी द्वारा हैण्ड पम्प न लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की है। (माननीय सदस्य के अनुपस्थित रहने पर)

यह उपस्थित नहीं हैं, इसलिये इनकी सूचना नहीं ली जायेगी।

पांचवी सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की है। (माननीय सदस्य के अनुपस्थित रहने पर)

यह उपस्थित नहीं हैं, इसलिये इनकी सूचना नहीं ली जायेगी।

छठवीं सूचना श्री संजय प्रताप जयसवाल की जनपद बस्ती में स्थित शिवहर्ष किसान पी0जी0 कालेज एवं ए0पी0एन0 पी0जी0 कालेज में की गई अनियमित रूप से नियुक्तियों की जॉच कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सातवीं सूचना श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत की नगर निगम–झांसी में सीपरी बाजार सब्जी मण्डी के स्थान पर प्रस्तावित बहुमंजिला व्यावसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

आठवीं सूचना श्री सतीश महाना की जनपद–कानपुर महानगर के महाराजपुर क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में लोहिया ग्राम में चयनित ग्रामों में विकास कार्य पूर्ण कराए जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

नौवीं सूचना श्री जन्मेजय सिंह की उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मेसर्स अभि बस प्राइवेट लि0 की सांठ गांठ से करोड़ों रुपये के गबन की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद एटा के थाना अबागढ़ में दर्ज अपराध संख्या 37/15 धारा 363 व 364 आई0पी0सी0 के तहत लालाराम की पुत्री दुर्गेश कुमारी की बरामदगी कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

ग्यारहवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की जनपद–कानपुर महानगर के कतिपय मोहल्लों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुदृढ़ करवाए जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

श्री अगयश राम सरन वर्मा एवं श्री भीम प्रसाद सोनकर दो माननीय सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं हैं, तो उनके स्थान पर डा0 धर्म सिंह सैनी और श्री अनिल कुमार की सूचनायें ले लेते हैं। इस प्रकार आज कुल 11 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गई।

जिन माननीय सदस्यों की सूचना अस्वीकार की गई हैं, उनके नाम हैं :–

श्री रोशन लाल वर्मा, श्री शारदा प्रताप शुक्ला, श्रीमती आराधना मिश्रा, श्री गजराज सिंह, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री सुरेश राणा, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री रविन्द्र भड़ाना, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्रीमती चन्द्रा रावत, श्री प्रदीप माथुर, सुश्री मधुबाला पासी, श्री बाला प्रसाद अवस्थी, श्री सन्तराम कुशवाहा, श्री कालीचरन सुमन, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी तथा श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी।

जनपद बुलन्दशहर में स्थित वेव शुगर मिल के बन्द होने के कारण उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में श्री दिलनवाज खां द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 सदस्य विधान सभा ने अपनी सूचना में यह उल्लेख किया है कि जनपद–बुलन्दशहर में स्थित वेव शुगर मिल न चलने के कारण किसानों का हजारों कुन्तल गन्ना बर्बाद हो चुका है तथा गन्ना किसान.....

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

माननीय अध्यक्ष जी,इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है तथा मजबूरन किसान धरना–प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार यथासमय चीनी मिलें चलाने तथा समय पर किसानों को भुगतान करने के स्पष्ट आदेश दिये गये हैं। किन्तु जिला प्रशासन भी वेव शुगर मिल चलवाने में सफल नहीं हो पा रहा है, जिस कारण किसानों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा स्थिति खराब हो रही है।

माननीय सदन के संज्ञान में यह तथ्य भी लाना आवश्यक है कि चीनी मिल मालिकों द्वारा मिल चलाने में जानबूझ कर रुचि नहीं ली जा रही है तथा जिला प्रशासन के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। मिल मालिकों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण बोर्ड, बुलन्दशहर से सांठ–गांठ करके प्रदूषण मानकों का पालन न करने तथा अन्य आपत्तियों सम्बन्धी नोटिस जारी करा दिया गया है ताकि मिल संचालन न किया जा सके तथा वेव चीनी मिल मालिक द्वारा मिल की बेशकीमती जमीन की प्लाटिंग करके बेचा जा सके। चीनी मिल का संचालन न हो पाना चीनी मिल मालिक/महाप्रबन्धक तथा क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बुलन्दशहर की मिलीभगत है, जिस कारण किसानों को आर्थिक क्षति पहुंच रही है तथा किसानों का परिवार आर्थिक बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि चीनी मिल बुलन्दशहर वेव ग्रुप की चीनी मिल है। उक्त चीनी मिल गत सत्र में दिनांक 04–12–2013 को चलकर दिनांक 06–04–2014 को बन्द हुई। सत्र के दौरान चीनी मिल द्वारा 20.86 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई की गयी। पेराई सत्र,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

2013–14 का चीनी मिल द्वारा समस्त गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। पेराई सत्र, 2014–15 हेतु चीनी मिल को कुल 38.07 लाख कुन्तल गन्ना आवंटित किया गया। चीनी मिल दिनांक 06–12–2014 को चलकर दिनांक 28–01–2015 को बन्द हुई। जिला गन्ना अधिकारी, बुलन्दशहर, उप गन्ना आयुक्त, मेरठ एवं जिलाधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार चीनी मिल उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदूषण मानकों को पूरा न करने के कारण दी गई क्लोजर नोटिस के क्रम में बन्द कर दी गयी है। चीनी मिल द्वारा संचालन अवधि में कुल 8.94 लाख कुन्तल गन्ना खरीदा गया जिसका कुल रु0 1469.10 लाख गन्ना मूल्य देय हुआ। चीनी मिल द्वारा दिनांक 18–03–2015 तक रु0 410.96 लाख का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है। चीनी मिल क्षेत्र में अवशेष बचे गन्ने को अन्य चीनी मिलों यथा–साबितगढ़ एवं रजपुरा को आवंटित कर सुचारु रूप से गन्ना आपूर्ति कराई जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति से ही संचालन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

जहां तक भूमि को आवासीय तथा व्यवसायिक उपयोग में लाकर भारी धन कमाने का प्रश्न निहित है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्लम्प सेल एग्रीमेन्ट तथा सेल डीड में उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 की इकाई बुलन्दशहर के भू–उपयोग में परिवर्तन का कोई प्राविधान नहीं है।

राज्य सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु कटिबद्ध है।,

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के अन्तर्गत लखनऊ मोहान रोड पर नरौना पुल से नहर पटरी होते हुए हरदोई बार्डर तक एवं माल दुबग्गा रोड के उच्चीकृत एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्दल कुमार द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

(व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री इन्दल कुमार जी उपस्थित नहीं हैं ।

जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज की शुगर मिलों द्वारा किसानों के बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार दुबे द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लिखित किया गया है कि जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज ....

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्द कन्नौड़िया शुगर मिल एवं न्यू इण्डिया शुगर मिल ढाडा पर गन्ना किसानों का करोड़ों रुपये बकाये हो चुका है। मिल पेराई सत्र के अन्तिम दौर में चल रही है जबकि गन्ना किसानों का बकाया वर्ष 2015 जनवरी, फरवरी, व मार्च माह का एक पैसा भी नहीं दिया गया जिससे गन्ना किसान आशंकित एवं आन्दोलित हो चुके हैं। उक्त मिलों से गन्ना मूल्य भुगतान दिलाना जनहित में अति आवश्यक है।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 18–03–2015 की स्थिति के अनुसार पेराई सत्र, 2014–15 में चीनी मिल कप्तानगंज द्वारा प्रथम किश्त के रूप में देय गन्ना मूल्य रु0 84.91 करोड़ के सापेक्ष रु0 29.35 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, जो देय का 34.57 प्रतिशत है तथा चीनी मिल पर रु0 55.56 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है तथा चीनी मिल हाटा द्वारा पेराई सत्र, 2014–15 में दिनांक 18–03–2015 की स्थिति के अनुसार प्रथम किश्त के रूप में देय गन्ना मूल्य रु0 126.57 करोड़ के सापेक्ष रु0 51.31 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है जो देय गन्ना मूल्य का 40.54 प्रतिशत है तथा चीनी मिल हाटा पर रु0 75.26 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है।

कृषकों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान कराये जाने हेतु दैनिक रूप से गन्ना आयुक्त/शासन स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है। समय से गन्ना मूल्य का भुगतान करने हेतु प्रत्येक चीनी मिल को नोटिसें निर्गत की गयी हैं। गन्ना आयुक्त/शासन स्तर पर समय–समय पर चीनी मिल प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठकें करके सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया है। सम्बन्धित जिलाधिकारियों व मण्डलायुक्त को भी अवशेष गन्ना मूल्य का शत–प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु पत्र/निर्देश निर्गत किये गये हैं। राज्य सरकार किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने हेतु कटिबद्ध है।,

जनपद बिजनौर के कतिपय ग्रामों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रुचिवीरा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्या श्रीमती कुंवरानी रूचिवीरा जी उपस्थित नहीं हैं।

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र उतरौला के अन्तर्गत ग्राम दिलावरपुर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आरिफ अनवर हाशमी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री आरिफ अनवर हाशिमी जी उपस्थित नहीं हैं।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड सिकन्दराबाद अन्तर्गत करों नदी में गिरने वाले गन्दे नाले में प्रदूषित जल इकट्ठा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना पर अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद में उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास ...

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

खनिगम द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों एवं इस क्षेत्र का जल–मल यू0पी0एस0आई0डी0सी0 क्षेत्र से निकल कर प्रश्नगत नाले में प्रवाहित होता है। यह नाला ग्राम–निजामपुर, सरायदूल्हा, बोडा तथा शाहपुर कला आदि से होते हुए अन्ततः करवन नदी में मिलता है।

उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद क्षेत्र में स्थापित उद्योगों द्वारा उत्प्रवाह को शुद्धीकृत करने के पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र के नाले में निस्तारित किया जाता है जो उक्त नाले के माध्यम से प्रवाहित होता है। प्रश्नगत नाले का निरीक्षण उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय बुलन्दशहर के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–03–2015 को किया गया।

निरीक्षण के समय देखा गया कि उक्त नाला ग्राम सराय दूल्हा तथा शाहपुर कला के बीच खुदा हुआ है तथा इसमें जल प्रवाह की पर्याप्त क्षमता है। ग्रामवासियों द्वारा सिंचाई के प्रयोजन हेतु नाले में अवरोध लगाकर पानी रोका गया। नाले में जगह–जगह पर वनस्पतियां स्वतः उगी हुई देखी गयी तथा नाले की चौड़ाई कहीं–कहीं पर कम है। इन सब के बावजूद निरीक्षण के समय नाले में निरन्तर प्रवाह पाया गया।

निरीक्षण दिनांक 10–03–2015 के समय प्रश्नगत नाले से जल नमूना एकत्र करके राज्य बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला लखनऊ में विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्या के अनुसार नाले में पी0एच0 मान 6.86 सस्पेन्डेड सालिड 88 मि0ग्रा0/ली0, बी0ओ0डी0 32 मि0ग्रा0/ली0 तथा सी0ओ0डी0 200 मि0ग्रा0/ली0 पायी गयी। यह जल गुणता सिंचाई योग्य है।

प्रश्नगत नाला अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग ऊपरी माट खण्ड खुर्जा जनपद बुलन्दशहर के कार्य क्षेत्र में है। नाले की सफाई की आवश्यकता है। अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग को नाले की तत्काल सफाई कराने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

कार्यालय उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बुलन्दशहर के द्वारा दिनांक 17–03–2015 को पत्र प्रेषित किया गया है जिसकी प्रतिलिपि क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम प्रशासनिक भवन, कासना–5, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गयी है कि औद्योगिक क्षेत्र सिकन्द्राबाद के जल की निकासी हेतु वह भी अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करें।

उपरोक्त जांच के उपरान्त यह पाया गया है कि प्रश्नगत नाले का पानी प्रवाहित हो रहा है एवं नाले का पानी रुका हुआ नहीं है।,

जनपद फिरोजाबाद की कृषि रक्षा इकाई विकास खण्ड टूण्डला द्वारा उपलब्ध करायी गयी साइकेन एम–45 व मैन्कोजेव 75 डब्ल्यू0पी0 से हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश बाबू द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री राकेश बाबू जी उपस्थित नहीं हैं।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत थाना हजरतगंज (नरही) के साथ–साथ कई वर्षों से पूरे लखनऊ में घूम–घूम कर तैनात एस0एस0आई0 श्री रमेश कुमार एवं हेड कांस्टेबिल श्री मिथिलेश के कार्य–कलापों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी उपस्थित नहीं हैं।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास अन्तर्गत रेहुआ लालगंज में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 17–3–2015 को दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि ...

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्मानव जीवन में सुरक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, बिना सुरक्षित रहे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकेगी। मानव जीवन के लिये

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जितना आवश्यक भोजन एवं पीने के लिये शुद्ध जल जरूरी है उतना ही आवश्यक उनके जीवन के लिये सुरक्षा भी है। मा0 सदस्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़ के थाना उदयपुर के अन्तर्गत रेहुआ लालगंज एक प्रमुख व्यापारिक एवं व्यावसायिक केन्द्र है तथा जनपद के प्रमुख बाजारों/कस्बों में से एक है। इस बाजार में सुरक्षा की दृष्टिकोण से एक पुलिस चौकी स्थापित किया जाना अति आवश्यक है क्योंकि उक्त रेहुआ लालगंज जनपद प्रतापगढ़ जनपद की प्रमुख बाजारों में से एक है और यहां से थाना उदयपुर तथा थाना सांगीपुर दूर पड़ते हैं यह बाजार हाई–वे पर स्थित है। यहां पर पुलिस चौकी न होने के कारण इस क्षेत्र के लोग यहां पर अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं और उनके अन्दर एक भय सा बना रहता है। मा0 सदस्य द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास अन्तर्गत रेहुआ लालगंज में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने का अनुरोध करते हुए वक्तव्य की मांग की गयी है।

2–इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि रेहुआ लालगंज थाना उदयपुर के क्षेत्रान्तर्गत स्थित है, जो थाना उदयपुर व थाना सांगीपुर के बीच में स्थित है। रेहुआ लालगंज से सांगीपुर की दूरी लगभग 10 किलोमीटर एवं उदयपुर की दूरी लगभग 12 किलोमीटर व जनपद रायबरेली की सीमा करीब 08 कि0मी0 एवं जनपद अमेठी की सीमा लगभग 15–16 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। पुलिस अधीक्षक, कार्यालय प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार रेहुआ लालगंज में पुलिस चौकी की स्थापना हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से 0.076 हेक्टेयर भूमि का आवंटन कराया जा चुका है। पुलिस चौकी खोले जाने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़/उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त पुलिस चौकी की स्थापना के सम्बन्ध में परामर्शी विभागों से परामर्श प्राप्त कर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।,

लखनऊ महानगर के अन्तर्गत 1986 में स्थापित कालोनी को नगर निगम द्वारा अधिग्रहीत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य जी उपस्थित नहीं हैं ।

कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

अब आप लोगों को एक सूचना दे दें कि कार्य–मंत्रणा समिति का प्रारूप तो बाद में आयेगा लेकिन कार्य–मंत्रणा समिति ने निर्णय लिया है कि 23 मार्च, 2015 को लोहिया जयन्ती है, इसलिये उस दिन सदन की बैठक नहीं होगी, अब हम 24 तारीख को 11.00 बजे यहां मिलेंगे।

अब हम उठते हैं और 24 मार्च, 2015 को 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 52 मिनट पर मंगलवार दिनांक 24 मार्च, 2015 के दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 20 मार्च, 2015

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 50 विधान सभा (86)–02–07–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।